द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक १७

९ दिसम्बर, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

288 (Ai) LSD.

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३-अंक ११ से २०—१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

	पृष्ठ
अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . .	१०५५–७८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४	१०७८–८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . .	१०८०–११०४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५	११०४–४८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	११४८
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	११४९–५१
खण्ड २, ३ और ३-क .	११५१–८०
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . .	११८१
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में	११८१
दैनिक संक्षेपिका	११८२–८८
अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . .	११८९–१२१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४	१२१२–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३	१२२५–६६
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२२५

स्थगन प्रस्ताव . . .	१२६७–६८
गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता .	१२६७–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२६८–६९
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक	१२७०–८५
खण्ड ४ और अनुसूची	१२७५–८०
गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा .	१२८२–१३०४
दैनिक संक्षेपिका	१३०५–१२

अंक १३—बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ .	१३१३–३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९	१३३६–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४	१३५८–९३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१३९३–९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकत्तीसवीं प्रतिवेदन	१३९४
समिति के लिए निर्वाचन	
राजघाट समाधि समिति	१३९४–९५
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक	१३९५–१४०२
खण्डों और अनुसूची पर विचार .	१३९५–९९
संशोधित रूप में पारित करने का विचार	१३९९–१४०२
हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	१४०२–१५
निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव	१४१५–२८
चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१४२८–३३
दैनिक संक्षेपिका	१४३४–४०

अंक १४—गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ .	१४४१–६३

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३	१४६४——७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ६६५ और ६६७	१४७४——१५०६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५०६——११
राज्य-सभा से संदेश	१५११–१२
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक——सभा पटल पर रखा गया	१५१२
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका	१५१२
निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव	१५१२——४६
दैदिक संक्षेपिका	१५४७——५८
अंक १५–शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १६५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०६, ६११ से ६१७, ६१६, ६२० और ६२३ से ६२६	१५५५——७६
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६	१५७६——६५
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३६	१५६५——१६२३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६२४–२५
राज्य सभा से संदेश	१६२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके	१६२६——३२
सभा का कार्य	१६३२
निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव	१६३३——४०
हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक——	
विचार करने का प्रस्ताव	१६४०——४३
आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक——	
विचार करने का प्रस्ताव	१६४३——४६
खण्ड २ और १	१६४६
पारित करने का प्रस्ताव	१६४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
इकतीसवां प्रतिवेदन	१६४६
सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	१६४७——६७

पृष्ठ

देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प १६६७
एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा १६६८–७२
दैनिक संक्षेपिका . . १६७३–७६

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२ १६८१–१७०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६९१ और ६९३ से ७२३ १७०६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से १११५ १७२८–६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७६१–६२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६२

लोक लेखा समिति—

दसवां प्रतिवेदन १७६२

१९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण १७६२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा १७६३–६४

विधेयक पुरःस्थापित . १७६४–६५

(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक

(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव १७६५–१८०१

दैनिक संक्षेपिका . १८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ . १८०९–३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३२–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ . १८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १११६ से ११६७ . १८४८--८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८--१६०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव . . १६०४--०६

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १६०६--२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घं`े की चर्चा . १६२५--२७

दैनिक संक्षेपिका . . १६२८--३४

अंक--१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १६३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७६, ८०७, ७८० से ७८७ १६३६--५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १६५८--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८० . . . १६७६--२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन--

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २०१८--२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८--३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०--५३

दैनिक संक्षेपिका २०५४--६१

अंक--१६, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १६५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३६ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४ . २०६३--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८६ . २०८५--२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२६६ और १३०१ से १३४२ . २१०२--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२६

तारांकित प्रश्न संख्या ४६७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य . २१२६-३०

जानकारी का प्रश्न . . . २१३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३०--३२

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३२--५४

खण्ड २ से ८ और १ . २१५४--६१

पारित करने का प्रस्ताव २१६१-६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५५-५६ और १६५६-५७ . २१६५--७३

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७५--८०

अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १६५८

प्रश्नो के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६० से ८६५, ८६६, ६०१, ६०२, ६०४, ६२६, ६०५, ६०६ और ६०८ . . . . २१८१--२२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८६८, ६००, ६०३, ६०७, ६०६ से ६२५ और ६२७ से ६३३ . . . . . २२०३--१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ . २२१६--७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२७१

विशेषाधिकार समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन . २२७२

राज्य सभा से सन्देश . २२७२-७३

सभा का कार्य . . २२७३

विधेयक पुरस्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

		पृष्ठ
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—		
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	.	२२७४—९३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—		
बत्तीसवां प्रतिवेदन	. . . . . .	२२९३-९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित	. . . .	२२९४-९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक—		
परिचालित करने का प्रस्ताव	. . . . .	२२९६—२३१२
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—		
विचार करने का प्रस्ताव	. . . . .	२३१२
दैनिक संक्षेपिका	. . . . . .	२३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत-पाक नहरी पानी विवाद

+

†*७२६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बहादुर सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री गोरे :
श्री जाधव :
श्री सूपकार :
श्री वाजपेयी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हाल्दर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा विश्व बैंक के तत्वाधान में लन्दन में हुई बैठक में प्रस्तुत की गयी नहरी पानी विवाद सम्बन्धी नयी योजना के सम्बन्ध में अपने विचार बता दिये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

288-A LSD—1

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर दिया गया है ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में अपनी ओर से कोई नयी योजना प्रस्तुत की है ;

(घ) यदि हां, तो वह योजना क्या है और भारत सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या विवाद को निपटाने के लिये विश्व बैंक के तत्वा ान में वाशिंगटन में कोई और त्रिदलीय बातचीत की जा रही है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि वाशिंगटन में त्रिदलीय बातचीत इस समय चल रही है, इस लिये इसी समय यह बताना लोकहित में नहीं है कि पाकिस्तान की योजना के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) और (च). विश्व बैंक के तत्वाधान में वाशिंगटन में २ दिसम्बर, १९५८ को बातचीत प्रारम्भ की गयी थी और वह अभी तक चल रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह बातचीत कितनी देर से चल रही है और क्या यह किसी अनिश्चित काल तक चलती रहेगी ?

†**श्री हाथी** : यह बातचीत २ दिसम्बर, १९५८ को प्रारम्भ हुई थी । हम यह तो नहीं चाहते कि बातचीत अनिश्चित काल तक चलती रहे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत सरकार अपने इस निर्णय पर स्थिर रहेगी कि वह निश्चित तिथि के बाद नहरी पानी का सम्भरण बन्द कर देगी ?

†**श्री हाथी** : इस में किसी निर्णय पर स्थिर रहने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । हम तो यह कह रहे हैं कि १९६२ तक हम राजस्थान नहर से पानी देना बन्द कर सकेंगे । हम निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और अपनी स्थिति के बारे में हमने विश्व बैंक और पाकिस्तान को बता दिया है ।

†**श्री सूपकार** : पाकिस्तान की यह नयी योजना भारत और पाकिस्तान में किये गये तदर्थ करार से किस-किस दृष्टि से भिन्न है ?

†**श्री हाथी** : मैंने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह बता दिया है कि इस समय कोई बात बताना लोकहित में नहीं है ।

†**श्री वाजपेयी** : उस दिन पाकिस्तान के प्रेजीडेण्ट ने यह बताया था कि जब तक इस विवाद का कोई संतोषजनक हल नहीं मिलता, तब तक पाकिस्तान निश्चित रूप से पानी प्राप्त करता रहेगा । यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस समस्या का कोई संतोषजनक हल निकालने का प्रयत्न किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : हम ने अपनी योजना भेज दी है और वही इस समस्या का स्थायी हल है ।

†श्री जाधव : क्या श्री इलिफ से, जो कि विश्व बैंक के एक उप-प्रधान हैं, जब वे विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली आये थे, इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी ?

†श्री हाथी : अनौपचारिक रूप से बातचीत हुई थीं ।

†श्री रंगामणि : यह मामला लगभग सात वर्षों से अनिश्चित अवस्था में है । क्या इसके निर्णय के लिये कोई अवधि निर्धारित की गयी है ?

†श्री हाथी : यह कोई मध्यस्थता का प्रश्न नहीं है और न ही इस से विश्व बैंक द्वारा कोई निर्णय दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न होता है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सिन्ध नदी के बेसिन को भारत और पाकिस्तान के एक संयुक्त आयोग के प्रशासन में चलाने के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना है ?

†श्री हाथी : कोई संयुक्त आयोग बनाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में कोई नयी प्रस्थापना प्रस्तुत की है ?

†श्री हाथी : पाकिस्तान सरकार तो पहले ही अपनी योजना प्रस्तुत कर चुकी है । अब हमने उस के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : जो प्रोपोजल आपने रखा है और पाकिस्तान को दिया है, उस पर पाकिस्तान ने अपना क्या रिएक्शन जाहिर किया है, या अपना कोई काउंटर प्रोपोजल दिया है ?

†श्री हाथी : बातचीत २ दिसम्बर, १९५८ को ही तो प्रारम्भ हुई है । परन्तु जैसा कि मैंने निवेदन किया है, इस बात पर इसी समय यह चर्चा करना उचित नही है कि हमारी क्या प्रतिक्रिया है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : भारत सरकार ने १९६२ तक की कालावधि निर्धारित की थी, क्या सरकार उस पर स्थिर रहेगी ?

†श्री हाथी : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इन प्रैस रिपोर्टों में कोई सचाई है कि हम अब समस्या के हल के निकट पहुंच गये हैं ?

†श्री हाथी : हम तो सदा यही आशा करते हैं ।

†श्री हालदार : क्या सरकार पाकिस्तान की अत्यधिक महंगी योजना के स्थान पर 'महरु सुरंग' योजना नामक एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत करेगी ?

†श्री जाधव : अखबारों में यह भी निकला था ।

†श्री हाथी : हम ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या सरकार को ज्ञात है कि वकीलों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि भारत का पक्ष उचित तथा न्यायसंगत है। यदि हां, तो फिर अपने पक्ष को लागू करने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य ने जिस सम्मेलन का उल्लेख किया है, उसकी कार्यवाही और निर्णय को मैं ने पढ़ा है। परन्तु यहां तो विश्व बैंक के सद प्रयत्नों द्वारा मामले को शीघ्रता से सुलझाने का प्रश्न है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यदि नयी पाकिस्तान सरकार १९४८ के करार को स्वीकार करने से इन्कार कर दे तो उस स्थिति में क्या होगा ?

†**श्री हाथी** : परन्तु वह इस समय तो बातचीत में भाग ले रही है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या पाकिस्तान सरकार बैंक के निर्णय को मान लेगी ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ मिथ्या भ्रांति है। इस में तो मध्यस्थता या निर्णय देने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। विश्व बैंक तो अपनी सद्भावना से समझौता कराने का प्रयत्न कर रहा है।

†**कुछ माननीय सदस्य** उठे ——

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं इस बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने पर कोई रोक तो नहीं लगाना चाहता, परन्तु माननीय उपमंत्री ने यह बताया है कि अभी बातचीत चल रही है। अतः बातचीत पूरी हो जाने के बाद ही इन के बारे में कुछ प्रकाश डाला जा सकेगा। उस समय मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं।

वैकल्पिक आसाम रेल सम्पर्क

†*७२८. { +श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैकल्पिक आसाम रेल सम्पर्क के सर्वेक्षण-कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) परियोजना को पूरा करने पर लग भग कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) किस-किस स्थान पर स्टेशन स्थापित किये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रेलवे प्रशासन द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री बर्मन** : वैकल्पिक सम्पर्क के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल और आसाम के कुछ सदस्यों ने एक और लाइन के बारे में सुझाव दिया है और माननीय रेलवे मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया था कि वे दोनों लाइनों का सर्वेक्षण करायेंगे। क्या अब माननीय सदस्यों द्वारा सुझाये गये मार्ग का सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सभी सुझावों पर विचार किया गया है । इस बारे में तीन सुझाव थे, जिनमें से एक को अधिमान दिया गया है । हमने वह सुझाव तो राज्य सरकारों के पास भेज दिया है । हम उनके उतर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उनका उत्तर आने पर ही हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह मार्ग कितने मील लम्बा होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामत** : क्या यह सच नहीं है कि यदि माननीय सदस्यों की प्रस्थापना को कार्यान्वित किया गया तो वह लाइन कूच-बिहार में से गुजरेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह कूच-बिहार के पास से गुजरेगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस काम के कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रारम्भित सर्वेक्षण अभी-अभी पूरा हुआ है । हमने मामला राज्य सरकारों के पास भेज दिया है । राज्य सरकारों से जवाब पहुंचते ही हमें कार्य प्रारम्भ कर देना है । उस पर कुछ समय लगेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या वह प्रस्तावित वैकल्पित लाइन की योजना वर्तमान लाइन को पक्का करने की योजना के अतिरिक्त योजना है; और यदि हां, तो उस का लाइनों की भार क्षमता पर कितना असर पड़ेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रस्ताविक नई लाइन दोमालाई और अलीपुर द्वाब के बीच बिछाई जायेगी । इस लाइन में से पर्वतीय क्षेत्र छोड़ दिये गये हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : उसकी भार क्षमता कितनी होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

†**श्री हाल्दार** : क्या आसाम रेलवे का त्रिपुरा राज्य से सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि तीसता नदी में कई बार बाढ़ आ जाती है और उसके कारण लाइनें टूट जाती हैं ? यदि हां, तो सरकार किसी और प्रस्थापना पर बिचार क्यों नहीं करती ताकि वहां पर बनाये जाने वाले पुल को कोई खतरा न हो ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वहां पर केवल एक तीसता नदी ही नहीं है । वहां पर कई नदियां हैं । इस लाइन को पहाड़ी क्षेत्रों से बचा कर और अधिक दक्षिण की ओर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि पुलों पर नदियों की बाढ़ों का कोई असर न पड़ सके । इन सभी बातों पर विशेषज्ञों ने विचार किया है और विचार करने के उपरान्त ही यह प्रस्थापना प्रस्तुत की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रबी की फसल

+
†*७२६. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सूपकार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रबी की कैसी फसल होने की संभावना है ; और

(ख) उसका खाद्यान्नों के आयात पर क्या असर पड़ेगा ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि आगामी रबी की फसल कैसी होगी और उसका खाद्यान्नों के आयात पर क्या असर पड़ेगा ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार रबी की फसल की संभावना के सम्बन्ध में कुछ बता सकती है और क्या २० लाख टन चावल संगृहीत करने की सरकारी प्रस्थापना केवल बिना किसी आधार के बनायी गई है या कि उसका रबी की फसल की संभावना से भी कोई सम्बन्ध है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): चावल संगृहीत करने का रबी की फसल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†श्री सूपकार : मेरे मूल प्रश्न का सम्बन्ध चालू वर्ष की खरीफ की फसल के बारे में प्राप्त रिपोर्टों से था । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को खरीफ फसल के बारे में राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ; और यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष बहुत से राज्यों में खरीफ की फसल अच्छी हुई है , सरकार विदेशों से खाद्यान्नों के आयात की मात्रा में कुछ कमी कर देगी ?

†श्री अ० प्र० जैन : जहां तक खरीफ फसल का सम्बन्ध है, उसके बारे में राज्यों से बड़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं ; परन्तु अभी तक अंतिम रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। मूल्यांकन तो फसल के कटने के बाद ही किया जा सकेगा । परन्तु खबरें तो बड़ी संतोषजनक हैं।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या हर जगह से ?

†श्री अ० प्र० जैन : जी, हां, लगभग हर जगह से । इसी लिये हमें बाहिर से अधिक मात्रा में चावल आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी । केवल वर्तमान करारों के अधीन थोड़ा सा चावल मंगाना पड़ेगा ।

†श्री रघुवीर सहाय : क्या उन किसानों को, जिन्होंने रबी की फसल रोपी है, अपनी फसल को बीमारियों और कीड़ों से बचाने के लिये कोई प्रविधिक सहायता दी गयी है अथवा देने का विचार है? क्या किसानों को फसल की कटाई तक सिंचाई के लिये पानी देने की भी व्यवस्था कर दी गयी है ?

†श्री अ० प्र० जैन : हमने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि रबी की फसल के लिये पर्याप्त मात्रा में जल सम्भरित किया जाये । हमने राज्य सरकारों से यह भी

---

†मूल **अंग्रेजी में**

प्रार्थना की है कि वे अपने पास कीटाणु नाशक दवाइयों का संग्रह रखें और बहुत से स्थानों पर उन्होंने उन दवाईयों का संगृहीत भी कर लिया है ।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्रों से सुधरे हुए बीज संभरित करने के बारे में कोई प्रबन्ध किया है ; उनसे किसानों के कितने प्रतिशत मांग पूरी हुई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि सम्पूर्ण देश में गेहूं, चावल आदि की फसलों के लिये सुधरे हुए बीज संभरित करने की एक योजना है । वह योजना इस समय पूर्ण रूपेण कार्यान्वित की जायेगी जब कि सभी बीज फार्म स्थापित हो जायेंगे । इस दौरान में हम जितना हो सकता है उतना संभरण कर रहे हैं । हमारा यह अनुभव है कि किसान स्वयं अपने लिये बीज रख लेते हैं । परन्तु फिर भी अपनी क्षमतानुसार उनके लिये अधिक से अधिक कर रहे है और योजना चालू हो जाने पर और भी अधिक सहायता दे सकेंगे ।

†**श्री त्यागी :** खेतों में छिड़की जाने वाली कीटाणुनाशक दवाइयों पर आने वाला खर्च कौन वहन करता है ? क्या किसान भी उसके लिये कोई अंश वहन करते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह काम एक राजकीय सहायता प्राप्त योजना के अधीन किया जाता है । उसके अधीन ५० प्रतिशत खर्च केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा ।

†**श्री त्यागी :** क्या किसानों को कुछ राशि अदा करनी पड़ेगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी, हां ।

†**श्री त्यागी :** कितनी राशि ?

†**श्री अ० म० थामस :** वह तो मुझे नहीं पता है । परन्तु ५० प्रतिशत अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

†**श्री त्यागी :** यदि कोई किसान अदा करने से इन्कार कर दे तो क्या उस स्थिति में भी अन्य खेतों की रक्षा करने लिये उसके खेतों में दवाई छिड़की जायेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** क्योंकि किसानों की अपनी फसल की बचत होती है, इसलिये उन्हें कम से कम उसका कुछ अंश तो अवश्य अदा करना चाहिये ।

†**श्री त्यागी :** परन्तु यदि दवाई नहीं छिड़की जायेगी तो बीमारी के अन्य खेतों में भी फैल जाने का डर है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** ये काम तो राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । राज्य सरकारें ही किसानों से उस सम्बन्ध में कुछ खर्च ले लेती हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** यह राशि राजस्व की बकाया राशि के रूप में प्राप्त की जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि इसे अनिवार्य रूप से प्राप्त नहीं किया जायेगा तो धनवान किसान भी देने से इन्कार कर देंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** माननीय मंत्री ने बताया है कि खरीफ फसल लगभग बहुत अच्छी है तथा संतोषजनक रही है, क्या उसके परिणाम स्वरूप देश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के भावों में कोई विशेष कमी हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० प्र० जैन : जी, हां। खरीफ़ के खाद्यान्नों के दामों में पर्याप्त सीमा तक कमी हुई है।

†श्री तंगामणि : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या ७३५ तथा ७५३ को इकट्ठा ही ले लिया जाये, क्यों कि उनका विषय प्रश्न संख्या ७३० के समान ही है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इन सभी प्रश्नों के उत्तर इकट्ठे ही दे देंगे।

रेलवे के स्लीपर

†*७३०. {
श्री वें० प० नायर:
श्री वि० च० शुक्ल:
श्री कोडियान:
श्री जीनचन्द्रन् :
श्री पोकर साहिब :
श्री रामी रेड्डी:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्लीपरों के सम्भरण में स्वदेशी संसाधनों को बढ़ाने के लिये रेलवे द्वारा क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कल्लई, कोजिकोड के वैस्टकोस्ट स्लीपर सपलायर्ज ने स्लीपर सम्भरित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके दर क्या हैं और वे दर आयात किये जाने वाले स्लीपरों की तुलना में कैसे हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) स्वदेशी संसाधनों से अधिक संख्या में स्लीपर प्राप्त करने के लिये रेलवे द्वारा ये प्रयत्न किये गये हैं—ऐसे क्षेत्रों से लकड़ी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिन से आजतक प्राप्त नहीं की गयी थी, कुछ एक ऐसी लकड़ियों को भी, जो कि अधिक टिकाऊ नहीं होतीं, कुछ दवाइयां लगाने के बाद स्वीकार किया जा रहा है; लकड़ी के स्लीपरों के विशिष्ट विवरण[1] के सम्बन्ध में अब अधिक उदारता से काम लिया जाता है। छोटी फर्मों को प्रोत्साहन दे कर ढ़ले हुए लोहे के स्लीपरों की क्षमता को बढ़ाना ; और रेलवे यार्डों में कनक्रीट के स्लीपरों का अधिक इस्तेमाल करना।

(ख) जी, हां।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७६]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Specifications

रेलवे के स्लीपर

+

†*७३५. { श्री वि० च० शुक्ल:
श्री राम कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में नयी लाइनों के निर्माण और पुरानी लाइनों के नवीकरण पर लकड़ी और लोहे के कुल कितने स्लीपरों की आवश्यकता होगी;

(ख) सरकार इस आवश्यकता को कैसे पूरा करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्लीपरों की आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया है और उसके संभरण के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार कर ली गयी है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेलों के लिये आवश्यक स्लीपरों की मांग अधिकतर भारतीय संसाधनों से ही पूरी करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ समय पहले तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशों से कुछ स्लीपरों के आयात के लिये आर्डर दिये गये थे।

(ग) अभी नहीं।

खराब स्लीपरों की स्वीकृति

+

†*७५३. { श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते की एक फर्म द्वारा संभरित इस्पात के स्लीपरों में से ७० लाख रुपयों की कीमत के स्लीपर खराब निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). बोर्ड का प्रयत्न इस आरोप की ओर आकृष्ट किया गया है कि कलकत्ते की एक फर्म द्वारा उत्तर रेलवे को लगभग ७९ लाख रुपयों की कीमत के लोहे के संभरित किये गये स्लीपर विशिष्ट विवरण[1] के अनुसार नहीं हैं। मामले की अभी जांच की जा रही है।

†**श्री वि० च० शुक्ल**: विवरण से यह प्रतीत होता है कि पूर्वी और पश्चिमी आस्ट्रेलिया से स्लीपर जिस दर पर खरीदे गये हैं वे केरल में उपलब्ध स्लीपरों के दरों से अधिक थे; इन स्लीपरों को ऊंचे दरों पर विदेशों से आयात करने के क्या कारण हैं और क्या विवरण में दिये गये दर 'नौतल पर्यन्त निशुल्क' या 'लागत बीमा भाड़ा' मूल्य हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Specifications.

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: पहली बात तो यह है कि आस्ट्रेलिया के स्लीपर केरल की अपेक्षा बहुत बढ़िया हैं। दूसरी बात यह है कि हम सामान्यतया राज्य सरकारों से व्यापार करते हैं, और केरल सरकार से किये गये करार के अधीन हमने कुछ दर निश्चित किये हैं। उन व्यापारियों द्वारा निश्चित किये गये दर हमारे दरों से ऊँचे थे और इसलिये हम उन्हें स्वीकार न कर सके।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या आस्ट्रेलिया के स्लीपर इसलिये स्वीकार किये गये हैं कि उनके दर ऊंचे हैं। प्रश्न यह है कि हमने आस्ट्रेलिया के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अन्यथा देश का सारा संतुलन विगड़ जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय**: किसका संतुलन ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : देश में कीमतों का संतुलन। लकड़ी केवल रेलवे के ही काम नहीं आती। उसे असैनिक कार्यों के लिये भी प्राप्त करना है। यदि रेलों के लिये कीमतें बढ़ाई गयीं तो उसका अन्य कार्यों में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी की कीमत पर भी असर पड़ेगा। वे बढ़ जायेंगी।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या रेलवे मंत्रालय ने केरल द्वारा सम्भरित चीड़ की लकड़ी के स्लीपरों और आस्ट्रेलिया को आयात किये गये स्लीपरों के सम्बंध में प्रयोग किये हैं और यह निष्कर्ष निकला है कि विदेशी स्लीपर श्रेष्ठ हैं और यदि हां, तो यह प्रयोग कहां किया गया था?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमने इसे विशेषज्ञों से निर्देश किया है और विशेषज्ञों ने हमें बताया है कि आस्ट्रेलिया के स्लीपर २० वर्ष तक काम दे सकते हैं जबकि केरल के स्लीपर आठ या दस वर्ष से अधिक नहीं चलेंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या देहरादून की वन गवेषणा संस्था से इस प्रस्तावना का निर्देश किया गया है क्योंकि यह संस्था विभिन्न प्रकार की टिम्बर की मजबूती मालूम कर रही है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** : प्रश्न संख्या ७५३ के उत्तर के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कलकता फर्म द्वारा सम्भरित ढले हुए लोहे के त्रुटियुक्त स्लीपर उस समय स्वीकार किये गये जब कि फर्म ने रेलवे के एक उच्च अधिकारी के निकटवर्ती सम्बन्धी को सेवा नियोजित कर दिया था?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस विषय की जांच विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कोडियान : क्या सरकार ने स्वदेश में उपलब्ध स्लीपरों की मात्रा का निर्धारण किया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे मंत्रालय ने इनका कितनी मात्रा में प्रयोग किया है ?

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय चाहें तो इसका प्रतिशत भी बता सकते हैं।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हमने पूरा प्रयत्न किया है। हमारे सम्भरण की मात्रा कम है और हम स्वदेश में ही इसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय: आजकल आयात किये गये स्लीपरों की अपेक्षा में शीप स्लीपरों की ठीक क्या मात्रा है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : में प्रतिशत निकालूंगा ।

†श्री रामी रेड्डी: क्या आंध्र सरकार ने रेलों को स्लीपर बेचने का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो किस मूल्य पर ? क्या वार्ता हो रही है तथा क्या रेलों के आंध्र सरकार से स्लीपर मोल लेने की संभावना है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : उन्होंने लगभग ४५,००० स्लीपर का प्रस्ताव दिया था और कुछ नहीं ।

†श्री रामी रेड्डी : कितने मूल्य पर और क्या सौदा होने की संभावना है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरे पास इसकी विस्तृत बातें नहीं हैं।

†श्री जीनचन्द्रन् : क्या ये स्लीपर मोल लेने के लिये कोई खुले टेंडर मांगे गये थे ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : सारे देशों से टेंडर मांगे थे ।

†श्री त्यागी : स्लीपरों के लिये विदेशी तख्ते खरीदने के लिये कुल कितने मूल्य की मंजूरी दी गई थी ? क्या इन कुछ हजार स्लीपरों से रेलवे लाइन को २० वर्ष इनकी आवश्यकता न होगी या इससे कम माल के लिये ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : जहां कहीं इन स्लीपरों का प्रयोग किया जाता है वहां न कि सारी रेलवे लाइन पर ये २० वर्ष तक काम देंगे ?

†श्री त्यागी : इसमें कितने विदेशी विनियम की आवश्यकता होगी ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य "क्या माननीय मंत्री उत्तर देंगे" आदि के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं। इस रूप में प्रश्न क्यों किया जाता है ?

†श्री त्यागी : मैं कुल मूल्य जानना चाहता हूं क्योंकि इस बेकार के व्यय पर इस संसद् को ध्यान देना है ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो माननीय सदस्यों से यह कहता हूं कि प्रश्न से यह प्रतीत नहीं होना चाहिये कि माननीय मंत्री को आदेश दिया जा रहा है। इसका रूप "क्या मैं जान सकता हूं आदि" का होना चाहिये । यह उचित ढंग है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्योंकि संसद् जनता की प्रतिनिधि है, इसलिये स्वाभाविक है कि यह बेकार के व्यय पर आपत्ति करे। विशेषकर जबकि इसका संबंध विदेशी विनिमय से हो। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य के लिये कुल कितने धन की मंजूरी दी गई है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : किसी कुल धन की मंजूरी नहीं दी गई है। हमारे पास माल कम है और यदि हमें मांग पूरी करनी है तथा आयात करना है, तो यह करना पड़ेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई क्रयादेश दिया गया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को सदन की भावनाओं से परिचित होना चाहिये। वे यह जानने के इच्छुक हैं कि जिस मूल्य पर स्लीपरों का क्रय होता है उसके अनुसार उनकी कुल संख्या कितनी है, देशीय माल की मात्रा कितनी है और हम विदेशों को कितना धन दे रहे हैं। माननीय मंत्री को इन सब प्रश्नों का पुर्वानुमान अवश्य कर लेना चाहिये।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम सारे प्रश्नों का पूर्ण पूर्वानुमान नहीं कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। माननीय मंत्री फिर उत्तर देंगे।

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या शोरिया रोवस्टा की जिसे साल भी कहते हैं और जो लकड़ी का राजा कहा जाता है, जांच की गई है तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने जिनके जंगलों में यह अधिकता से होती है, इसकी संभावनाओं की खोज की है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : साल की लकड़ी बहुत अच्छी होती है। यह बीस वर्ष तक चलती है। इसे रेलवे बोर्ड ने स्लीपरों के लिये स्वीकार किया है। परन्तु बात यह है कि हमारे पास इसकी कमी है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार किया है क्योंकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जंगलों में शोरिया रोवस्टा खूब होता है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम देश में ही स्लीपर प्राप्त करने की सारी संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : यह इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं है कि राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार किया गया है या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य माननीय मंत्री से पूछ रहे हैं कि क्या साल की लकड़ी अच्छी नहीं है। वह कहते हैं कि यह अच्छी है और आगे कहते हैं कि इसका संभरण कम है। इन सरकारों से अथवा अन्यथा पत्र व्यवहार किये बिना उन्हें यह कैसे पता लगा कि इसका संभरण कम है? क्या हमें "उन्हें कैसे पता लगा" समान वे सारे अनुपूरक प्रश्न पूछने चाहिये? यह ठीक नहीं है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या मैं जान सकता हूं कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य देखेंगे कि जो कोई प्रश्न रखता है मैं उसे दो या तीन अवसर देता हूं और फिर अन्य सदस्यों को और फिर दुबारा उसे अवसर देता हूं ताकि वह सब सुनने

†मूल अंग्रेजी में

के बाद प्रश्न पूछ सके। सारे प्रश्न काल पर उसे इस प्रकार अपना ही अधिकार नहीं जमाना चाहिये उसे अपने पुकारे जाने पर जोर नहीं देना चाहिये। मैं उसे केवल यह दण्ड दे सकता हूं कि उसे आगामी पूरे प्रश्न काल में नहीं पुकारूंगा। श्री गोरे।

†**श्री गोरे** : क्या भारत सरकार ने चीन की भांति सीमेंट कंक्रीट के स्लीपर की जांच की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हां हमने इसकी स्टेशन यार्डों और माल यार्डों में जांच की है।

†**श्री गोरे** : परिणाम क्या रहा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ये अभी प्रयोग की स्थिति में हैं। जलवायु के कारण सीमेंट कंक्रीट अच्छा नहीं रहता। यह बहुत अधिक फैलता तथा सिकुड़ता है एवं इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अतः हम इसे खुली लाइनों में नहीं डाल रहे हैं।

†**श्री गोरे** : इस पर जलवायु का कैसे प्रभाव पड़ता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि इस पर प्रयोग हो रहा है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या रेलवे मंत्रालय को विदित है कि भारत में संसार के कुछ सब से अच्छे जंगल व लकड़ी पाई जाती है ? रेलवे मंत्रालय इस लकड़ी के उपयोग का पता क्यों नहीं लगा रहा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात से कोई मना नहीं करता कि भारत में जंगल हैं। माननीय मंत्री कहते हैं कि इसकी कमी है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं सारी बातें सदन के सन्मुख रखना चाहता हूं।

†**श्री त्यागी** : मैं थोड़े संभरण वाली बात को चिनौती देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें बातें बताने दी जायें।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : देश में लकड़ी के स्लीपर १९५१–५२ में लगभग ११ लाख और १९५२–५३ में १६ लाख प्राप्त हुये। १९५५–५६ में यह संख्या बढ़ कर २३ लाख हुई। लकड़ी का उपभोग करने वाले अन्य उद्योगों, जैसे चाय की पेटी, प्लाईवुड, नदी घाटी परियोजना, गृह-निर्माण, आदि पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रभाव होने के कारण प्राप्ति घट कर १९५६–५७ में २०.६ लाख और १९५७–५८ में १९ लाख रह गई। यह कहा जाता है कि यद्यपि स्लीपरों की प्राप्ति १९५४–५५ में १९५१–५२ की प्राप्ति की अपेक्षा लगभग दोगुनी थी तथापि मूल्य लगभग वही था जो १९५१–५२ में था। यद्यपि मूल्य में वृद्धि हो गई है पर १९५६–५७, १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में प्राप्ति घट गई है।

संभरण बढ़ाने के लिये निम्न कार्यवाहियां की गई हैं : उन क्षेत्रों का विदोहन जहां जाना अति कठिन है; अब तक अनुपयुक्त समझी जाने वाली किस्मों को परिरक्षण किये जाने के पश्चात् स्वीकार करना; आंध्र, कुर्ग और अण्डमान में, जहां से पहिले स्लीपर नहीं मिला करते थे, जंगलों का उपयोग करना; निर्दिष्ट आकार प्रकार में छूट देना, रद्द किये गये स्लीपरों को स्वीकार करना

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा छोटी लाइन (नैरो गेज) पर उनका प्रयोग करना, मिले हुये नेपाल, सिक्कम और भूटान राज्यों से स्लीपर प्राप्त करना; कुछ मामलों में निश्चित आकार की अपेक्षा बड़े व्यापार आकारों को स्वीकार करना; पाकिस्तान, सूडान, आदि को स्लीपरों का निर्यात निषिद्ध करना; और रेलों पर साल का प्रयोग केवल स्लीपरों के लिये निर्धारित करना।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मैं जानना चाहता था कि क्या आस्ट्रेलिया से खरीदे गये स्लीपरों के मूल्य के अपेक्षा काफी कम मूल्य पर ब्राजील के स्लीपरों का प्रस्ताव था ; यदि हां, तो ब्राजील के स्लीपर बनाने वालों को क्रयादेश क्यों नहीं दिया गया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ब्राजील के प्रस्ताव की अपनी कहानी है और वह यह कि ऐसे आरोप लगाये गये थे जो झूटे थे ।

†**श्री वें० प० नायर** : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था लोहे के बने स्लीपरों के संभरण के मामले की जांच हो रही थी। क्या इसी बीच में, दोषयुक्त स्लीपरों के संभरण के कारण विशेष फर्म का नाम ब्लैक लिस्ट में लिख दिया गया है या क्या संभरण के आदेश रद्द कर दिये गये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं इसकी पूर्वसूचना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री वें० प० नायर** : यह ७९ लाख रुपये का मामला है और यह राशि कम नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी कारण तो माननीय मंत्री कहते हैं कि मामला गुप्तचर विभाग को दे दिया गया है। वे जांच कर रहे हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : मुझे बताया गया है कि इस बात के होते हुये भी कि इस मामले की जांच हो रही है, इन्हें दुबारा क्रयादेश दिया गया है। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। श्रीमती मफीदा अहमद। वह पहिले क्यों नहीं उठी ?

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : किस फर्म ने दोषयुक्त स्लीपर दिये थे और इस फर्म को ठेका देने के क्या कारण थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : श्रीमान् मैं नहीं जानता कि मैं नाम बता सकता हूं क्योंकि मामले की अब भी जांच हो रही है। श्रीमान् मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या नाम बहुत महत्वपूर्ण है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। उस व्यक्ति या फर्म का क्या नाम है जिसने ७९ लाख रुपये लिये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेसर्स हनुमान फाउंड्रीज लिमिटेड, लिलुआ, कलकत्ता।

---

†मूल अंग्रेजी में

काजीपेट रेलवे यार्ड का नये नमूने का बनाया जाना

\+
*७३३. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के काजीपेट स्टेशन पर यार्ड को नये नमूने का बनाने के लिये १९५८–५९ के आय-व्ययक में उपबन्धित १४ लाख रुपये में से अक्तूबर १९५८ के अन्त तक कितना धन व्यय हो गया है ;

(ख) ढील के क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य की गति बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) मुख्य योजना पर अभी तक कुछ व्यय नहीं हुआ है क्योंकि अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ।

(ख) तथा (ग). लाइनों पर खड़े होने की १८०० फीट जगह के बजाये, जिसका मूल प्रस्ताव था, २२५० फीट जगह की व्यवस्था करने के लिये परिवय का डिजाइन अभी विचाराधीन है। योजना के निश्चित होने तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन मंजूर होने पर कार्य आरम्भ होगा।

†श्री त० ब० विट्ठल राव: कहा जाता है कि योजना विचाराधीन है। क्या यह रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है या रेलवे बोर्ड के ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रशासन व बोर्ड एक ही है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : रेलवे प्रशासन मध्य रेलवे है।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह कोई बात नहीं है। इसकी जांच हो रही है। जांच के पूर्ण होते ही, हम आगे कार्य आरम्भ करेंगे।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस दृष्टि से कि इस रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ रहती है और यातायात भी बहुत अधिक है, यह जांच कब समाप्त होगी क्योंकि योजना तीन वर्ष से भी अधिक समय से खटाई में पड़ी है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इस जंक्शन का महत्व भली प्रकार समझा जा चुका है। वास्तव में, यहां अब ५५० वैगन आ जा सकते हैं। आशा है कि यहां ९०० वैगन का प्रतिदिन आना जाना होगा। अतः इस महत्व के बारे में तनिक भी सन्देह नहीं है। मूल योजना २१ लाख रुपये की थी। पुनरीक्षित योजना ३५ या ४० लाख रुपये तक जायेगी। हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या कोई मितव्ययता की जा सकती है। जांच के पूर्ण होते ही हम कार्य कर देंगे।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि इस योजना के रद्द होने और बेलमपाले को माल चढ़ाने उतारने का यार्ड बनाने की संभावना है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे इसका पता नहीं है। इस स्टेशन के बारे में जांच हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विलो (सरई) व शहतूत की लकड़ी

†*७३६. श्री रा० च० माझी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल की वस्तुओं के लिये विलो (सरई) व शहतूत की लकड़ी के बजाये अन्य लकड़ी का प्रयोग करने के बारे में कोई गवेषणा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): हां, देहरादून की वन गवेषणा संस्था तथा कालिजों में गवेषणा की गई है ?

(ख) विलो (सरई) व शहतूत के ठीक गुण वाली लकड़ी नहीं पाई गई। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली विलो (सलिक्स बेबीलोनिका) तथा आसाम और पश्चिमी बंगाल में पाई जाने वाली मोरस लेबिगटा निकटतम स्थानापन्न हैं ।

†श्री रा० च० माझी : क्या यह तारंडी खेल के सामान के उद्योग के लिये पर्याप्त होगी ?

†डा० पं० शा० देशमुख : नहीं। हमारे पास पर्याप्त लकड़ी नहीं है। ये स्थानापन्न भी सरई व शहतूत जैसे अच्छे नहीं हैं।

†श्री सुबोध हंसदा: सरई व शहतूत की लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं नहीं कह सकता कि क्या मख्य कार्यवाहियां की गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इनकी मांग है और वन विभाग उन्हें उगाने का प्रयत्न करता है। लकड़ी उगाने में बहुत समय लगता है।

†श्री वें० प० नायर: माननीय मंत्री कहते हैं कि वन गवेषणा संस्था, देहरादून में गवेषणा से अभी तक समान गुण की लकड़ी का पता नहीं लगा है। क्या यह जानने का कोई प्रयत्न किया गया है कि सरई व शहतूत की लकड़ी की आवश्यकता के लिये प्लाईवुड को कैसे प्रयोग किया जा सकता है ? खेल के बहुत से सामान के लिये केवल सरई की लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती।

†डा० पं० शा० देशमुख : मैंने जिस गवेषणा का उल्लेख किया है, वह भिन्न प्रकार की है। इसका संबंध प्लाईवुड से नहीं है । हां, यदि संभावनायें हों, तो हम अवश्य परखेंगे ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जाना चाहता हूं कि जैसा कि अभी आपने यह फरमाया है कि लकड़ी की किल्लत है लेकिन काश्मीर में चूंकि यह लकड़ी बहुतायत से मुयस्सर है और तकसीम से कब्ल पाकिस्तान के सियालकोट में, जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाने का मरकज़ था, यह लकड़ी बहुतायत से इस्तेमाल होती थी और अब मजीद जरूरयात के मुताबिक हुकूमत ने इस लकड़ी को काश्मीर में मजीद डेवलप करने के लिये क्या इक़दमात लिये हैं ?

डा० पं० शा० देशमुख : मुझे इल्म है कि काश्मीर में उसकी तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है मगर जो कुछ भी लकड़ी वहां पैदा होती है, वह काश्मीर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिये वह काफी होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : मुझे याद है कि एक मर्तबा यह सवाल आया था और मैंने काश्मीर गवर्नमेंट को यह कहा था कि आप इन लकड़ियों को हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिये भेजिये तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास यह फालतू नहीं हैं। मैंने उनको यह भी कहा कि हम हिन्दुस्तान से उतनी ही लकड़ी दूसरे किस्म की आपके वहां भेजने को तैयार हैं लेकिन उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया था।

श्री अ० मु० तारिक : जहां तक आपने यह कहा कि हुकूमत हिन्द से काश्मीर गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके पास फालतू लकड़ी नहीं है, उससे मैं भी इत्तिफाक करता हूं लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लकड़ी की तामीर में मजीद इज़ाफा करने के लिये आपने कौन से इकदामात उठाये हैं ? यह दुरुस्त है कि लकड़ी ज्यादा नहीं है मगर अपनी ज़रूरयात के मुताबिक उस लकड़ी की तादाद में इजाफा करने के लिये आपने क्या इक़दामात उठाये हैं ?

डा० पं० शा० देशमुख : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य सरकार इसे उगाने के महत्व से परिचित है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि यथाशीघ्र उगाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सरई व शहतूत की कितनी कमी है और इसकी पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश में आलू नियन्त्रण आदेश

\+
*७३७ { **श्री हेम राज** :
श्री राम कृष्ण :
श्री पद्म देव:

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद् का ऐसा कोई संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें हिमाचल प्रदेश आलू नियंत्रण आदेश में परिवर्तन करने का उल्लेख हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

† **सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश बीज आलू (नियंत्रण) आदेश वापस ले लिया गया है।

†**श्री हेम राज** : आदेश की दृष्टि से अधिकतर उपज, हजारों मन उपज, उस क्षेत्र से बाहर नहीं भेजी गई है। आलू का मूल्य घट गया। इस दृष्टि से कि अभी तक कृषकों के घर में आलू पड़ा हुआ है, क्या सरकार उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देगी जो अपनी उपज नहीं बेच सके हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमें ऐसा कोई अभ्यावेदन या सूचना नहीं दी जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

रेलगाड़ी पर विद्यार्थियों का आक्रमण

*७३८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ अक्तूबर १९५८ को बेगूसराय स्टेशन पर कुछ विद्यार्थियों ने सेना के व्यक्तियों के लिये रक्षित रेल के डिब्बे में घुसने का प्रयत्न किया और जब रेल लखमानिया स्टेशन पर रुकी तो बहुत से विद्यार्थियों ने डिब्बे को घेर लिया तथा उसमें बैठे हुये व्यक्तियों पर लाठी व ईंटें चलाई गईं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). ११–१०–५८ को सी० डी० कालिज, बेगूसराय के कुछ विद्यार्थी १० डाऊन ऐक्सप्रेस के उस डिब्बे में घुस गये जिसमें कुछ सेना के व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। एक वृद्ध स्त्री का पैर एक विद्यार्थी से दब जाने पर विद्यार्थियों और सेना के व्यक्तियों में झगड़ा हो गया तथा विद्यार्थियों को डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। वे रेल में कहीं और बैठ गये। लखमानिया स्टेशन पर पहुंचने पर विद्यार्थियों ने रेलवे स्टेशन पर उपस्थित अन्य विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों से मिलकर प्रश्नस्पद डिब्बे पर ईंटें फेंकी एवं सेना के व्यक्तियों पर लाठी भी चलाई। इस झगड़े में ४ सेना के व्यक्तियों, एक एक वर्ष के बालक तथा कुछ अन्य यात्रियों को चोट आई। बलिया के आंचल अधिकारी एवं स्थानीय स्कूल के अध्यापकों ने स्थिति पर काबू पाया। मामला सरकारी रेलवे पुलिस के हाथ में है। कोई भी विद्यार्थी नहीं पकड़ा गया।

†श्री रघुनाथ सिंह : पिछले तीन मास में उत्तर-पूर्व रेलवे पर विद्यार्थियों ने रेलों पर कितनी बार आक्रमण किया ?

†श्री शाहनवाज खां : पिछले दो वर्षों में बहुत सी घटनायें हुई हैं और विशेषकर बेगूसराय में छः घटनायें हुई हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह : ये जो छः केसेज़ हुये हैं, तीन वर्षों के अन्दर, इन छः केसों में कितने केसों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : मैं अलग पूर्वसूचना चाहता हूं।

टेलीप्रिन्टर्स

+

*७३९. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेलीप्रिंटर्स बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कारखाने पर लगने वाली पूंजी, उसकी व्यवस्था व उत्पादन क्षमता आदि का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उक्त कारखाने को स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) संबंधित बातों को दृष्टिगत रखते हुये, जिनमें उपलब्ध होने वाली धन-राशि का विचार भी है, मुझे यह निवेदन करना है कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और जब तक विचार-विमर्श का कोई परिणाम नहीं निकलता, मुझे खेद है कि मांगी गयी सूचना देना संभव नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो टेलीप्रिंटर्स की फैक्टरी स्थापित की जा रही है उसमें केवल अंग्रेजी या हिन्दी के ही टेलीप्रिंटर्स बनाये जायेंगे या दोनों भाषाओं के बनाये जायेंगे ?

श्री स० का० पाटिल : कोशिश हो रही है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के भी बनाये जायें।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस संबंध में जहां तक मुझे ज्ञात है कई विदेशी फर्मों के या सरकारों के साथ बात चल रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन कौन सी विदेशी सरकारें हैं जिनके कि साथ बातचीत चल रही है ?

श्री स० का० पाटिल : उनमें से एक मेसर्स क्रीड एंड कम्पनी आफ यूनाइटेड किंगडम की है। सीमेंस् एंड हाल्स के जर्मनी की और मेसर्स ओलिविटी इटली की है और अभी जो एक चौथी फर्म आई है वह जापान से आई है और उसका नाम है शिको सिसाकुशो।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह टेलीप्रिंटर्स की फैक्टरी कहां स्थापित की जायेगी, क्या इसका निर्णय हो गया है ?

श्री स० का० पाटिल : अभी वह सब काम विचाराधीन है जैसे मैंने कहा। अब यह कहां होगी और उसमें क्या होगा उसका तो अभी पता नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : क्या टेलीप्रिंटरों के निर्माण के लिये यह कारखाना बनाने के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं उस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि ये सारी बातें विचाराधीन हैं। हमने स्थान निर्धारित नहीं किया है।

†**श्री आसर** : क्या सरकार को हिन्दुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी और प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो से नागरी टेलीप्रिंटर के कार्य करने के बारे में जिसका कि बोर्ड जबलपुर तार कारखाने में बनाया गया था, कोई सूचना मिली है ? यदि हां तो क्या सरकार अंग्रेजी के टेलीप्रिंटरों को नागरी के बनाने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री जाधव** : अन्तिम निश्चय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इसके बारे में कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हम सर्वोत्तम पर विचार कर रहे हैं। इसमें हमारी आवश्यकता के विदेशी विनिमय की उपलब्धि का भी प्रश्न है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हुं कि यह जो विचाराधीन फैक्टरी है जब यह स्थापित हो जायेगी तो कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० का० पाटिल : इस फैक्टरी में तो ८० लाख रुपया लगेगा । लेकिन टेलीप्रिंटरों की आवश्यकता प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है, इसलिये अभी अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता कि कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

†**श्री आचार** : यदि मैंने माननीय मंत्री को ठीक समझा है तो उन्होंने कहा है कि ये टली-प्रिंटर अंग्रेजी व हिन्दी के होंगे । क्या वे अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में भी बनाये जायेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमारा विचार अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में बनाने का नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का अन्दाजा लगाया गया है कि हमारे देश में इस समय कितने अंग्रेजी के और हिन्दी के टेलीप्रिंटरों की आवश्यकता है, और जो योजना बनायी जा रही है उसके बाद क्या हमारा देश स्वावलम्बी हो जायगा ?

श्री स० का० पाटिल : माना जाता है कि स्वावलम्बी हो जायेगा । अन्दाजा तो यही है कि पहले तो ५०० प्रतिवर्ष बनेंगे, और चार पांच वर्ष के अन्दर यह संख्या एक हजार तक जायेगी, और जब यह संख्या एक हज़ार तक जायेगी तो मैं मानता हूं कि हमारे देश के लिये काफी होगी ।

पुल्लमपेट और कृष्णापुरम् के पास पुलों का बह जाना

†७४०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अक्तूबर १९५८ में आई बाढ़ में दक्षिण रेलवे की मद्रास-बम्बई लाइन पर एक पुल पुल्लमपेट के पास और दूसरा पुल कृष्णापुरम् के पास बह गया ;

(ख) कैसी और कितनी हानि हुई ; और

(ग) सामान्य संचार कब आरम्भ होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(१) **पुल संख्या ३३०, पुल्लमपेट के पास (३०' गोलाई के ८ दर)।**

केवल दो सिरों को छोड़ कर सारे दर व खम्भे व पुल की छत बह गई ।

(२) **कृष्णापुरम के पास पुल संख्या ५१३ (६२' गर्डर के ८ दर)।**

संख्या ५ व ६ के खम्भे और दो गर्डर पूरे बह गये तथा खम्भा संख्या ७ बुरी तरह खराब हो गया ।

(ग) सीधी जाने वाली रेलें अस्थायी बंधनों के साथ २५–१०–१९५८ से जानी आरम्भ हो गईं । स्थायी रूप से पुनः रेलों का आना जाना संभवत : अक्तूबर १९५९ तक आरम्भ होगा ।

†**श्री रामी रेड्डी** : ये दोनों पुल कब बने थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मुझे खेद है कि यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामी रेड्डी : क्या इन पुलों के पुराने होने के कारण खम्भों आदि की मजबूती कम हो गई थी और इस कारण वे धार की शक्ति सहन न कर सके ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : समय की पुल की अवधि से कोई संबंध नहीं है। वर्षा हुई और पानी की गति अत्यधिक बढ़ गई।

†श्री रामी रेड्डी : कितने मूल्य की हानि हुई ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इस पुल को स्थायी रूप से दुबारा बनाने में १४ से १५ लाख तक रुपये लगेंगे।

†श्री रामी रेड्डी : ये दो पुल हैं। मैं प्रत्येक पुल के बारे में जानना चाहता हूं।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : दो पुलों पर अस्थायी व्यय क्रमानुसार १.३ लाख रुपये और १.५ लाख रुपये हो चुका है। दोनों स्थायी पुनर्निर्माण में १४ से १५ लाख तक रुपये लगेंगे।

होम्योपैथी

†*७४१. श्री उ० च० पटनायक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथी के प्रशिक्षण व शिक्षा मानक निश्चित करने, इस विषय में गवेषणा व उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने तथा औषधि की इस प्रणाली को व्यवसाय रूप में अपनाने को विनियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): केन्द्रीय सरकार ने होम्योपैथी का प्रशिक्षण व शिक्षा अथवा औषधि की इस प्रणाली को व्यवसाय रूप में अपनाने को विनियमित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है।

जहां तक इस विषय में गवेषणा व उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने का संबंध है, केन्द्रीय सरकार राज्यों में गवेषणा-कार्य के लिये और विद्यमान शिक्षा संस्थाओं के विकास तथा नई शिक्षा संस्थायें स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों व गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान देती है।

हमने इस प्रश्न पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् में विचार किया था। हमने इन संस्थाओं का विकास राज्य सरकारों पर छोड़ रखा है। और हम राज्य की सिफारिश के अनुसार ही सहायता देते हैं।

†श्री उ० च० पटनायक : शिक्षा के स्टैण्डर्ड और वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथ की प्रेक्टिस के प्रश्न पर रिपोर्ट करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति की अन्तरिम रिपोर्ट के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं और अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†श्री करमरकर : आप किस समिति के लिये कह रहे हैं।

†श्री उ० च० पटनायक : हमें बताया गया है कि सरकार ने एक समिति नियुक्त की है।

†अध्यक्ष महोदय : किस सरकार ने समिति नियुक्त की थी ?

†श्री उ० च० पटनायक : कदाचित यह दवे समिति है। मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूं किन्तु यह वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथ की शिक्षा और प्रेक्टिस के संबंध में समान स्टैण्डर्ड की स्थापना के

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रश्न पर अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट है ।

†**श्री करमरकर** : यह पुरानी बात हो चुकी है । माननीय मित्र दवे समिति का निर्देश कर रहे हैं । परिषद् की पिछली बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी और राज्य सरकारों और मंत्रियों के दृष्टिकोण जानने के पश्चात् अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह विषय राज्यों पर छोड़ना श्रेयस्कर होगा । हमने उन्हें उतनी ही सहायता दी है जिसके लिये राज्य सरकारों ने सिफारिश की थी । हम इससे आगे कोई व्यवधान प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि होम्योपैथ की सुलभता अथवा सफलता के कारण अनेक व्यक्ति इसकी प्रेक्टिस करने लगे हैं तब क्या सरकार इस प्रैक्टिस की पुनरीक्षा कर इस बात का प्रयत्न करेगी कि इसका राष्ट्रीय हित में उपयोग किया जाये ?

†**श्री करमरकर**: हम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । राज्य सरकारें ही आवश्यक कदम उठायेंगी । प्रत्येक राज्य इस प्रकार की कार्यवाही करने में स्वतंत्र है । हम इस विषय में राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि विभिन्न राज्य होम्योपैथ तथा अन्य प्रणालियों के बारे में अलग अलग कदम उठा रही हैं ।

केरल में बाढ़ नियंत्रण

+

†*७४३. { **श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में बाढ़ नियन्त्रण के लिये वित्तीय सहायता की मांग के लिये केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में बाढ़ नियंत्रण के लिये केरल सरकार को कुल कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७७]**

†**श्री अ० क० गोपालन** : राज्य सरकार ने १९५७–५८ में कितनी रकम खर्च की है ?

†**श्री हाथी** : विभिन्न राज्यों ने अथवा केवल केरल राज्य द्वारा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न केरल के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हाथी : १९५७–५८ में केरल सरकार को ५ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था। राज्य सरकार द्वारा केवल ०.९१ लाख रुपये यथार्थतः खर्च किये गये।

†श्री अ० क० गोपालन : मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने १९५७–५८ में कितना खर्च किया था?

†श्री हाथी : मेरे पास पिछले वर्षों के आंकड़े नहीं हैं।

†श्री कोडियान : राज्य सरकार ने किन किन योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता मांगी है?

†श्री हाथी : राज्य के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड योजनाएं तैयार करते हैं और केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड उन्हें मंजूर करता है। किन्तु यदि योजना पर १० लाख रुपये से कम खर्च होते हैं तो स्वयं राज्य सरकार ही इसे क्रियान्वित कर सकती हैं। उन्हें केन्द्र के पास आने की आवश्यकता नहीं है।

†श्री नारायणन् कुट्टी मेनन : क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना के लिये ५ लाख रुपये की मंजूरी अपर्याप्त है अतः अतिरिक्त रकम की आवश्यकता है? सरकार ने इस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की है?

†श्री हाथी : हमने १९५८–५९ के लिये २० लाख रुपये का उपबन्ध किया है।

मंगलौर पत्तन

+

†*७४६. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह तथा अन्य अयस्कों के निर्यात में सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से मंगलौर पत्तन का विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव था कि मंगलौर और हसन के बीच रेलमार्ग को विकसित किया जाये? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है? क्या द्वितीय योजना की अवधि में यह हो जायेगा?

†श्री राज बहादुर : मंगलौर पत्तन के विकास के प्रश्न पर विचार करते समय सड़क और रेलमार्ग के निर्माण पर भी विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० क० गोपालन : क्या दिल्ली में हाल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की मीटिंग के समय क्या इस विषय पर सरकार और इटालियन प्रतिनिधिमण्डल के बीच चर्चा हुई थी ?

†श्री राज बहादुर : मुझे किसी प्रतिनिधिमण्डल और उससे की गई बातचीत की जानकारी नही है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर अरूर पुल

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. { श्री नारायणन् कुट्टी मेनन : श्री वासुदेवन नायर : श्री अ० क० गोपालन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि हां, तो क्या केरल में अरूर पुल का निर्माण हाल ही में ोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ करने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १ दिसम्बर, १६५८ के पश्चात इसके निर्माण कार्य में कुछ दिनों के लिये गति धीमी कर दी गई थी।

(ख) श्रमिकों और ठेके की फर्म में परस्पर कुछ गलतफहमी के कारण ऐसा हो गया था।

(ग) ६ दिसम्बर, १६५८ से यह कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

†श्री नारायणन् कुट्टी मेनन : क्या यह सच नहीं है कि ठेकेदार की वित्तीय असमर्थता के कारण इस कार्य की गति मन्द हो गई थी ?

†श्री राज बहादुर : कुछ वित्तीय कठिनाइयों के परिणामस्वरूप ठेकेदार को भूतकाल में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इसीलिये काम की गति मन्द हो गई थी और मजूरों के झगड़े पैदा हो गये थे। हाल ही में फिर एक सप्ताह के लिये भुगतान की रकम बाकी रह गई थी इसीलिये यह विवाद खड़ा हुआ है। किन्तु अब यह समस्या हल हो गई है।

†श्री नारायणन् कुट्टी मेनन : क्या यह सच नहीं है कि निर्माण कार्य के प्रारम्भ काल से ही श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं हुआ है अतः उन्ह मजूरी के लिये महीनों प्रतीक्षा करमी पड़ती है ?

---

†मूल अंगेजी में

†**श्री राज बहादुर** : यह कहना कि उन्हें कभी समय पर भुगतान नहीं किया गया सर्वथा सामान्य वक्तव्य होगा। कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और इन्हीं कठिनाइयों के फलस्वरूप श्रमिक विवाद भी उठे हैं।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या परियोजना पूरी करने के लिये अन्तिम तारीख निर्धारित की गई थी ?

†**श्री राज बहादुर** : यह अप्रैल, १९५९ है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार अब भी यह अनुभव करती है कि यह काम उस समय तक पूरा हो जायेगा अथवा क्या उसकी अवधि बढ़ानी होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : यह समय से लगभग एक वर्ष पिछड़ा हुआ है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार ने समवाय की आर्थिक स्थिति ठेका देने से पहले जांच की थी ?

†**श्री राज बहादुर** : समवाय का नाम है —— मैसर्स स्टैस कांक्रीट कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, मद्रास। उनके अपने डेपूटेशन हैं। सरकार ने पूरी योग्यता से इस बात का संतोष कर लिया था किन्तु फिर भी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** : क्या यह सच है कि इस समवाय के खाते में बैंक में ५,००० रुपये भी नहीं हैं।

†**श्री राज बहादुर** : मेरा उनसे सम्पर्क नहीं है और मैं उनके बारे में घनिष्ठ जानकारी नहीं रखता हूं।

†**श्री रंगा** : वर्तमान निर्माण कार्य की अविलम्बनीयता देखते हुए क्या सरकार इस समवाय की वास्तविक अवस्था के सम्बन्ध में संतुष्ठ है, क्या सरकार के लिये उन्हें वित्तीय सहायता देना सम्भव नहीं है ताकि वह इस कार्य को पूरा कर सके ?

†**श्री राज बहादुर** : इस समवाय ने लगभग ६७ प्रतिशत काम तो पूरा कर दिया है। हमने उनसे यह भी कहा है कि हम कुछ अग्रिम रकम देने के लिे तैयार हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव हैं और उन पर विचार किया जायेगा। किन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि समवाय की वित्तीय कठिनाइयां दूर हो गई हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्लाइडरों के निर्माण के लिये लकड़ी

†*७२४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लाइडरों के निर्माण के लिये प्रयुक्त होने वाली एक विशेष प्रकार की लकड़ी जम्मू तथा काश्मीर में उपलब्ध है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्मू और काश्मीर में उपलब्ध लकड़ी इस कार्य के लिये विदेशों से पर्याप्त लकड़ी से श्रेष्ठ है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थानीय लकड़ी को प्रयुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) जी हां।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर में उपलब्ध स्प्रूस लकड़ी की मजबूती विदेशों से मंगाई जाने वाली मिटका स्प्रूस से मिलती जुलती है। यह कहना सम्भव नहीं है कि यह आयात की गई लकड़ी से श्रेष्ठ है।

(ग) ग्लाईडर के निर्माण में संलग्न फर्में ग्लाइडरों के निर्माण के लिये भारतीय स्प्रूस के सम्बन्ध में जानकारी रखती हैं और वह आयात की जाने वाली लकड़ी के स्थान पर देशी लकड़ी काम में लेने पर विचार कर रहे हैं।

ताहिरपुर बस्ती, दिल्ली

*७२५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झिलमिला ताहिरपुर बस्ती में दिया जाने वाला पानी खारा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उसे पीने योग्य बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

(घ) क्या और कहीं से पीने का पानी देने के बारे में जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में साफ किया गया पानी उपलब्ध नहीं है। नल कूपों का पानी खारा है।

(ग) कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन पानी के रोजाना बाहर खींचे जाने से खारापन कुछ कम हो गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकार इस बारे में दूसरे स्थान की खोज कर रहा है और उपयुक्त स्थान के मिलते ही पीने योग्य अच्छे पानी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

बिजली के खंबे

†*७२७. **श्री राम कृष्ण** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में देश में बिजली लगाने के लिये लोहे के खंबों की आवश्यकता के बारे में निर्धारण किया गया है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) सरकार किस प्रकार इस आवश्यकता को पूरा करने का विचार रखती है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) किसी प्रकार का व्यापाक निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजनाओं के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग १० लाख खंबों या प्रति-वर्ष के लिये औसतन दो लाख खंबों का अनुमान लगाया गया है। नगरीय योजनाओं की आवश्यकता उपरोक्त आंकड़े से जूदा है।

(ख) खंबों की आवश्यकता पूर्ती जंगलों के स्वदेशी साधनों और अन्य विधियों से पूरी करने का विचार है अर्थात् दबे हुए कंकरीट के खंबे, सीमेंट कंकरीट से मिलकर बनाये गये खंबे, पुरानी रेल की पटरियां और रोल्ड स्टील सैक्शन। विदेशी मुद्रा और कीमतों की उपयुक्तता तथा किन्हीं कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त रेल की पुरानी पटरियों के आयात से भी इनकी आवश्यकता पूरी की जायेगी। जहां तक बिजली लगाने की चालू योजनाओं का सम्बन्ध है, खंबों की कमी की कोई सम्भावना नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभाव स्थिति

†*७३१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से पूर्वी जिलों में अभी भी अभाव स्थिति विद्यमान है ; और

(ख) नवम्बर में केन्द्र द्वारा कितना खाद्यान्न सम्भरित किया गया था और दिसम्बर, १९५८ में कितनी मात्रा सम्भरित करने की संभावना है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से पूर्वी जिलों में खरीफ की फसल अच्छी होने की रिपोर्ट मिली है और खरीफ के अनाज की कीमतें गिरावट की ओर हैं।

(ख) नवम्बर, १९५८ में उत्तर प्रदेश को लगभग ९३,००० टन खाद्यान्न सम्भरित किया गया था ; इसमें राज्य के रोलर फ्लोर मिलों में सम्भरित किया गया विदेशी गेहूं भी सम्मिलित है। दिसम्बर में लगभग ७२,००० टन सम्भरित करने का विचार है।

दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश

†*७३२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अतिथि नियंत्रण आदेश का कई स्थितियों में उल्लंघन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले पकड़े गये हैं और आदेश का उल्लंघन करने के लिये कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी नहीं । अभी तक केवल एक मामले का पता लगा है और सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध मामला चल रहा है।

जम्मू तथा काश्मीर में सामुदायिक विकास परियोजनाएं

†*७३४. **श्री केशव** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर में इस समय कितनी सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही हैं ;

(ख) क्या वहां कोई ऐसा खण्ड भी है जहां उद्योगों के लिये कोई अग्रिम परियोजना नहीं है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में इस समय ५२ सामुदायिक विकास खण्ड चल रहे हैं ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में उद्योगों के लिये एक अग्रिम परियोजना है जिसका हेडक्वार्टर अनन्तनाग में है।

(ग) शिमला में मई १९५५ में आयोजित विकास आयुक्त कान्फ्रेन्स की सिफारिश के अनुसार २६ अग्रिम परियोजनाएं। (कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग) प्रत्येक राज्य में एक-एक के आधार पर देश में आरम्भ की गई थीं। तदनुसार जम्मू तथा काश्मीर में भी इस प्रकार की एक परियोजना आवंटित की गई थी ?

पूर्वोत्तर रेलवे में चोरियां तथा डाके

†*७४२. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी चोरियां और डाके डाले गये थे और इनमें रेलवे तथा यात्रियों की कितनी कितनी हानि हुई ;

(ख) कितने मामलों में मुकदमे चलाये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि १८ सितम्बर, १९५८ में लखनऊ जाने वाली अवध-तिरहुत मेल ट्रेन में वस्त्र विक्रेताओं के वेश में उपद्रव कारियों के एक गिरोह ने डाका डाला था ; और

(घ) यदि हां, तो इन लोगों ने किस विधि का आश्रय लिया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

(क) चोरियां	१२३०
लूट	५
रेलवे की हानि	८१,३४५ रुपये
यात्रियों की हानि	१,१४,२४९ रुपये ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ११९

(ग) और (घ): इस प्रकार के किसी मामले की रिपोर्ट किसी यात्री ने गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को नहीं दी।

उड़ीसा में फलों के उद्यान

†*७४४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फलों की वाटिकाओं के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने सहायता देने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यह योजना कब से कार्यान्वित है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां। १९५६-५७ में एक योजना प्रस्तुत की गई थी जो स्वीकार हो गई थी।

(ग) अभी राज्य सरकार ने इस योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

इण्डिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, होसपेत

†*७४५. **श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के इण्डिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज, लिमिटेड, होसपेत ने गन्ना उत्पादकों को १९५६-५७ और १९५७-५८ की अवधि के लिये 'सिसमा' बोनस की रकम का भुगतान नहीं किया है;

(ख) क्या सालारजंग शुगर मिल लिमिटेड, मुनीराबाद, मैसूर राज्य ने १९५७-५८ की गन्ना पेरने के मौसम में सम्भरित गन्ने की पूरी कीमत अभी तक गन्ना उत्पादकों को नहीं दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५६-५७ में कोई 'सिसमा' बोनस बकाया नहीं था। १९५७-५८ के बारे में लेखों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् यह स्थिति मालूम होगी।

(ख) १९५७-५८ की ऋतु में गन्ने की कुल कीमत २४.४९ लाख रुपये में से केवल ३० हजार रुपये देना शेष है।

(ग) राज्य सरकार से बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिये कहा गया है।

त्रिपुरा में पंचायतों के चुनाव

†*७४७. **श्री दशरथ देव** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री पंचायत अधिनियम के अधीन त्रिपुरा में पंचायतों का चुनाव कराने के लिये की गई कार्यवाही बताने की कृपा करेंगे ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: इस विषय में आवश्यक विधान पारित होने के पश्चात् पंचायतों के चुनाव कराये जायेंगे। यह विषय विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में आलू की गहन खेती

†*७४८. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में आलू की गहन खेती के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सीमा तक सहायता दी गई है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों को ऐसी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रशासन ने विशेष रूप से आलू की गहन खेती के लिये इस प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है । १९५६-५७ में ५ लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण और १९५७-५८ में ५ लाख रुपये का दीर्घकालीन ऋण आलू के बीजों के विपणन के लिये दिया गया है ।

(ग) जी नहीं । किसी भी राज्य ने भारत सरकार से इस प्रकार सहायता की मांग नहीं की है ।

एयर इण्डिया इंटरनेशनल द्वारा पवन जनित शक्ति[1] का उपयोग

†*७४९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया इंटरनेशनल शनै शनै वायुजनित शक्ति का उपयोग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हुए हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). एयर इंडिया इंटरनेशनल ने वायुजनित शक्ति से चलने वाले तीन विमानों का आर्डर दिया है जिन का नाम बोइंग ७०७ जैट है । उम्मीद है ये विमान १९६० के प्रारम्भ में उपलब्ध हो जायेंगे ।

चावल की खरीद

†*७५०. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक केन्द्रीय सरकार ने दक्षिण जोन से कितना चावल खरीदा है; और

(ख) कितनी कितनी मात्रा में ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) दक्षिण चावल जोन में भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के केवल चार तटीय जिलों में चावल खरीदा है । केन्द्र सरकार द्वारा खरीदे गये और उन्हें यथार्थ रूप में प्राप्त चावल १ जनवरी, १९५८ से ३० नवम्बर, १९५८ तक लगभग १,९९,००० टन है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य स्थानों में प्राप्त हुआ चावल केन्द्रीय भाण्डारागार में जाता है । उस के पश्चात् केन्द्र राज्यों को उन की आवश्यकता के अनुसार आवंटन करता है । चालू वर्ष में १९५८ में अक्तूबर के अन्त तक मद्रास राज्य को लगभग ८,००० टन चावल और केरल राज्य को लगभग ९८,००० टन चावल सम्भरित किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Turbine Power.

रेलवे फेडरेशनों में एकता

†*७५१. श्री हाल्दर:
श्री राजेन्द्र सिंह:
श्री अरविंद घोषाल:
श्री हेम बरुआ:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे मेन्स फैडेरेशन और नेशनल फैडेरेशन आफ इण्डियन रेलवे मेन—इन दोनों संगठनों में एकता स्थापित करने के लिये वसावडा-गुरुस्वामी समझौते से उत्पन्न विवाद में सरकार पंच निर्णय लागू करने का प्रस्ताव रखती है।

(ख) क्या पंच निर्णय के पहले नेशनल फैडेरेशन आफ इण्डियन रेलवे मेन ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि संगठन को बाध्य करने वाला कोई वैध लिखित समझौता नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या नीति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). फैडेरेशनों की प्रार्थना पर इन दोनों में एकता स्थापित करने के दौरान किसी सम्भावित विवाद को हल करने के लिये पंच निर्णय के रूप में उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश की सेवायें दोनों फैडरेशनों को सौंप दी गई थीं। प्रश्न के भाग (ख) में वर्णित सुझाव नेशनल फैडेरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन द्वारा अपनाया गया था किन्तु मौखिक और लिखित साक्ष्य पर भली प्रकार विचार करने के पश्चात् मध्यस्थ ने यह सम्मति प्रकट की कि आल इंडिया रेलवे मेन्स फैडेरेशन और नेशनल फैडेरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन में लिखित रूप में वैध समझौता किया गया था और नेशनल फैडेरेशन आफ इण्डियन रेलवेमेन द्वारा उठाई गई आपत्ति आधारहीन है। यह मध्यस्थ निर्णय दोनों पार्टियों के बीच था और मध्यस्थ द्वारा व्यक्त विचारों पर वह ध्यान देंगे।

सरकार अभी भी इस बात के लिये उत्सुक है कि स्वयं अपने ही हित में रेलवे कर्मचारियों को एकता रखना चाहिये। उचित अवसर पर एकता स्थापित करने के प्रयत्न पुनः किये जायेंगे।

डाकखाने के बचत बैंक खातों से सप्ताह में दोबार रुपया निकालना

†*७५२. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अप्रैल १९५८ से डाक खाने के बचत बैंक से सप्ताह में दो बार तथा अधिकतम एक हजार रुपया निकालने की सुविधा लागू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा भारत में सारे डाकखानों में लागू की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

बेलडांग शुगर मिल

†*७५४. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने हाल में ही एक प्रस्ताव भेजा है कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांग शुगर मिल को पुनः चालू किया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि हाल में ही एक गन्ना उत्पादक सहकारी संस्था बनाई गई है एवं अमुक संस्था ने कारखाना मोल लेने का टेण्डर भेजा है;

(ग) क्या सरकार ने बेलडांग कारखाना पुनः चालू करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। एक सहकारी संस्था बनाई गई है परन्तु यह एकमात्र गन्ना उत्पादकों की ही नहीं है और अभी तक कोई अंश पूंजी एकत्रित नहीं की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) अमुक क्षेत्र में गन्ने का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, परन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक अभ्यावेदन भेजा है जो विचाराधीन है।

रेडियो-एक्टिव ट्रेसर

†*७५५. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य बन्दरगाहों तथा नदियों में रेत जमा होने का अध्ययन करने के लिए रेडियो एक्टिव ट्रेसरों का प्रयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या अभी तक कोई प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन की तफसील क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) बन्दरगाह में जाने के रास्ते के तलकर्षण[1] की योजना के संबंध में बम्बई बन्दरगाह पर रेडियो-एक्टिव ट्रेसर के प्रयोग का प्रबन्ध किया गया है। प्रयोग करने का उद्देश्य जमे रेत को हटाने का अध्ययन करना तथा तल से खुर्ची गई मिट्टी को डालने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनना है। अन्य बन्दरगाहों में या नदियों में ऐसे ही प्रयोग करने का कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dredging.

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) बम्बई बन्दरगाह में प्रस्तावित प्रयोग की तफसील निम्न है :—

जमा रेत से, जिसमें स्कैंडियम ४६ युक्त कांच और मिट्टी उसी मात्रा में मिली हो जिसमें कि बन्दरगाह के तल पर पाये जाते हैं, हार्वेल, इगलैंड में रोएक्टर द्वारा ३० क्यूरीज तक सक्रिय बनाया जायेगा । सक्रिय रेत प्राकृतिक तल-पदार्थ के साथ मिलाकर एक मुख्य यन्त्र द्वारा चुने गये जमा करने के स्थान पर जमा किया जायेगा । सक्रिय बनाये गये इस रेत को ज्वार भाटे को न्यूनतम परिस्थितियों में हटाने को समुद्र तल पर रखे गये या साथ साथ हटाये गये गोगर काउन्टरों[1] तथा रेट मीटरों[2] द्वारा रेडियो सक्रियता रखकर देखा जायेगा । इस उपाय से सक्रिय बनाये गये रेत को हटाये जाने की ३ मास तक समय समय पर जांच की जायेगी तथा यदि यह पता लगता है कि पदार्थ मार्ग में पुनः नहीं आते, तो जमा करने के स्थान को उपयुक्त स्थान स्वीकार कर लिया जायेगा ।

जेट विमानों द्वारा यात्रा

†*७५६. **श्री साधन गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेट विमानों द्वारा यात्रा पर अधिभार लगाने की वांछनीयता या अवांछनीयया के बारे में कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निश्चय क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार स्थायी समिति

†*७५७. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल डाक तथा तार विभाग के लिए नियुक्त स्थायी समित्ति कार्य कर रही है; और

(ख) क्या यह समिति कर्मचारियों की शिकायतों पर शीघ्रता से कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख). हां ।

गन्दी बस्तियां

*७५८ { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मार्गस्थ शिविर स्थापित करना चाहता है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Gieger Counters

[2] Rate Meters

(ख) यदि हां, तो `शिविर कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) कितने शिविर स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) इस सम्बन्ध में किन-किन गन्दी बस्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) (१) पुरानी रोहतक रोड (सराय रोहिल्ला) से परे बाग अम्बा क्षेत्र।

(२) बाग अम्बा (सराय रोहिल्ला) के सामने पद्म चन्द की जमीन।

(३) अन्धा मुग़ल।

(४) नजफ़गढ़ रोड पर मोतीनगर के निकट औद्योगिक क्षेत्र।

(ग) चार शिविर जिन में २८८ घर होंगे।

(घ) नबी करीम क्षेत्र की गन्दी बस्तियों से हटाये जाने वाले लोगों को ये घर दिये जाने का विचार है। परन्तु "दूजना हाऊस" के निवासियों में से यदि कोई इनमें से किसी स्थान में जाना चाहेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

बम्बई राज्य में काजू की खेती

†*७५९. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई राज्य में काजू की खेती की कोई योजना कार्यान्वित की है ?

(ख) यदि हां, तो बम्बई राज्य के किस भाग में ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता मंजूर की है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितना धन मंजूर किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हां।

(ख) (१) कोल्हापुर खंड के रक्षित बनों में (२) कोल्हापुर, रत्नगिरी और कोलाबा जिलों के उन क्षेत्रों में जहां वन नहीं हैं।

(ग) हां।

(घ) १९५७-५८ में १,९३० रु० का अनुदान तथा १२,५०० रु० का ऋण स्वीकार किया गया था। चालू वित्त-वर्ष के लिए देय राशियों की मंजूरी वर्ष के अन्त में दी जायेगी।

असैनिक विमान-चालकों का प्रशिक्षण

†*७६०. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राहुल समिति की विमान-चालकों के उत्तम प्रशिक्षण के लिए वे क्या सिफारिशें हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) उन्हें लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) तथा (ख). मैं अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पुलिस और टिकट कलक्टरों में झगड़ा

+

†*७६१. { श्री मोहम्मद इलियास :
श्री पाणिग्रही :
श्री हाल्दर :
श्री सरजू पाण्डे :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सुबिमन घोष :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २१ नवम्बर, १९५८ के "आनन्द बाज़ार पत्रिका" में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि २० नवम्बर, १९५८ को हावड़ा स्टेशन पर रेलवे पुलिस तथा टिकट कलक्टरों के दो दलों में झगड़ा हो गया जिसके परिणामस्वरूप अनेकों व्यक्तियों को चोट आई ;

(ख) यदि हां, तो घटना की विस्तृत बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां। घटना १९-११-५८ को हुई थी तथा ११ व्यक्तियों को चोट आई ।

(ख) टिकट कलैक्टरों के अनुसार एक सिपाही सादा कपड़ों में बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। उसने उचित किराया देने से मना कर दिया, और उसे हैड टिकट कलैक्टर के दफ्तर में ले जाया जा रहा था कि उसी बीच में सरकारी रेलवे पुलिस के अन्य सिपाही उसके बचाव के लिए आ गये तथा वे टिकट कलैक्टरों पर टूट पड़े। पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारियों के अनुसार इस साधारण कपड़े वाले सिपाही ने एक टिकट कलैक्टर को एक बिना टिकट वाले यात्री को रिश्वत लेकर द्वार से निकालते हुए पकड़ा और टिकट कलैक्टर को बन्दी बनाया। जिस समय वह पलेटफार्म इन्स्पैक्टर के दफ्तर ले जाया जा रहा था, अन्य टिकट कलैक्टर उसके बचाव के लिये आ गये जिसके परिणामस्वरूप दोनों दलों में झगड़ा हो गया ।

(ग) तुरन्त ही स्थानीय रेलवे तथा पुलिस अधिकारी घटना-स्थल पर आ गये एवं एक पुलिस अधिकारी और एक रेलवे अधिकारी की एक समिति बनाई जो घटना की संयुक्त जांच करेगी। आशा है कि उनकी जांच हाल में समाप्त हो जायेगी तथा उनके प्रतिवेदन पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

होटल मान एवं दर निर्धारण समिति का प्रतिवेदन

†*७६२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १००६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होटल मान एवं दर निर्धारण समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने होटल समिति की आठ मुख्य सिफारिशों में से छः सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। होटल वालों को वैत्तिक सहायता तथा मद्यनिषेध नियमों में छूट सम्बन्धी सिफारिशों पर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा यात्रा व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विचार किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी खेती

७६३. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार हिमाचल प्रदेश में सहकारिता के आधार पर खेती कराने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पांच सहकारी खेती की सोसाइटियों की स्थापना के लिये एक लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है। इस चालू वर्ष में एक सोसाइटी का संगठन हो सकता है।

आठ पहियों वाले माल डिब्बे

+

†*७६४. { **श्री द्वारका नाथ तिवारी** : **श्री बहादुर सिंह** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ पहियों वाले माल डिब्बे बनाये जा रहे हैं जो ५५ टन भार ले जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में ऐसे कितने माल-डिब्बे बनाने का विचार है ;

(ग) क्या छोटी लाइन के लिये भी बड़े माल-डिब्बे बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इन माल डिब्बों की भार ढोने की कितनी क्षमता होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां।

(ख) १९५८-५९ के रेल डिब्बे आदि कार्यक्रम में ऐसे १७५० माल डिब्बों का क्रमादेश दिया गया है।

(ग) तथा (घ). मामला विचाराधीन है।

जहाज की मरम्मत करने की सुविधायें

†*७६५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े बड़े बन्दरगाहों में जहाजों की मरम्मत करने की विद्यमान सुविधाओं की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने इस मामले में अपनी पूछताछ समाप्त कर ली है;

(ख) यदि हां तो क्या प्रतिवेदन सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : समिति ने अपनी पूछताछ समाप्त कर ली है तथा सरकार को उसका प्रतिवेदन बहुत शीघ्र मिलने वाला है ।

दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों के लिए होस्टल

†*७६६. **श्री केशव** : क्या रेलवे मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे पर रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होस्टल बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आर्थिक सहायता प्राप्त होस्टल का स्थान भाषा के आधार पर चुना जाता है । किसी भी विशिष्ट रेलवे के कर्मचारी के बच्चे अपने लिए अपनी पसन्द की भाषा का होस्टल चुन सकते हैं वह चाहे कहीं भी स्थित हों । दक्षिण रेलवे पर कन्नड़, मलयालम तथा तामिल भाषाओं के लिए मैसूर ओलावा-कोट और त्रिचिनापल्ली में एवं तेलगू के लिए मध्य रेलवे पर सिकन्दराबाद में होस्टल बनाये जायेंगे । इसमें दक्षिण रेलवे कर्मचारियों के बड़े बड़े भाषाई दल आ जाते हैं ।

अगस्त १९५८ में मंजूरी दे दी गई है और होस्टलों की इमारतें बनाने में कुछ समय लगेगा । स्कूलों तथा कालिजों के आगामी अध्ययन काल से आर्थिक सहायता प्राप्त होस्टल आरम्भ करने की दृष्टि से रेलवे प्रशासनों से कहा गया है कि वे इमारतों के तैयार होने तक के लिए उन स्थानों में उपयुक्त इमारतें किराये पर ले लें जहां होस्टल स्थापित किये जायेंगे ।

डाक-तार परिमंडलों का पुनर्गठन

*७६७. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बोडयार :
श्री महन्ती : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के लिये एक नये डाक तथा तार प्रशासनिक परिमंडल बनाने व देश भर के परिमण्डलों का पुनर्गठन के प्रश्न के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या विभिन्न परिमण्डलों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) दोनों प्रश्नों पर क्रियात्मक रूप से विचार किया जा रहा है । समीपस्थ परिमण्डलों का पुनर्गठन किये बिना मैसूर परिमण्डल नहीं बनाया जा सकता है । अतः इस विषय में सविस्तार विचार करना आवश्यक है और इसे अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रक्खा गया है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

रासायनिक उर्वरक

†*७६८. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में बताया गया हो कि :

(क) १९५७ तथा १९५८ में भारत में अब तक विभिन्न उत्पादन एककों में रासायनिक उर्वरक कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस मामले में विदेशों से कितना उर्वरक आयात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि कृषकों को बेचे गये उर्वरक का मूल्य बढ़ गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]

(ग) तथा (घ) नहीं श्रीमान् । अप्रैल १९५७ से मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

नार्वे के माल ढोने वाले जहाज

†*७६९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे से माल ढोने वाले जहाज खरीदने का अथवा भारतीय नौवहन समवायों को इस कार्य के लिये अग्रिम देय देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नार्वे के एक दलाल ने अस्थगित भुगतान के आधार पर इमारती सामान ढोने वाले एक नये जहाज की पुनः बिक्री का प्रस्ताव किया है ।

(ख) ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद की पानी-कलों[1] का नये नमूने का बनाया जाना

†*७७०. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद की पानी-कलों एवं नाली प्रणाली को नये नमूने का बनाने के लिये वैत्तिक सहायता की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रार्थना कब प्राप्त हुई थी ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां ।

(ख) प्रार्थना जुलाई, १९५८ में प्राप्त हुई थी ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में देने के लिये ५ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं । यह राशि अर्थोपाय पेशगी के रूप में प्रति मास दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Water Works.

विमान सेवा करार

†*७७१. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इटली के साथ विमान सेवा सम्बन्धी करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) तथा (ख). भारत सरकार तथा इटली सरकार के बीच प्रारूप द्विपक्षीय विमान यातायात सम्बन्धी करार को, जिस पर २ अगस्त १९५८ को नई दिल्ली में इस कार्य के लिये नियुक्त भारतीय तथा इटली के प्रतिनिधिमण्डल ने हस्ताक्षर किये थे, दोनों सरकारों का अनुमोदन प्राप्त हो गया है तथा शीघ्र ही इस पर रोम में हस्ताक्षर हो जायेंगे । करार पर हस्ताक्षर होने तक, इस के बारे में बताना उचित नहीं है ।

डाक तथा तार विभाग का रेलवे बोर्ड के नमूने पर गठन

†*७७२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पद्म देव :
श्री दामानी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री वि० चं० शुक्ल :
चौ० रणवीर सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २० अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग का रेलवे बोर्ड के नमूने पर गठन करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस मामले में कब तक निश्चय किया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) तथा (ख). विभाग का पुनर्गठन का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है । बहुत समस्याओं के निहित होने की दृष्टि से यह मामला तय करने में कुछ समय लगेगा ।

जमीन में पानी की खोज की योजना

†*७७३. श्री राम कृष्ण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० सी० एम० के साथ 'जमीन में पानी की खोज की योजना' नामक कोई योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) हां।

(ख) परियोजना का उद्देश्य सिंचाई के लिये बड़े पैमाने पर नल कूप बनाने की संभावनाओं का निश्चित रूप से पता लगाने की दृष्टि से चुने हुए क्षेत्रों में जमीन में पानी की संभाव्यताओं का सर्वेक्षण करना है। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ने पहिले प्राप्त भूतत्वीय तथा जल-विज्ञान संबंधी जानकारी के आधार पर पन्द्रह अधिक संभावना वाले क्षेत्रों को चुना है। खोजात्मक छिद्रण के समय उपलब्ध जल की मात्रा तथा किस्म के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित की जाती है। अधिक जल फैंकने वाले छेद्रों को नलकूपों का रूप दे दिया जाता है तथा उन्हें राज्य सरकारों को दे दिया जाता है। ऐसे नल कूपों की लागत को दीर्घकालीन ऋण के रूप में माना जाता है।

गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर पुल

*७७४. श्री भक्त दर्शन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़मुक्तेश्वर के निकट मेरठ और मुरादाबाद के बीच गंगा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) देर से देर यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मांगी गई सूचना के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) लगभग १९६० के अन्त तक।

वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन

†*७७५. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २० अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस तेलवाहक जहाज़ की कुल लागत क्या है जिस के लिये वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन ने क्रयादेश दिया है ; और

(ख) यह कब दिया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ८१५,५००,००० जापानी येन (लगभग १.०८ करोड़ रुपये)

(ख) आशा है कि तेलवाहक जहाज़ १९५९ में जुलाई से सितम्बर तक किसी समय दिया जायेगा।

कारोनेशन पिलर तथा केशवपुर के पास मल शोधन संयंत्र[1]

†१११६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कारोनेशम

†मूल अंग्रेजी में
[1]Sewage Treatment Plant.

पिलर तथा केशवपुर के पास मल-शोधन संयंत्रों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये गैस के उत्पादन में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित सूचना निम्न है :

कारोनेशन संयंत्र

दिल्ली नगर निगम ने गैस के संभाव्य ग्राहकों की संख्या का पता लगाने के लिये बस्ती में पूछताछ की थी । मांग कम होने के कारण प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया ।

केशवपुर संयंत्र

यह संयंत्र अभी चालू नहीं हुआ है । गैस-शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने का विचार है जो संयंत्रों को चलाने में प्रयोग की जायेगी ।

डाक-सुविधाओं का विस्तार

†१११७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में डाक-सुविधाओं के विस्तार के आधार की, उस योजना के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के अनुसार, समीक्षा करने में और कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और आशा है कि अन्तिम आदेश शीघ्र ही जारी हो जायेगा ।

बड़ी सिंचाई योजनायें

†१११८. श्री राम कृष्ण : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के बाद के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कुल कितने एकड़ अतिरिक्त भूमि में बड़ी सिंचाई योजनाओं के अधीन सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया था; और

(ख) इसी अवधि के प्रत्येक वर्ष में वास्तव में कुल कितने क्षेत्र ने इन सुविधाओं से लाभ उठाया ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में जिन अतिरिक्त क्षेत्रों में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का उपबन्ध किया जाना था उनका क्षेत्रफल क्रमशः १६.६ लाख एकड़ और ७.२ लाख एकड़ था ।

(ख) १९५६-५७ में इन सुविधाओं से वास्तव में जिस क्षेत्र को लाभ पहुंचा उसका क्षेत्रफल ७.१ लाख एकड़ था । १९५७-५८ के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गार्ड रहित रेलगाड़ी

†१११६. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ अक्तूबर, १६५८ को दिल्ली से फीरोजपुर जाने वाली सवारी गाड़ी एक स्टेशन तक बिना गार्ड के गयी और गोले वाला स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने आगे की यात्रा के लिये गार्ड का काम किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). १३ अक्तूबर, १६५८ को ३६६ अप (दिल्ली-फीरोजपुर) पैसेंजर गाड़ी उत्तर रेलवे के पीपलीपाकी कलां और गोले वाला स्टेशनों के बीच बिना गार्ड के गयी क्योंकि पीपलीपाकी कलां स्टेशन से रवाना होते समय ड्राइवर ने गार्ड का सिग्नल पाये बिना गाड़ी चला दी और इसके फलस्वरूप गार्ड वहीं रह गया । गोले वाला के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने नाहीं वरन् स्टेशन मास्टर ने आगे की यात्रा के लिये गार्ड का काम किया ।

भाखड़ा बांध

†११२०. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध के पूरे हो जाने पर उस में कितना पानी संग्रह किया जा सकेगा;

(ख) क्या यह सच है कि सतलज नदी का पानी उसे पूरा-पूरा भरने और उससे संबद्ध नहरों में पानी पहुंचाने के लिये अपर्याप्त रहेगा;

(ग) क्या सरकार इस कमी को दूर करके हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडो स्थान पर एक सुरंग बना कर व्यास नदी को उससे मिलाने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भाखड़ा जलाशय की कुल क्षमता ७४ लाख एकड़ फुट रखी गयी है ।

(ख) जल विज्ञान सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी के अनुसार भाखड़ा जलाशय २० वर्षों में से केवल आठ में पूरा भर सकेगा ।

(ग) भाखड़ा जलाशय को जल-संभरण बढ़ाने की दृष्टि से पंजाब सरकार 'सतलज-व्यास संपर्क' नामक एक योजना पर विचार कर रही है ।

(घ) अभी यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

रेलवे लाइन पर नहर के पुलों का निर्माण

११२१. श्री सरजू पाण्डे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को चन्द्रप्रभा नहर विभाग से दिलदार नगर-तारी घाट ब्रांच लाइन पर नहर के दो पुल बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां । नहर के ऊपर ये पुल उनके खर्चे पर बनाये जायेंगे ।

(ख) एक पुल का अनुमानित खर्च मंजूर किया जा चुका है और उस पर काम हो रहा है । दूसरे पुल के सुझाव पर जांच की जा रही है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कोटा

†११२२. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के कार्यालय की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये १९५५ से १९५८ तक के लिये सुरक्षित रखे गये विभिन्न वेतनक्रमों वाले स्थान भर गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२]**

नलकूप संगठन

†११२३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वेषी नलकूप संगठन[1] ने बम्बई राज्य में कोई परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं; और

(ग) १९५६-५७ और १९५७-५८ में बम्बई राज्य के किन-किन जिलों के किन-किन स्थानों में समन्वेषी छिद्रण किये गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जो ५० छेद किये गये थे उन में से आठ में काफी पानी निकला । बाकी छिद्रों को रहने दिया गया । जिन स्थानों पर ये छिद्र किये गये थे और उनके जो परिणाम निकले हैं उनका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३]**

भ्रष्टाचार के मामले

†११२४. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे में ३१ अक्तूबर, १९५८ को भ्रष्टाचार के कितने मामले विचाराधीन थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १५२ ।

बम्बई में फल-उत्पादन

†११२५. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में फल-उत्पादन के विकास के सम्बन्ध में १९५८-५९ के लिये किस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) इसके लिये कितनी सहायता दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Exploratory Tube-well Organisation.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) फल उत्पादकों को प्रविधिक परामर्श देने, पौधों सम्बन्धी सामग्री का उत्पादन और संभरण और उद्यान-विद्या सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में उत्पादकों की सहायता करने के लिये एक पृथक संगठन बनाने का विचार है।

१५०० एकड़ भूमि में फलों के नये बाग़ लगाये जाने वाले हैं।

(ख) १९५८-५९ के लिये बम्बई सरकार को ४०,००० रुपयों का अनुदान और ४,५०,००० रुपये का दीर्घकालिक ऋण मंजूर किया गया है।

एण्टीबायोटिक्स

†११२६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मछलियों के परिरक्षण के लिये ऑरियोमाइसीन जैसी एण्टीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कुछ कार्य किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य से क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केन्द्र और राज्यों—दोनों की मीन-क्षेत्र गवेषणा प्रयोगशालाओं में मछलियों को खराब होने से देर तक बचाने के लिये ऑरियोमाइसीन की तरह की एण्टीबायोटिक दवाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में काफी कार्य किया जा रहा है।

(ख) आमतौर पर ऑरियोमाइसीन बर्फ में मिला दी जाती है और इसमें फिर मछलियों को रखा जाता है। यह देखा गया है कि ५ पी० पी० एम०[१] बर्फ़ में मिलाने से मछलियों के खराब होने की रफ्तार धीमी हो जाती है। ऑरियोमाइसीन का प्रभाव केवल उस वक्त महसूस होता है जब संग्रह की अवधि काफी लम्बी खिंच जाती है—अर्थात् मछलियां एक हफ्ते से ज्यादा समय तक बर्फ में रह लेती हैं।

वाणिज्य उपयोग की समुद्री-घास

†११२७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तटवर्ती समुद्र में पायी जाने वाली वाणिज्यिक समुद्री-घास का कोई ब्यौरेवार सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) मानवीय तथा पशुओं के भोजन के लिये अभी कितनी समुद्री घास की खपत होती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :(क) कोई ब्यौरेवार सर्वेक्षण नहीं हुआ है। समुद्री घास के उपयोग के बारे में मन्डपम् के केन्द्रीय सामुद्रिक मीन-क्षेत्र गवेषणा केन्द्र में प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] 5 P. P. M.

समूही मछलियां[1]

†११२८. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्डीन और मैकले[2] आदि कुछ किस्मों की समूही मछलियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में तटवर्ती समुद्र के किनारों पर मानसून के बाद जमा हो जाने वाली मिट्टी की तहों का, जो अलेप्पि से कालीकट तक के मलाबार तट की विशेषता है, कोई ब्यौरेवार अध्ययन किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): यह अध्ययन मण्डपम के केन्द्रीय सामुद्रिक मीन क्षेत्र गवेषणा केन्द्र के कार्यक्रम का एक अंग है। मीन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जलवर्षणा सम्बन्धी परिस्थितियों[3] का अध्ययन किया जा रहा है। किनारों पर जमा मिट्टी, जन की उत्पादनशीलता और विशेष प्रकार के मीन क्षेत्रों के आपस के परस्पर-सम्बन्धों का पता लग चुका है और यह गवेषणा जारी है।

तेल निकालने के काम आने वाली सार्डीन मछलियां

†११२९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में (प्रत्येक वर्ष में) तेल निकालने के काम आने वाली कितने-कितने मूल्य की सार्डीन मछलियां (सार्डीनेला लांगिसेप्स) भारत के तट पर उतारी गयीं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन मछलियों से निकाले गये तेल का निर्यात घटता जा रहा है ; और

(ग) क्या निर्यात संवर्द्धन के लिये भारत सरकार ने कुछ कार्यवाही की है, और यदि हां, तो क्या ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) पिछले तीन वर्षों में भारत के तट पर उतारी गयी सार्डीन मछलियों की कीमत इस प्रकार थी :

१९५५	३० लाख रु०
१९५६	१५ लाख रु०
१९५७	११५ लाख रु०

(ख) तेल का निर्यात घटा नहीं है। निर्यात के लिये अच्छा बाजार मौजूद है, विशेष रूप से पश्चिम जर्मनी को परिष्कृत तेल के निर्यात के लिये।

(ग) भारत सरकार और राज्य सरकारें तेल निकालने के काम आने वाली सार्डीन मछलियों के उपयोग के बेहतर तरीकों के सम्बन्ध में जानकारी का प्रसार करती हैं और तेल तैयार करने के कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देती हैं।

फल परिरक्षण उद्योग

†११३०. { श्री वें० प० नायर :
श्री झूलन सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना में फलों और फल उत्पादों के निर्यात का जो लक्ष्य रखा गया था वह किस हद तक पूरा हुआ है ; और

†मूल अंग्रेजी में
[1]Shoaling Fishes.
[2]Sardines and Mackerls.
[3]Hydrographical Conditions.

(ख) सरकार ने फल परिरक्षण उद्योग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन अब तक किस प्रकार की कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). फलों के निर्यात के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था ।

१६५७ में लगभग ३१,१३,५०० रुपयों के १७६० फल उत्पादों का निर्यात किया गया । १६६०-६१ तक ११,००० टन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था ।

इस उद्योग को दी गयी वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

१. ऋण १६·१६ लाख रुपये ।

२. फल उत्पादों के लिये खुले मुंह वाले सैनिटरी कैनों के निर्माण के लिये टीन की चादरों पर (१५-१०-१६५८ तक) १,८१,६०० रुपयों की राज सहायता ।

मत्स्य-प्राप्ति

†११३१. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी घाटी परियोजनाओं से मछलियों की प्राप्ति के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति कैसी है ; और

(ख) इस प्राप्ति में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि १६५६-५७ में नदी घाटी परियोजनाओं के विशाल जलाशयों से लगभग ३०६५ टन मछलियां प्राप्त हुईं ।

(ख) दामोदर घाटी निगम के जलाशयों में संग्रह-कार्यों द्वारा मत्स्य वृद्धि के लिये कार्यवाही की गई है ।

कलकत्ते के बाजार में मछली का भाव

†११३२. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता शहर की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अनाज के संभरण की केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए क्या भारत सरकार ने कलकत्ते के बाजारों में मछली के भाव कम कराने के लिये कुछ निश्चित कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) बिक्री और भावों का विनियमन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है । भारत सरकार ने निम्नलिखित तरीकों से राज्य सरकार की मदद की है :—

(१) कलकत्ते में मछलियों की बिक्री के सम्बन्ध में व्यौरेवार सर्वेक्षण का प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया है ;

(२) पूर्वी पाकिस्तान से आयात के अलावा उड़ीसा और अन्य राज्यों से संभरण बढ़ाने की कार्यवाही की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) मछली उत्पादन करने के लिये राज्य सरकार जो कार्यक्रम आरम्भ करती है उन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ही अंग मान कर वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ख) उपर्युक्त कार्यवाही का कलकत्ते में मछली के भावों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रासंगिक कारणों का भी असर पड़ सकता है ।

दक्षिण रेलवे पर बाढ़ के कारण क्षति

†११३३. श्री नागी रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के सितम्बर, और अक्तूबर महीनों में दक्षिण रेलवे पर बाढ़ के कारण कुल कितने मील लम्बी लाइन बह गयी और कुल कितने रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हुए ;

(ख) रेलवे यातायात किन-किन स्थानों पर कितने-कितने समय तक छिन्न-भिन्न हो गया ; और

(ग) उनकी मरम्मत में कितना व्यय हुआ ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कुल मिला कर १४५० फुट रेल की पटरियां टूट गयी थीं और ४ पुल क्षतिग्रस्त हो गये थे ।

(ख) टूनी वाल्टेयर येल्लमन पर येल्लमन-चिल्ली और वाल्टेयर स्टेशनों के बीच २०-१०-५८ से २७-१०-५८ तक और रेणीगुणटा-गुन्टाकल सेक्शन के रेड्डीपल्ली और कृष्णपुरम् स्टेशनों के बीच ७-१०-५८ से २५-१०-५८ तक ट्रेनों का आना-जाना बन्द रहा ।

(ग) पटरियों को स्थायी रूप से ठीक करने का व्यय ६०,००० रुपये है और पुलों को अस्थायी रूप से ठीक करने का २,८०,००० रुपये । पुलों की स्थायी रूप से मरम्मत की लागत १४-१५ लाख रुपये होने की सम्भावना है ।

चीनी और गुड़

†११३४. श्री जाधव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में निम्नलिखित किस्मों की चीनी और गुड़ का कितना-कितना उत्पादन हुआ :

(१) बड़े कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी का, जिसमें यह भी बताया गया हो कि गैर-सरकारी और सहकारी चीनी मिलों की संख्या कितनी-कितनी है और कितनी चीनी मिलें वास्तव में काम कर रही हैं ;

(२) खांडसारी चीनी का ;

(३) छोटे पैमाने के कारखानों में बनायी गयी दानेदार चीनी का, और प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ;

(४) गुड़ का, और प्रत्येक राज्य के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) इसी अवधि में उपर्युक्त किस्मों का कितना-कितना निर्यात किन-किन देशों को किया गया ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कुल कितनी विदेशी मुद्रायें कमाई गयीं; और

(घ) निर्यात का लक्ष्य कितना था ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]

दिल्ली के लिये सिंचाई संबंधी सुविधायें

†११३५. श्री च० कृ० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिये कुल कितनी राशि अलग की गयी थी ;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ४९.८६ लाख रुपये :

(ख) ९.८१ लाख रुपये ।

(ग) व्यय की गति मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से मन्दी रही है :—

(१) मूलतः नजफ़गढ़ झील में जमा पानी का उपयोग सिंचाई कार्य में करने का विचार था। लेकिन पिछले तीन वर्षों में जो अनुभव हुआ है उसका ध्यान रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि उसमें से पानी बाहर निकाल दिया जाय क्योंकि वह चारों ओर के गांवों की खरीफ की फसल को हर साल नुकसान पहुंचा देता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मूल योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(२) पश्चिमी यमुना नहर को बढ़ाने की योजना पर कुछ भी व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि गुड़गांव सुरंग परियोजना को जिसका वह अंग है, पंजाब सरकार ने अभी तक अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया है ।

उत्तर प्रदेश में खोले गये डाकखाने

†११३६. श्री सरजू पाण्डे : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सर्किल में (प्रत्येक पोस्टल डिवीजन में) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक कुल कितने ब्रांच और सब-पोस्ट आफ़िस, टेलीफ़ोन और तार घर खोले गये हैं ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में ऐसे और कितने कार्यालय खोले जायेंगे ;

(ग) क्या इस सर्किल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थानों का कोटा पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश सर्किल में क्लर्कों, टेलीग्राफिस्ट्स, टेलीफोन ऑपरेटरों, मैकेनिकों, डाकियों आदि और चतुर्थ श्रेणी की पदालियों में १९५६, १९५७ और १९५८ में (३०-११-५८) तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित किये गये और उन से भरे गये स्थानों की संख्या, और यदि इस में कुछ कमी रह गयी हो तो उस के कारणों के बारे में लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल से जानकारी मांगी गयी है और वह यथा समय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे पर प्रतीक्षालय

†११३७. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में पूर्वोत्तर रेलवे के किन किन स्थानों पर कुल कितने प्रतीक्षालयों का निर्माण किया गया है और उन पर कितना खर्च आया; और

(ख) कितने प्रतीक्षाल्यों की मरम्मत की गई है और उस पर कितना खर्च आया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५७-५८ में नौ नये प्रतीक्षालयों का निर्माण किया गया। इन स्टेशनों का नाम और लागत इस प्रकार है :

नाम	लागत रुपये
सरदारनगर	७,२८०
सुरैमनपुर	११,१५०
डोभो	५,९८०
भटनी (२ प्रतीक्षालय)	२०,०००
देवरिया सदर (२ प्रतीक्षालय)	३६,०००
कानपुर अनवर गंज (२ प्रतीक्षालय)	१६,०००

(ख) प्रतीक्षालयों की मरम्मत के खर्च के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते हैं क्योंकि यह स्टेशन की इमारतों का ही एक अंग होते हैं और इन की मरम्मत और देख रेख का खर्च आम तौर पर सरकारी भवनों के खर्च में जोड़ दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजपथ

†११३८. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय राजपथ हैं और उन की लम्बाई कितने कितने मील है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य परियोजनायें

†११३९. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेरीका से प्राप्त सहायता में से उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितनी सहायता दी गई थी :—

(१) मैडिकल कालेजों तथा सम्बद्ध संस्थाओं को दी गई आर्थिक सहायता;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अनुस्थापन प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिये सहायता;

(३) राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता कार्यक्रम के लिये सहायता;

(४) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये सहायता; और

(५) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये सहायता ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :

		रुपये
(१)	१६५७–५८ में	१,८७,५८७
	१६५८–५६ में	२५८
(२)	१६५७–५८ में	कुछ नहीं
	१६५८–५६ में	कुछ नहीं
(३)	१६५७–५८ में	कुछ नहीं
	१६५८–५६ में	कुछ नहीं
(४)	१६५७–५८ में	५४,८५,२६६
	१६५८–५६ में	६२,४३,३६४
(५)	१६५७–५८ में	११,२६,६७८
	१६५८–५६ में	कुछ नहीं
कुल	१६५७–५८ में	६८,०२,५३१
	१६५८–५६ में	६२,४३,६२२

चरखी दादरी और मन्हेरू के बीच हाल्ट स्टेशन

†११८०. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री २५ अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के चरखी दादरी और मन्हेरू स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी) : यह देखा गया है कि वहां 'हाल्ट स्टेशन' कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रियों की सुविधा के लिये यह सुझाव उचित है। इसलिये जोनल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति की राय मांगी जा रही है और उस की सिफारिश को सामने रखते हुए आगे और कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में मछली का व्यापार

११८१. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में मछली के व्यापार की योजना के बारे में, जिस के लिये वर्ष १६५७–५८ में लगभग ११ हजार रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया था, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : यह योजना अक्तूबर, १६५७ में समाप्त कर दी थी, क्योंकि उत्पादन इतनी अतिरिक्त मात्रा में नहीं हुआ था, कि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध शीघ्र यातायात की सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। राज्य प्रशासन ने इस योजना को बरौत की तरौत उत्पादन योजना से बदल लिया है।

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में भू-संरक्षण

११४२. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भू-संरक्षण के सम्बन्ध में क्या काम किया जा रहा है और यह काम कहां कहां किया जा रहा है;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नियत की गई निधि में से अब तक कितनी राशि व्यय हुई है; और

(ग) इस काम के लिये अब तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षत किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). वन रोपण का कार्य जिस में क्लोजर और फैन्सिंग उपयुक्त जखीरों को लगाना, स्थान स्थान पर बीजों का बोना और बखेरना, रुकावटी बन्ध बनाना, गुल्ली प्लगिंग[1] और टरेसिंग[2] आदि कार्य शामिल हैं, निम्न स्थानों पर जारी हैं :—

(१) लम्बा दग नदी के जलग्रह में मंडी हाइड्रोइलैक्ट्रिक वर्कस के हैड वर्क्स बरौत के आस पास का क्षेत्र।

(२) एलगन नाल—कटुऔला खंड के जलग्रह।

(३) रावलसर झील के जलग्रह का क्षेत्र।

(४) चम्बा वन विभाग के भरमौर रेंज के अन्तर्गत क्षेत्र।

(५) चराह वन विभाग, भन्डाल रेंज, चम्बा जिला।

(६) सुकेत रेंज, तहसील सुन्दरनगर।

(७) सिरमूर सर्किल के नहान, राजगढ़ और जब्बल वन विभाग।

(८) शिमला सर्किल के महासू और बिलासपुर जिला।

(९) चम्बा और चूराह, सुकेत।

अभी तक क्रमशः २५६२ एकड़ भूमि का उपयोग और २.९४ लाख रुपयों का व्यय किया गया, जब कि दूसरी योजना के लिये लक्ष्य और ऐलोकेशन क्रमशः ६,६०० एकड़ भूमि और ५.७० लाख रुपये थे।

(ग) केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड द्वारा स्थापित केन्द्रों में ४ अफसर और १४ सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और दो अफसर और चार सहायक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। १६५ महातेतों को, प्रशासन द्वारा स्थानीय रूप से प्रशिक्षित किया जा चुका है।

रेलवे सलीपरों के लिये साल की लकड़ी का प्रयोग

†११४३. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उपलब्ध साल लकड़ी को रेलवे स्लीपर बनाने के लिये इस्तैमाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Gully Plugging.

[2]Terracing.

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : रेलवे विभाग राज्य वन विभागों से पहले ही अधिकतम मात्रा में साल के स्लीपर प्राप्त कर रहा है। साल लकड़ी का प्रयोग भारतीय रेलों में डिब्बे और माल डिब्बे बनाने के लिये ही सीमित कर दिया गया है। साल के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

लौह-अयस्क का निर्यात

†११४४. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के गुंडती मर्गू स्टेशन पर पड़े लौह अयस्क के परिवहन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस स्टेशन पर कितना लौह अयस्क पड़ा हुआ है ; और

(ग) १ जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कितनी मात्रा का परिवहन किया गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जुलाई १९५७ से इस का लदान राज्य व्यापार निगम को ही करना पड़ता है और माल डिब्बों का संभरण राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये गये परमिटों के आधार पर खेप भेजने वालों द्वारा कराये गये पंजीयन के अनुसार किया जाता है। ३०-६-५८ को समाप्त होने वाले १२ मास में १२४८४ टन का परिवहन करने का कार्यक्रम निर्धारित था और वास्तव में गुंडती मर्गू स्टेशन से काकीनाडा बन्दरगाह को १३४२० टन लौह-अयस्क भेजा गया और ६००० टन के परिवहन के निर्धारित कार्यक्रम में से ४६२ टन लौह अयस्क विशाखपटनम बन्दरगाह को भी भेजा गया। इसी प्रकार जुलाई, ५८ से अक्तूबर, ५८ तक की अवधि में इस स्टेशन से ३१२८ और २३७७ टन क्रमवार काकीनाडा और विशाखपटनम बन्दरगाहों को भेजा गया जबकि १-७-५८ से ३०-६-५९ तक क्रमवार ३०,००० और १५,००० टन का लदान किया जाना था। लदान में कमी इसलिये रह गई कि माल भेजने वालों ने कम माल डिब्बे मांगे थे। इस से और प्रश्न के उतर के भाग (ख) के उत्तर से पता चलेगा कि मध्य रेलवे प्रशासन ने गुंडती मर्गू स्टेशन से लौह-अयस्क को काकीनाडा और विशाखपटनम बन्दरगाहों तक पहुंचाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है।

(ख) ३०-१०-५८ को गुंडती मर्गू स्टेशन पर १५०० टन (लगभग) लौह-अयस्क पड़ा था जिसे भेजा जाना था परन्तु माल डिब्बों की कोई मांग नही आई हुई थी।

(ग) जनवरी से अक्तूबर, १९५८ तक गुंडती मर्गू स्टेशन से किये गये लौह-अयस्क के लदान के असल आंकड़े ये हैं :—

	टन
काकीनाडा बन्दरगाह को	११७३९
विशाखपटनम बन्दरगाह को	२८३९
कुल	१४५७८

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली मेन यार्ड का नव निर्माण

११९४५. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के पश्चात् दिल्ली मेन यार्ड का नवनिर्माण पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सैं० वें० रामस्वामी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) बड़ी लाइन का ४६ प्रतिशत और मीटर लाइन का ८२ प्रतिशत नवनिर्माण कार्य पूरा हो चुका है । प्रस्तावित तथा पूरे हो चुके काम का ब्योरा दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]**

यमुना के जल विद्युत संसाधन

†११९४६. { श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना पर एक परियोजना के निर्माण का कार्य किस अवस्था में है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : उत्तर प्रदेश सरकार अभी परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रही है।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज

†११९४७. श्री वामानी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के एम० बी० बी० एस० छात्रों को छात्र-वृत्तियां देती है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी छात्र वृत्तियां दी जाती हैं और छात्रों का चुनाव कैसे किया जाता है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज को प्रथम एम० बी० बी० एस० श्रेणी को प्रत्येक वर्ष ७५ रुपये मासिक की चार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । ये छात्रवृत्तियां एम० बी० बी० एस० के सारे कोर्स तक दी जाती हैं । यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र के अभिरक्षक पिता की मासिक आय ५०० रुपये से कम होनी चाहिये । एक प्रतियोगिता के आधार पर छात्रों का चुनाव किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मऊ में टोंस नदी पर पुल

†११४८. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री उमराव सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी-डोरियाघाट राष्ट्रीय राजपथ पर ज़िला आज़मगढ़ में मऊ में टोंस नदी पर पुल बनाने के लिये स्थान अनुमोदित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां बनाया जायेगा

(ग) नई सड़क और पुल के निर्माण के लिये सरकार को कितनी कृष्य भूमि अर्जित करनी पड़ेगी ;

(घ) क्या पुराने टोंस पुल के पश्चिम की ओर किसी स्थान का परीक्षण कर के उसे अस्वीकृत किया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो उसे अस्वीकृत करने के क्या कारण थे ; और

(च) पुरानी परित्यक्त सड़क और पुल की भूमि का प्रयोग सरकार कैसे करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) यह स्थान वर्तमान रेल पुल से १४५० फुट दूर निचली ओर और पुराने सड़क के पुल से लगभग २००० फुट निचली ओर है ।

(ग) ५१.५ एकड़ ।

(घ) जी हां ।

(ङ) पुराने पुल की पश्चिम दिशा में पुल तक मऊ नगर फैला हुआ है और वहां पक्के मकान और मन्दिर बने हुए हैं और यदि इस भूमि का अर्जन किया जाये तो वह बहुत महंगा पड़ेगा । सुरक्षा की दृष्टि से भी यह स्थान उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

(च) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

कार्यालयों का स्थानान्तरण

†**११४९. श्री ई० इयाचरण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से कार्यालय पोदनूर से ओलावकोट ले जाये जायेंगे ; और

(ख) यह स्थानान्तरण कब तक हो जायेगा ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) (१) डिवीज़नल मेडिकल आफिसर का कार्यालय ।

(२) वायरलेस कार्यालय ।

(ख) (१) ओलावाकोट में अस्पताल की इमारत बन जाने पर डिवीज़नल मेडिकल आफिसर का कार्यालय वहां ले जाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) श्रोलावाकोट में एक लो पावर वायरलेस स्टेशन है । मीडियम पावर सेट के शीघ्र ही स्थानान्तरण होने की आशा है ।

उत्तर प्रदेश में जंगली जानवर

११५०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार गढ़वाल जिले में जंगली जानवरों की सुरक्षा तथा विकास के लिये और विदेशी पर्यटकों के लिये आकर्षण का एक केन्द्र बनाने के लिये एक विशाल मृग उपवन की स्थापना करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस उपवन के ठीक स्थान, क्षेत्रफल, अनुमानित व्यय तथा उक्त उपवन में उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) उस उपवन की स्थापना करने व उस के संचालन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है और

(घ) उस मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) गढ़वाल जिले में उत्तर गढ़वाल वन विभाग के गौना झील क्षेत्र में एक मृग उपवन की स्थापना का प्रस्ताव है । अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले पर कोई निश्चय नहीं किया है ।

(ख) राज्य सरकार ने अभी इस योजना का ब्यौरा तैयार नहीं किया है, लेकिन लगभग ४३,००० एकड़ भूमि के क्षेत्र को इस्तेमाल करने का प्रस्ताव था ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी का पुनरावलोकन करने के लिये समिति

†११५१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों की मजूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करने सम्बन्धी कार्य के लिये छः व्यक्तियों की एक जांच समिति नियुक्त कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समिति की रचना यह है :—

१. उद्योग और श्रम के डायरेक्टर, दिल्ली . .	सभापति
२. श्री एस० वी० रामुलु, चीफ अकाउंट्स आफिसर, दिल्ली परिवहन उपक्रम, जो दिल्ली परिवहन उपक्रम के प्रतिनिधि हैं	सदस्य
३. लाला दुर्गा दास—दिल्ली . . . प्रान्तीय मोटर परिवहन संघ कांग्रेस के प्रतिनिधि .	सदस्य
४. श्री शफीज अहमद, दिल्ली परिवहन सेवा श्रमिक संघ के प्रतिनिधि .	सदस्य
५. श्री एम० एल० मितल, दिल्ली, मोटर वर्कर यूनियन के प्रतिनिधि .	सदस्य
६. श्रम पदाधिकारी, उद्योग और श्रम डायरेक्टर का कार्यालय, दिल्ली .	सदस्य-सचिव

(ग) समिति ने अभी तक केवल एक बैठक २८ अक्तूबर, १९५८ को की थी जिसमें उन्होंने पुनरावलोकन कार्य करने के तरीकों पर विचार किया था।

आयुर्वेद

†११५२. **श्री राम कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में आयुर्वेद के विकास की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) आयुर्वेद, जिसमें होमियोपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा भी शामिल है, के विकास की योजना जो द्वितीय योजना में शामिल है कार्यान्वित की जा रही है और वह द्वितीय योजना की समाप्ति तक चलेगी।

(ख) योजना काल में केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित आधारों पर दी जाती है :—

(१) अनुमोदित गवेषणा योजनाओं के लिये संस्थाओं में रखे गये और गवेषणा के लिये रक्षित रखे गये स्थानों के आवर्तक व्यय के लिये जो २००० रुपये मासिक प्रति स्थान (बिस्तर) से अधिक न हो;

(२) प्रत्येक योजना के गुणावगुणों के आधार पर बनाई गई तदर्थ गवेषणा योजनाओं के लिये; और

(३) राज्यों में वर्तमान शिक्षण संस्थाओं के सुधार और नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के लिये। केवल उन्हीं शिक्षण संस्थाओं के सुधार के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो राज्य की योजनाओं में शामिल होती हैं। इस प्रयोजन के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता अनावर्तक व्यय (जिसमें कालेज की इमारत का विस्तार भी शामिल है) का ७५ प्रतिशत होती है परन्तु इसकी उच्चतम सीमा निश्चित होती है और कालेज के (अस्पताल का नहीं) आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत होती है।

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर अर्काट जिले में रानीपेट और अर्काट के बीच पुल

†११५३. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के उत्तरी जिले में रानीपेट और अर्काट के बीच पालर ऊपरी पुल के निर्माण में कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई थी ;

(ख) क्या कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या प्राक्कलन में कोई परिवर्तन हुआ ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोई नहीं।

(ख) कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है। असल में ६ नवम्बर, १९५८ तक पुल का निर्माण पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आशा है कि काम जुलाई, १९५९ की समाप्ति तक पूरा हो जायेगा। ३१ अक्तूबर, १९५८ तक लगभग ७८ ८ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) बाढ़ के कारण नींव रखने का कार्य नवम्बर, १९५६ तक स्थगित हो गया और बाद में जल प्रवाह अधिक होने के कारण नींव के निर्माण कार्य की प्रगति रुकी रही। ऊपर का ढांचा भी बदलना पड़ा क्योंकि दोनों ओर पैदल चलने के लिये ५ फुट चौड़ा रास्ता बनाना था। मूल प्राक्कलन में पैदल रास्तों की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस काम के बढ़ जाने से भी निर्माण में अधिक समय लगा।

(घ) और (ङ). जी हां। मूल प्राक्कलन १९,७५,००० रुपये था और पुनरीक्षित प्राक्कलन २८,९०,००० रुपये था। इसके बढ़ने के कारण ये थे कि दोनों ओर पैदल चलने के रास्ते और उनको मिलाने वाली छोटी-छोटी सड़कें बनानी पड़ीं और सीमेंट और इस्पात के मूल्य और मजूरी की दर भी बढ़ गई।

पूजा की भीड़ के दिनों में गाड़ियां

†११५४. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों में कहा गया है कि पूजा के दिनों में जब कि यात्रियों की बहुत भीड़ होती है, हावड़ा से चलने वाली कुछ गाड़ियों में सैलून लगाये गये जिन से सैकड़ों लोग यात्रा न कर सके, क्या यह बात सच है ; और

(ख) यदि हां, तो पूजा के दिनों में जब कि यात्रियों की भीड़ बहुत अधिक होती है कुछ लोगों को यात्रा की विशेष सुविधायें क्यों दी गई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). पूजा के दिनों में हावड़ा से चलने वाली सवारी गाड़ियों के साथ निरीक्षण डिब्बे लगाना सीमित कर दिया गया था परन्तु फिर भी कुछ निरीक्षण डिब्बे लगाना अनिवार्य था क्योंकि कुछ रेलवे पदाधिकारियों को अविलम्बनीय सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

काम के सिलसिले में यात्रा करना था। पूर्व रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे ने सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त यात्रियों के लिये गाड़ियों की अधिक से अधिक व्यवस्था कर दी थी इस लिये पूजा के दिनों में निरीक्षण डिब्बे लगने से यात्रियों को कोई हानि नहीं पहुंची।

रेलवे की भूमि

११५५. { श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री मोहन स्वरूप : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न रेलवे विभागों के पास लाइन के किनारे इस समय कितनी अतिरिक्त भूमि है तथा इसमें उपजाऊ भूमि कितनी है ;

(ख) बिहार राज्य में रेलवे लाइन के किनारे कितनी उपजाऊ अतिरिक्त भूमि है ;

(ग) इन ज़मीनों को किसानों को स्थायी पट्टे पर देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) विभिन्न रेलवे महाखण्डों की कितनी जमीन पट्टे पर दी गई है और उससे रेलवे प्रशासन को कितनी आमदनी होती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :†(क) शायद माननीय सदस्यों का यह मतलब है कि स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोनों तरफ कुल कितने एकड़ जमीन है और उसमें से कितने एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें खेती की जा सकती है। इसके बारे में पिछली जांच-पड़ताल १९५५ में की गयी थी जिसकी सूचना १९-९-५५ के तारांकित प्रश्न १९२७ के उत्तर में जो ब्यान सभा-पटल पर रखा गया था, उसमें दी गयी है (कुल ज़मीन लगभग ५,३०,००० एकड़ है)। स्टेशनों के बीच खेती करने लायक ज़मीन लगभग ६८,००० एकड़ है।

(ख) इसकी सूचना अलग-अलग रेलों और उनके डिवीजन/डिस्ट्रिक्ट के अनुसार उपलब्ध है, विभिन्न राज्यों के अनुसार नहीं।

(ग) रेलवे की फालतू ज़मीन राज्य-सरकारों को दे दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि वे से किसानों को पट्टे पर दे दें।

(घ) किसानों को पट्टे पर देने के लिए विभिन्न रेलों में जितनी ज़मीन राज्य-सरकारों को दी गयी है वह लगभग २८,००० एकड़ है।

रेल-प्रशासनों को पिछले पांच वर्षों में इससे जो आमदनी हुई है, कुल मिलाकर वह लगभग ७,९९,६७८ रुपये है।

टेलीफोन एक्सचेंज

११५६. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के दरभंगा जिले में मधुबनी सब-डिवीजन में टेलीफोन एक्सचेंज नहीं बनाया गया यद्यपि संचार विभाग द्वारा नियत सब शर्तों को पूरा कर दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने में देरी के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). मधुबनी में एक सार्वजनिक टेलीफ़ोन-घर तथा छ: चन्दादाताओं के संयोजनों सहित बीस लाइनों का एक चुम्बक-स्विच बोर्ड पहले ही विद्यमान है। इस बोर्ड को ५० लाइनों वाले केन्द्रीय बैट्री टेलीफ़ोन केन्द्र से बदल दिये जाने का प्रस्ताव है। स्टोरों की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। फिर भी, इस उपस्कर को रखने के लिये उपर्युक्त स्थान के प्राप्त करने में कुछ कठिनाई है। ऐसे स्थान के मिलने पर तथा स्टोरों के पूर्ण रूप से प्राप्त होने पर टेलीफोन केन्द्र के स्थापित किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस कार्य के आगामी वर्ष के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

ओयरिया स्टेशन

†११५७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४९-५०, १९५०-५१, १९५५-५६, १९५७-५८ और १९५८-५९ में पूर्व रेलवे में दुर्गापुर के निकट ओयरिया स्टेशन पर कितने यात्री आये और वहां से कितने यात्री गये ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि कोक ओवन ब्लास्ट फर्नेस, रोलिंग मिलें, ढलाई के कारखाने आदि दुर्गापुर स्टेशन की उपेक्षा ओयरिया स्टेशन से अधिक निकट हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ओयरिया स्टेशन पर ऊंचा प्लेटफार्म भी नहीं बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ओयरिया स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	जाने वाले	आने वाले
१९४९-५०	२५,२४८	१२,६४४
१९५०-५१	३१,१८३	१७,३४९
१९५५-५६	३०,५३४	२७,६३७
१९५७-५८	१,५१,८३०	१,२९,१२२
१९५८-५९ (३१-१०-५८ तक)	१,८४,८५६	१,६७,५३४

(ख) कोक ओवन प्लांट ओयरिया की तुलना में दुर्गापुर के अधिक निकट है जब कि ब्लास्ट फर्नेस, रोलिंग मिलें, ढलाई के कारखाने आदि ओयरिया के निकट हैं।

(ग) जी हां।

(घ) हाल ही में यह निर्धारण करने के लिये कि इस स्टेशन पर किन सुविधाओं (जिसमें ऊंचा प्लेटफार्म बनाना भी शामिल है) की व्यवस्था की जानी चाहिये। एक परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के परिणाम उपभोक्ता सुविधा समिति के सामने रख दिये जायेंगे ताकि वह विचार करके सिफारिशें भेज सके।

†मूल अंग्रेज़ी में

देवंगीर के निकट रेल के फाटक पर नीचे का पुल

†११५८. श्री मोहम्मद इमाम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवंगीर नगरपालिका समिति ने दक्षिण रेलवे के देवंगीर स्टेशन के निकट रेल के फाटक पर नीचे का पुल बनाने के लिये अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो नीचे का पुल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार के कहने पर देवंगीर स्टेशन के निकट ८/१७–१८ मील पर रेल के फाटक के स्थान पर नीचे का पुल बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और प्राक्कलन भी स्वीकृत हो गया था । परन्तु कार्य आरम्भ होने से पूर्व नगरपालिका प्राधिकारियों से एक और प्रस्ताव मिला कि देवंगीर स्टेशन के पूर्व में एक पुली को नीचे के पुल में बदल दिया जाये । तब नगरपालिका से पूछा गया कि दोनों में से कौन सा कार्य किया जाये । अक्तूबर, १९५८ में नगरपालिका ने सूचित किया कि दूसरे सुझाव को अभी रहने दिया जाये और पहला प्रस्ताव जो नीचे का पुल बनाया जाना था उसे रेल के फाटक के पूर्व की ओर १००० फुट और दूरी पर बनाया जाये क्योंकि उसे मिलाने वाली सड़कें बनाने में कठिनाई हो रही थी । इसकी सम्भावना की जांच की जा रही है और एक प्राक्कलन तैयार करके नगरपालिका को भेज दिया जायेगा । नीचे के पुल का निर्माण कार्य तब शुरू होगा जब नियमों के अनुसार नगरपालिका प्राधिकारी योजना और प्राक्कलन को निर्माण की लागत के साथ स्वीकृति दे देंगे ।

कांडला की बस्ती

†११५९. { श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कच्छ के नागरिकों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने केन्द्रीय सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि कांडला पत्तन के पास की नयी बस्तियों में भारी आर्थिक अवसाद[1] हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में किन मुख्य मुख्य कठिनाइयों और मांगों की ओर संकेत किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) कच्छ से आने वाला एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसके नेता श्री भगवानजी खीमजी संसद् सदस्य थे, अक्तूबर, १९५८ में बम्बई में परिवहन तथा संचार मंत्री से मिला । और उसने उस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया था कि कांडला के मुख्य पत्तन के पास के गांधी धाम नामक बस्ती से बहुत से लोग दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Economic Depression.

(ख) अभ्यावेदन में निम्नलिखित बातें निहित थीं :—

(१) यह अनुमान था कि कांडला का एक मुख्य पत्तन के समान विकास हो जाने पर पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या हल हो जायेगी ज: उस क्षेत्र में बस गये थे। परन्तु चार 'कार्गो जेटी' (अवतरणी) जिन्हें गत वर्ष तैयार किया गया था और चालू किया गया था, अब पूर्वरूपेण प्रयोग में नहीं लायी जा रही हैं जिसके परिण मस्वरूप उस बस्ती के लोगों को उस सीमा तक रोजगार नहीं मिल सका है जित ी आशा थी।

(२) पत्तन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिनके कारण ये हैं— बन्दरगाह के बेसिन में मिट्टी जम जाना, 'कार्गो जेटी' के लिये पर्याप्त संख्या में क्रेनों का अभाव, और पहले से ही लगे हुए क्रेनों के इस्तेमाल के लिये प्र र्याप्त विद्युत शक्ति का अभाव।

(३) गहरे डुबाव वाले जहाज़ पत्तन में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि उनका माल उतार न लिया जाये, क्योंकि कांडला क्रीक के मुहाने पर पानी कम गहरा है और उस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

(४) सरकार द्वारा स्वीकृत दो अतिरिक्त 'कार्गो जेटी' का निर्माण काय संतोषजनक रूप से नहीं चल रहा है।

(ग) उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(१) चार 'कार्गो जेटी' में से दो मार्च, १९५७ में परिवहन के लिये खोल दी गई थीं और दो जुलाई, १९५७ में। १९५७-५८ में ही अर्थात् केवल प्रथम (अपूर्ण) वर्ष में ही चार जेटिओं के चालू होने के बाद के प्रथम (अपूर्ण) वर्ष में उस पत्तन पर ८ २७ लाख टन सामान का वहन किया गया था। १९५८-५९ के प्रथम सात महीनों में ही लगभग १० लाख टन सामान का वहन किया गया है। ये आंकड़े निश्चित रूप से उन आंकड़ों से ऊपर होंगे, जिनका कि कांडला पत्तन परियोजना को मंजूर करते समय प्रथम पांच वर्षों के लिये प्राक्कलन तैयार किया गया था। अर्थात् उस समय प्रतिवर्ष के लिये ८.५ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

बन्दरगाह के कार्य के मुख्य भाग और रेलवे के पूरा हो जाने पर काम पर लगे हुए मजदूरों में से लगभग ५००० व्यक्तियों को काम से अलग कर देना पड़ा। वे सभी मजदूर अपने अपने घरों को वापिस चले गये हैं। केवल कुछ एक मजदूर ही वहां बस्ती में बसे हैं। पत्तन के वर्तमान परिवहन कार्य में उन २००० मजदूरों के अतिरिक्त जोकि पत्तन और बस्ती के विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, लगभग ५०० और मजदूरों को भी काम मिल सकता है। पत्तन की वर्तमान अधिकतम क्षमता लगभग १३ लाख टन प्रति वर्ष है और यदि सभी अवतरणियों (जेटी) का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया जाये तो भी केवल १००० अतिरिक्त मजदूरों को ही रोज़गार दिया जा सकता है। इस समस्या का केवल मात्र यही हल है वहां पर उपक्रम उद्योग स्थापित किये जायें जिनमें अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दिया जा सकेगा। यह कार्य वास्तव में गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से किया जाये।

उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिये कांडला प्रशासन उस नगर में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करेगा। प्रारम्भ में वह बस्ती लगभग ९ एकड़ के क्षेत्र में फैली होगी. परन्तु

†मूल अंग्रेज़ी में

आखिरकार ५२ एकड़ तक के क्षेत्र में फैल जायेगी । उस औद्योगिक बस्ती के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार से करार प्राप्त हो गया है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(२) (i) **बन्दर बेसिन पर मिट्टी जमा हो जाना :** पत्तन प्रशासन और ठेकेदार में इस प्रश्न पर विवाद है कि क्या ठेकेदार ने अपेक्षित गहराई तक बेसिन को साफ करवाया था या नहीं । आशा है कि यह विवाद किसी सदस्य को सौंप दिया जायेगा । इस दौरान में पत्तन प्रशासन के इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि ठेकेदार के खर्च पर बेसिन को और अधिक गहराई तक साफ कराया जाये । फिर भी उसका पत्तन के कार्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि सामान लाने के लिये नौकायें सदा उपलब्ध हैं ।

(ii) **माल अवतरणियों (कार्गो जेटीज) के लिये पर्याप्त संख्या में क्रेनों का अभाव :** मार्च, १९५८ तक चार ६ टन वाले क्रेन लगाये गये थे । ३ टन भार उठा लेने वाले १२ और क्रेन भी लगभग तैयार हैं । ३ टन भार उठाने वाले शेष चार क्रेन भी तैयार हो रहे हैं और आशा है कि वे लगभग ४ मास में तैयार हो जायेंगे । अब उन के कारण सामान उतारने या जहाजों में लादने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामाना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आवश्यकतानुसार इस काम के लिये ये जहाजों के उत्थम्भों[1] का प्रयोग कर लिया जाता है ।

(iii) **पर्याप्त विद्युत शक्ति का अभाव :** बम्बई राज्य विद्युत् बोर्ड का केन्द्रीय ताप विद्युत् केन्द्र तैयार किया जा रहा है । आशा है कि मार्च १९५९ तक यह तैयार हो जायेगा और सभी क्रेनों के लिये वहां से बिजली मिल सकेगी ।

(३) कांडला बार के ऊपर पानी की गहराई में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं । इस समय जिस नहर का इस्तेमाल किया जा रहा है वह केवल ८ फुट गहरी है और ज्वार के दिनों में जिन जहाजों को पार जाने की अनुमति दी जाती है उन की गहराई ३१ फुट से घटा कर २८ फुट कर दी गई है । उस से अधिक गहराई के जहाजों को बार से बाहर ही ठहरा कर उन से माल उतार लिया जाता है और फिर हल्का कर लेने के बाद ही अन्दर लाया जाता है । बार के तलकर्षण के लिये एक 'ड्रेजर' विशाखापटनम से कांडला में लाया जा रहा है । कांडला में स्थायी रूप से एक 'ड्रेजर' रखने के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है ।

(४) दो अतिरिक्त अवतरणियों की लगभग ८०० फुट की लम्बाई के पाइल फाउंडेशन तैयार कर लिये गये हैं । शेष क्षेत्र में फाउंडेशनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को भी हल कर दिया गया है । आशा है कि उस क्षेत्र के पाइलों के डिजाइन शीघ्र ही तैयार हो जायेंगे । लगभग ३७५ फुट की लम्बाई का ऊपर का ढांचा अब बन रहा है । अन्य दो क्षेत्रों में जहां का फाउंडेशन तैयार हो चुका है, ऊपर के ढांचे तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी

†११६०. **श्री तंगामणि :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने १९४९ में यह आदेश दिया था कि उन सभी कर्मचारियों को जिन्हें, आकस्मिकता निधि से वेतन मिलता है, नियमित प्रतिष्ठानों के अन्य चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के समान ही प्रतिकर तथा अन्य प्रकार के भत्ते अदा किये जायें;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dericks.

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के मासिक आधार के कर्मचारियों को जिन्हें आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त होता है, मकान के किराये का भत्ता अदा किया जाता है;

(ग) क्या उन्हें जून, १९४९ से प्रतिकर भत्ते अदा किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

(क) जी हां, सिवाय उन नैमित्तिक कर्मचारियों के जिन्हें मार्केट रेट पर वेतन अदा किया जाता है ।

(ख) और (ग). (१) १-४-१९४८ से ३१-१२-५१ तक उन्हें ऊंचे दर से मजदूरी अदा की गयी थी और उस में मकान किराया भत्ता भी सम्मिलित था ।

(२) १-१-१९५२ से २३-४-१९५७ तक उन्हें मकान किराया भत्ते के अतिरिक्त शेष सभी भत्ते अदा किये गये थे ।

(३) २४-४-५७ से बहुत से मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नियमित दर दिया गया था और उन्हें मकान किराया भत्ते सहित सभी भत्ते दिये जाने लगे थे । परन्तु शीघ्र नैमित्तिक श्रमिकों को, जिन्हें आकस्मिक निधि से मासिक आधार पर वेतन दिया जाता है, मकान किराया भत्ते के अतिरिक्त शेष सभी भत्ते दिये गये हैं ।

(घ) शेष मासिक आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और पात्र कर्मचारियों को भी वह भत्ता दे दिया जायेगा ।

आसाम-अगरताला रोड़

†११६१. **श्री दशरथ देब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन पुनर्गठन उप समिति को, त्रिपुरा के हाल के दौरे में, इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वर्तमान आसाम-अगरताला रोड़ को सब्रूम तक बढ़ा दिया जाय और उसे एक राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि सड़क परिवहन पुनर्गठन उप समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, इस लिये इस सम्बन्ध में इसी समय निर्णय करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाड़ों में कमी

†११६२. **श्री दशरथ देब :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, कि त्रिपुरा से आसाम की ओर से कलकत्ते जाने और आने वाली वस्तुओं का भाड़ा कम कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) २० अगस्त, १६५८ से त्रिपुरा से रेल द्वारा कलकत्ते जाने वाली पटसन के भाड़े में २० प्रतिशत कमी कर दी गई है। और इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है कि क्या शेष वस्तुओं पर भी यह रियायत दी जाये या नहीं।

त्रिपुरा में खास भूमियां

†११६३. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के बेलोनिया, अमेदपुर, उदयपुर, सब्रून के कितने आदिम जातीय और गैर आदिम जातीय व्यक्तियों को खास भूमियां खाली कर देने के लिये नोटिस दिये गये हैं ; और

(ख) क्या इन व्यक्तियों को कोई वैकल्पिक भूमियां दी जायेंगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे पदाधिकारी

†११६४. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर रेलवे के दिल्ली और बीकानेर डिवीजनों में कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** १-११-५८ को दिल्ली डिवीजन में ४३ और बीकानेर डिवीजन में २७ पदाधिकारी।

सर्वदलीय खाद्य समिति

११६५. { **श्री सरजू पाण्डे :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिये स्थापित की गयी सर्व-दलीय खाद्य समिति ने खाद्य समस्या के हल के लिये कोई सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). इस समिति द्वारा विमर्श तथा स्वतन्त्र विचार विनिमय का अवसर प्राप्त है। शासकीय प्रबन्ध में सुधार की आवश्यकता से सम्बन्धित कुछ सुझाव दिये गये हैं, जैसे केन्द्र द्वारा राज्यों को माल देने का क्रम रखना, आपत्ति वाले क्षेत्रों में पर्याप्त भंडार इकट्ठा करना, तथा नियम पूर्वक बाजार भाव, बाजार में माल का आना, भण्डार इत्यादि विषयों की सूचना का इकट्ठा किया जाना और उन की जांच करना। इस विषय में राज्यों को लिख दिया गया है ।

अमृतसर रेलवे वर्कशाप

†११६६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर रेलवे वर्कशाप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये १९५५ से १९५८ तक की अवधि के लिये रक्षित कोटा पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्कशाप में रक्षित कोटे को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) वर्कशाप के **स्थानान्तरण** की तारीख १ जून, १९५६ के पश्चात् बेसिक ट्रेड्सपेन और ट्रेड अप्रेंटिस को छोड़कर ।

(ख) बेसिक ट्रेड्सपेन की भरती चालू है । ट्रेड अप्रेंटिसों की भरती करने का भी विचार है ।

छोटी सिंचाई योजनाएं

†११६७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये उड़ीसा को कितनी रकम दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५७-५८ में सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये उड़ीसा राज्य को १९५७-५८ में ३१ लाख रुपयों का ऋण और १९५८-५९ में ४१·९० लाख रुपये के ऋण की मंजूरी के रूप में वित्तीय सहायता दी गई है ।

टेलीफोन लाइनें

†११६८. **श्री ज० ब० सिं० बिस्ट** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के कुमायूं डिवीजन में टेलीफोन लाइन लगाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ में स्थापित की जाने वाली टेलीफोन लाइन कब लगायी जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सैक्शन में टनकपुर से लोहाघाट तक लगभग ३८ मील टेलीफोन लाइन लगाने का काम शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा। लोहाघाट से पिथौरागढ़ तक लगभग २५ मील तक ट्रंक लाइन बढ़ा कर पिथौरागढ़ में १६५६–६० में पब्लिक काल आफिस खोलने की संभावना इस शर्त पर हो सकती है कि यह परियोजना औचित्य युक्त सिद्ध हो।

किंग्सवे कैम्प दिल्ली, में टी० बी० कालोनी

†११६६. **श्री राम कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में किंग्सवे कैम्प में टी० बी० कालोनी स्थापित करने की योजना स्थगित कर दी गई है और चालू योजना अवधि में यह क्रियान्वित नहीं की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन सिलवर जुबली टी० बी० हास्पिटल के निकट किंग्सवे हटमेंट्स के पास जगह का उपयोग कर वहां एक टी० बी० कालोनी स्थापित करना चाहता था। अब इन हटमेंट्स में विस्थापित व्यक्ति आ बसे हैं और वहां रहने वाले व्यक्तियों के लिये विकल्प आवास व्यवस्था का प्रबन्ध संभव नहीं हो सका है। अतः वर्तमान योजना अवधि में इस योजना की क्रियान्विति सम्भव नहीं है।

शाहगंज जंक्शन

†११७०. **श्री कालिका सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के शाहगंज रेलवे जंक्शन पर बड़ी लाइन (ब्राड गेज) से मीटर लाइन (मीटर गेज) में अधिक सामान चढ़ाने की कौन सी योजना है;

(ख) माडूदीह से शाहगंज की ओर कितना माल भेजने की संभावना है ;

(ग) सामान आने जाने में वृद्धि होने के कारण शाहगंज-मऊ ब्रांच लाइन पर कितनी मालगाड़ियां आने और जाने की संभावना है; और

(घ) क्या शाहगंज और मऊ के बीच रेल की पुरानी पटरी पुनः बिछाई जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) माल लादने की क्षमता २५ से ६० ब्राड गेज वैगन प्रतिदिन करने के लिये शाहगंज में निम्न सुविधाओं का उपबन्ध किया जा रहा है:—

मीटर गेज

(१) ७ अतिरिक्त लाइनें,

(२) ३ छोटी लूप लाइनें,

(३) लोको शैड यार्ड में परिवर्द्धन और परिवर्तन, और

(४) कोयला लादने के दो छोटे प्लेटफार्म, बीच में ब्राड गेज लाइन और दोनों ओर एक मीटर गेज लाइन ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

ब्राड गेज

(१) एक अतिरिक्त लाइन ।

(ख) शाहगंज में क्षमता बढ़ जाने पर माण्डुदीह से शाहगंज की ओर सामान्य सामान के लगभग १५ ब्राड गेज वैगन और कोयले के २० ब्राड गेज वैगन भेजने की आशा है ।

(ग) शाहगंज होकर माल लाने ले जाने में वृद्धि के फलस्वरूप शाहगंज-मऊ सैक्शन पर हर दिशा में दो अतिरिक्त मालगाड़ियां चलाने की आशा की जाती है ।

(घ) और (ङ). ४१ पौंड की वर्तमान पटरियों के स्थान पर ७ पौंड की पटरियों का बिछाया जाना । वर्तमान स्लीपरों पर 'आर' पटरियों को बिछाये जाने का कार्य १९५९-६० के नर्माण कार्य में सम्मिलित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मनीपुर के आदिम जाति व्यक्तियों को ऋण

†११७१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के आदिमजाति व्यक्तियों को कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों और प्रशासन से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में नियमों की कार्यान्विति के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयां किस प्रकार दूर की जा रही हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कृषक ऋण अधिनियम, १८८४ के अधीन हाल ही में निर्मित नियमों के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के स्वामी की जमानत पर वैयक्तिक ऋण तथा निजी सम्पदा पर सह-ग्रामीणों के निकाय को, यदि भुगतान के लिये वह अपने आप को अलग-अलग तथा मिले जुले रूप में बना लें, कृषि विकास के लिये थोड़ी राशि के ऋण दिये जा सकते हैं ।

जयपुर स्टेशन का नवनिर्माण

†११७२. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री जयपुर स्टेशन के नवनिर्माण पर अभी तक व्यय राशि बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : लगभग १६,००,००० रुपये ।

बम्बई में तम्बाकू की खेती

†११७३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के कुछ भागों में तम्बाकू की खेती बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू की खेती कम करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सामुदायिक विभाग और पंचायत विभागों का मिलाया जाना

†११७४. श्री पू० चं० जैन : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को ऐसा पत्र संप्रेषित किया गया है जिस में उनके सामुदायिक तथा पंचायत विभागों को मिला कर एक विभाग कर देने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सुझावों पर किन-किन राज्यों ने कार्यवाही की है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी हां ।

(ख) यह राज्य सरकारों के विचाराधीन है ?

भोजन व्यवस्था

११७५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशन पर रेस्तरां के लिये ठेके देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या विभागीय भोजन-व्यवस्था से लाभ हो रहा है अथवा हानि ; और

(ग) क्या रेलवे द्वारा चलाये गये कुछ रेस्तरां में गो मांस भी दिया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शहनवाज खां) : (क) जिन होटल संचालकों और खान-पान की फर्मों की ख्याति अच्छी होती है और जिन्हें पश्चिमी ढंग के खान-पान का काफी अनुभव रहता है, उनसे अर्जियां मांग कर रेस्तरां चलाने के ठेके दिये जाते हैं ।

(ख) विभागीय खान-पान व्यवस्था से सरकार को इस समय कुछ नुकसान हो रहा है ।

(ग) जी नहीं । वर्तमान हिदायतों के अनुसार रेलवे के भोजनालयों में गो मांस बेचना मना है ।

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी

†११७६. श्री रणजीत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने डाक्टर, स्वास्थ्य परिदर्शक (हेल्थ विजिटर) और स्वच्छता इंस्पैक्टर उपलब्ध हैं ; और

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने विगत दो वर्षों में प्रत्येक कोर्स के लिये कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण अथवा प्रतिनियुक्ति के लिये भेजा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हिमाचल प्रदेश में १०९ डाक्टर, ४८ हेल्थ विजिटर और २८ स्वच्छता इंसपैक्टर उपलब्ध हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जानकारी नीचे दी जाती है :—

	१९५७-५८	१९५८-५९
(१) एम० बी० बी० एस० कोर्स . .	१९	१८
(२) हेल्थ विज़िटर कोर्स .	१९	२०
(३) स्वच्छता इंस्पैक्टर कोर्स . .	३	—

मनीपुर में मीन विपणि सर्वेक्षण[1]

†११७७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के प्रमुख मार्केटों में फिश मार्केट (मत्स्य विपणन) का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या सर्वेक्षण में मछलियों के उत्पादन का अनुमानित निर्धारण किया गया था ;

(ग) प्रतिवर्ष उत्पादन की मात्रा कितनी है और अधिक मात्रा में किस-किस किस्म की मछलियां उपलब्ध हैं ; और

(घ) जनसंख्या की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे भाड़ा

†११७८. **श्री हेम बरूआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, १९५८ से रेल भाड़े में वृद्धि का औद्योगिक उत्पाद और विशेष रूप से कपड़े और कोयले पर हुए प्रभाव का सरकार ने निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पाद की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी) :** (क) जी नहीं । पहली अक्टूबर १९५८ से इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं किया गया है । पुनरीक्षित दरों के लागू होने के पहले इस प्रकार का निर्धारण किया गया था और उस समय की कीमत पर, कुछ चुने हुए औद्योगिक उत्पादों के भाव पर भाड़े की वृद्धि का प्रभाव बताने वाले दो विवरण लोकसभा के पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये **परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८**]

प्रथम विवरण में केवल तैयार शुदा वस्तुओं के भाड़े में वृद्धि पर ही विचार किया गया है जब कि दूसरे में जिसमें तीन औद्योगिक उत्पाद सम्मिलित हैं कच्चे माल पर भाड़े में वृद्धि पर भी विचार किया गया है ।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि कीमतों पर वस्तुत: कितना प्रभाव हुआ है

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Fish Market Survey.

सार्वजनिक टेलीफोन घर

११७९. श्री भक्त दर्शन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर इस बीच सार्वजनिक टलीफोन घर खोले गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : अभी तक निम्नलिखित सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर खोले गये हैं:—

१. औराय
२. छुटमलपुर
३. चिरगांव
४. दोघाट
५. दोमरियागंज
६. होलीपुरा
७. खम्मरिया
८. खातिमा
९. मोर्यहु
१०. मोठ
११. पटियाली
१२. शाहपुर
१३. सितारगंज
१४. टनकपुर

यात्रियों के लिये सुविधायें

११८०. श्री भक्त दर्शन : क्या रेलवे मंत्री १५ नवम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में रेलवे उपभोक्ताओं की सुविधाओं में वृद्धि करने की जो योजनायें विचाराधीन थीं उनमें से कौन-कौन सी १९५६–५७ व १९५७–५८ के वर्षों में वास्तव में कार्यान्वित की गईं;

(ख) १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष के लिये इस प्रकार की कौन-कौन सी सुविधायें कहां-कहां पर देने का विचार है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक पर कितना-कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

उप रेल-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में विभिन्न स्टेशनों पर जो काम किये गये उनकी सूची अनुबन्ध 'ए' में दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११०५/५८]

(ख) १९५८–५९ में विभिन्न स्टेशनों पर जो काम करने का विचार है, उनकी सूची अनुबन्ध 'बी' में दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० ११०५/५८]

(ग) हर काम का अनुमानित खर्च उसके सामने दिया गया है ।

[illegible] में

दिल्ली में आटे की कीमतें

†११८१. { श्री राम कृष्ण :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत दो महीनों में दिल्ली में आटे का भाव बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भाव कम करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का क्या स्वरूप है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). जी हां । अक्टूबर, और नवम्बर के पूर्वार्द्ध में दिल्ली में आटे की कीमतें बढ़ गई थीं । दिल्ली की आटा मिलों को खुले बाजार में गेंहूं खरीदने से मनाही कर दी गई थी और केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर के मध्य से उन्हें पीसने के लिये आयात किये गये गेहूं देना प्रारम्भ कर दिया है। अब इन मिलों में बनने वाले आटे की मिल दर २¹/₂ मन (कुल वजन) की बोरी की ३२ रुपये १२ नये पैसे और खुदरा कीमत एक रुपये का २ सेर और ८¹/₂ छटांक है ।

पंजाब में नई रेलवे लाइनें

†११८२. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये अभी तक कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिकर के रूप में अभी तक कितना प्रतिकर दिया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) नई रेलवे लाइनें बनाने के लिये कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है किन्तु दिल्ली, मढ़ी हरसारू सैक्शन में लाइन को दोहरा करने के लिये २·२ एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी ।

(ख) १३,३०६ रुपये ।

राष्ट्रीय राजपथ पर डाक बंगले

†११८३. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय राजपथों पर कितने डाक बंगले बनाने का विचार है ; और

(ख) १९५८–५९ में इन डाक बंगलों के निर्वहन पर कितनी रकम खर्च की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक भी नहीं ।

नोट:—डाक बंगलों का निर्माण अथवा निर्वहन राष्ट्रीय राजपथों का अंग नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ौदा में युवक कांग्रेस

†११८४. श्री पु० र० पटेल :
श्री क० उ० परमार :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में हाल में नवम्बर, १९५८ में आयोजित युवक कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों को रेलवे किराये में रियायत दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने रियायत का लाभ उठाया और इससे रेलवे को कितनी हानि हुई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक कान्फ्रेंस में पृथक् रूप से रियायत का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सांख्यकी नहीं रखी जाती है और इस जानकारी को एकत्र करने में अन्तर्ग्रस्त समय और और श्रम इसके परिणाम की तुलना में बहुत अधिक होगा ।

रेलवे रियायतों से यह आवश्यक नहीं है कि रेलवे को हानि हो क्योंकि अन्य स्थिति में यात्रा न करने वाले व्यक्ति रियायतों के कारण ही यात्रा करते हैं । दूसरे शब्दों में किसी विशेष स्थिति में हानि या लाभ को निश्चित रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ।

मनीपुर में सहकारी समितियां

†११८५. श्री ले० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की एपेक्स को-आपरेटिव सोसाइटी की शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार ने कितना अंशदान दिया है ; और

(ख) मनीपुर में एपेक्स हैण्डलूम को-आपरेटिव सोसाइटी में कितना अंशदान किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १९५७–५८ में १·०३ लाख रुपये ।

(ख) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने को-आपरेटिव सोसाइटी की चल पूंजी के लिये एक लाख रुपये की रकम मंजूर की है और हथकरघा वस्त्र के विपणन के लिये चल पूंजी के रूप में २२,८१० रुपये की रकम दी है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण बोर्ड

†११८६. चौ० रणवीर सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार कर्मचारियों के कल्याण बोर्ड के लिये कितनी रकम नियत की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसके प्रारम्भ काल से अभी तक बोर्ड द्वारा कितनी योजनाओं का सूत्रपात एवं अनुमोदन किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) इस बोर्ड का कार्य परामर्श देना है और उसको कोई रकम नियत नहीं की गई है ।

(ख) बोर्ड ने छः योजनाओं की सिफारिश की है जिनमें से सरकार ने एक का अनुमोदन कर दिया है और दूसरी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है

औषधि तथा शल्य चिकित्सा (सर्जरी) में ट्रेनिंग कोर्स

†११८७. श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उन मेडिकल कालेजों के क्या नाम हैं जहां एम० बी० बी० एस० के संक्षिप्त कोर्स[1] की सुविधायें विद्यमान हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) एम० बी० बी० एस० के संक्षिप्त कोर्स की सुविधायें निम्नलिखित मेडिकल कालजों में उपलब्ध हैं :

(१) एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर ।

(२) एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, इन्दौर ।

(३) जी० आर० मेडिकल कालेज, ग्वालियर ।

(४) आसाम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ ।

(५) मेडिकल कालेज, नागपुर ।

(६) मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।

(७) कस्तूरबा मेडिकल कालेज, पनीपाल

फलों का उत्पादन

११८८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में देश में फलों के उत्पादन में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार फलों के अधिकाधिक उपयोग के लिये भी प्रयत्नशील है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या गत पांच वर्षों में मांसाहारियों की संख्या बढ़ी है अथवा शाकाहारियों की; और

(ङ) भारत का प्रत्येक राज्य फल उद्योग से कितना वार्षिक लाभ उठाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) सन् १९५५ में फल का कुल उत्पादन लगभग १९०० लाख मन हुआ था । बाद के वर्षों में इसके उत्पादन की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में फल उत्पादन के विकास के लिये एक योजना स्वीकार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक ५४,०५० एकड़ भूमि में नये फलों के बाग लगा दिये गये हैं और मौजूदा फल के बागों के ३२,३५० एकड़ भूमि को अभी तक पुनरुज्जीवत कर दिया गया है । ये नये स्थापित किये गये फल के बाग पौधे लगाने के ४ व ५ साल बाद

†मूल अंग्रेजी में

[1]Condensed course.

फल देने लगेंगे। जो फल के पुनरुज्जीवित किये गये बाग हैं (सन् १९५६–५७ में ७,९०० एकड़; सन् १९५७–५८ में १८,७१४ एकड़ और सितम्बर १९५८–५९ तक ५,७३६ एकड़) उनसे आशा की जाती है कि वे कम से कम १० प्रतिशत का अधिक उत्पादन दे सकते हैं। इस आधार पर उत्पादन में वर्षों के अनुसार निम्न बढ़ौतरी हो सकती है :—

	मन
१९५६ .	४०,०००
१९५७ . . .	१,३५,०००
१९५८	१,६४,०००

(ख) जी हां

(ग) फलों को पूरक खाद्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिये स्वास्थ्य प्रकाशन कार्यक्रम के द्वारा प्रचार किया जाता है।

(घ) इस विषय पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डाक-घर

११८९. श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तहसील किश्तवाड, जिला ढोढा (जम्मू और काश्मीर) में कितने डाकघर तथा तारघर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि किश्तवाड में डाक पहुंचने में बहुत देर लग जाती है और वहां के डाकघरों में मनीआर्डर, प्रपत्र और अन्य डाक सामग्री प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :(क) १ नवम्बर, १९५८ को काम कर रहे

डाक-घर	९
तार-घर	२

(ख) और (ग). जी नहीं; किश्तवाड में उपलब्ध होने वाली संचार-सम्बन्धी सुविधाओं का विचार करते हुये डाक के वहां पहुंचने का पार-गमन समय सामान्य-सा है।

मनी-आर्डर फ़ार्मों तथा डाक-सामग्री की कमी के विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि किश्तवाड में २५०० मनी-आर्डर फ़ार्म १८ जून, १९५८ को उपलब्ध कराये गये थे। वहां के डाक-घरों में इन फ़ार्मों को पर्याप्त मात्रा में दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है। अन्य प्रकार की डाक-सामग्री का सम्भरण सन्तोषजनक है।

खाद्यान्न का यातायात

११९०. श्री म० दी० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में अब तक उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से खाद्यान्न के यातायात के लिये कितने बन्द और खुले माल डिब्बे दिये गये और प्रत्येक प्रकार के डिब्बों में कितना खाद्यान्न भेजा गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ईंधन के यातायात के लिये कितने बन्द और खुले माल डिब्बे दिये गये ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि खुले डिब्बों में खाद्यान्न के यातायात के फलस्वरूप प्रति वर्ष खाद्यान्न की काफी मात्रा खराब हो जाती है और व्यापारियों को खाद्यान्न के संरक्षण और उसे तेजी से लादे ले जाने पर अधिक व्यय करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्न के यातायात के लिये खुले माल डिब्बे देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) बहराइच जिले के स्टेशनों से अनाज के जितने डिब्बों का लदान किया गया और उनमें जितना माल भेजा गया उनका व्यौरा इस प्रकार है :—

साल	बन्द माल डिब्बे		खुले माल डिब्बे		जोड़
	तादाद	मन	तादाद	मन	
१९५७ .	४,२४०	१५,३२,८५५	६१७	१,९६,२५१	
१९५८ . (२५-११-५८ तक)	३,९१५	११,६४,५६९	८८१	२,६०,०३३	
जोड़ १-१-५७ से २५-११-५८ तक	८,१५५	२६,९७,४२४	१,४९८	४,५६,२८४	

(ख) साल	बन्द माल-डिब्बों की तादाद	खुले माल-डिब्बों की तादाद
१९५७	३८९	७०५
१९५८ (२५-११-५८ तक)	४८९	७८३
जोड़: १-१-५७ से २५-११-५८ तक	८७८	१,४८८

(ग) जी नहीं। यदि माल लादते समय धूप और बारिश से बचाने के लिए उसे अच्छे तिरपाल से ढककर पूरी सावधानी बरती जाय, तो खुले माल-डिब्बों में भेजा गया अनाज खराब नहीं होगा। वास्तव में व्यापारी लोग कभी कभी स्वयं खुले माल-डिब्बों में माल भेजना पसन्द करते हैं, क्योंकि बन्द माल-डिब्बों के बजाय खुले माल-डिब्बे प्राय: पहले और आसानी से मिल जाते हैं। यह सच है कि खुले माल-डिब्बों में माल भेजने पर माल भेजने वालों को डिब्बों को ढकने और उनकी निगरानी रखने के लिए कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ता है, लेकिन उन का माल जल्द भेज दिया जाता है जिसकी वजह से यह ज्यादा खर्च प्रायः संतुलित हो जाता है ।

(घ) खुले माल-डिब्बों में अनाज लादने के लिए रेलवे माल भेजने वालों पर कोई दबाव नहीं डालती। अनाज लादने के लिए ऐसे डिब्बे केवल उन्हीं को दिये जाते हैं जो अपनी मर्जी से इनमें माल भेजना पसन्द करते हैं। इसके अलावा जलाऊ लकड़ी के लिए जिस तरह के भी बन्द डिब्बे दिये जाते हैं, वे प्रायः अनाज भेजने के लिए उपयुक्त नहीं होते।

राष्ट्रीय राजपथ

†११९१. श्री वि० चं० प्रधान : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अभी तक कुल कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ का अभी तक निर्माण किया गया है ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में कुल कितने मील लम्बे राजपथ का निर्माण किया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ११३ मील।

(ख) ४९ मील।

नोट : उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ की कुल लम्बाई ८५१ मील है ।

डाक तथा तार घर

†११९२. श्री वि० चं० प्रधान : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के फुलबनी और कालाहांडी जिलों में १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक कुल कितने डाक तथा तार घर खोले गये हैं ;

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में खोले जाने वाले ऐसे कार्यालयों की कितनी संख्या है ; और

(ग) प्रस्तावित स्थानों के क्या नाम हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क)

जिले का नाम	१९५७–५८ और १९५८ ५९ में ३१ अक्तूबर १९५८ तक खोले गये डाक घरों की संख्या	
फुलबनी	१६	६
कालाहांडी	८	२

जिले का नाम	१९५७–५८ और १९५८–५९ में ३१ अक्तूबर, १९५८ तक खोले गये तार घरों की संख्या	
फुलबनी	—	—
कालाहांडी	—	—

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय योजना की शेष अवधि में खोले जाने वाले डाक तथा तार कार्यालय

जिले का नाम	डाक घरों की संख्या	तारघरों की संख्या (जिसमें डाक तथा तार घर संयुक्त रूप में हैं)
फुलबनी	५०	६
कालाहांडी	३२	४

(ग) जिले का नाम	उन स्थानों के नाम जहां डाक घर खोलने का प्रस्ताव है	उन स्थानों के नाम जहां तार घर (जिनमें मिले जुले डाक तथा तार घर सम्मिलित हैं) खोलने का प्रस्ताव है
फुलबनी . . .	१. तेली बांध	१. घंटापाड़ा
	२. बड़ा बांध	२. हरभंगा
	३ से ५० } अभी तक जिनका स्थान अनिर्णीत है	३. कजूरीपाड़ा
		४. फिरगया
		५. पुराना कटक
		६. मनमुंडा
कालाहांडी .	१. खैटा	१. काशीपुर
	२ से ३२ } अभी तक जिनका स्थान अनिर्णीत है	२. लंजीगढ़
		३. लेगान
		४. सिनापल्ली

पंजाब से गेहूं का निर्यात

†११९३. सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, १९५८ में पंजाब से कुल कितने गेहूं का निर्यात किया गया है ; और

(ख) इन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य को कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) (क) और (ख). अगस्त, सितम्बर, और अक्तूबर १९५८ में सरकारी खाते में पंजाब से अन्य राज्यों को निम्न मात्रा में गेहूं भेजा गया था :

(आंकड़े मन में)

राजस्थान	१,५०,०००
मध्य प्रदेश	१,००,०००
उत्तर प्रदेश	२,७५,०००
बिहार	२५,०००
कुल	५,५०,०००

पंजाब से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर गेहूं ले जाने पर कोई नियंत्रण नहीं है। इन क्षेत्रों में हुए व्यापार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

इंजनों का खराब होना

†११९४. सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के भटिंडा और फाजिल्का स्टेशन पर १९५७ और १९५८ में हर महीने कितने इंजन खराब हुए थे ;

(ख) इस खराबी के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में इस खराबी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १ जनवरी, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक ६ और ७ अगस्त १९५७ को भटिंडा में केवल एक इंजन खराब हो गया था जब कि फाजिल्का स्टेशन पर कोई इंजन खराब नहीं हुआ।

(ख) खराब कोयले के कारण।

(ग) इंजन में खराबी के कारण की प्रत्येक स्थिति में जांच की जाती है और इंजन की खराबी का कारण सिद्ध होता है तो

(१) कोयले के डिपुटी कन्ट्रोलर से इस विषय पर बातचीत की जाती है कि क्या इसकी सप्लाई अच्छी श्रेणी की नहीं थी ; अथवा

(२) रेलवे में इसके लिये उत्तरदायी कर्मचारियों से पूछताछ की जाती है कि क्या उन्होंने खराब कोयला डाल दिया था, अथवा राख और मिट्टी भरा कोयला या किसी हलके काम वाला कोयला प्रयुक्त किया था।

रेल गाड़ियों का देर से आना

†११९५. सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में उत्तर रेलवे में दिल्ली से फिरोजपुर जाने वाली कितनी गाड़ियां लेट चल रही थीं ;

(ख) इस प्रकार की अनियमितताओं के क्या कारण हैं ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १ जनवरी से २५ नवम्बर, १९५८ तक की अवधि में नं० ३७ अप पंजाब मेल, ३४१ अप और ३६९ अप पैसेंजर गाड़ियां ९८७ अवसरों में से २०५ अवसरों पर लेट थीं ।

(ख) दिल्ली और फीरोजपुर के उपरोक्त गाड़ियों की सेवा १ जनवरी से ३१ मई, १९५८ की अवधि में अपेक्षाकृत संतोषजनक थी । किन्तु जून से नवम्बर, १९५८ से गाड़ियों के नियमित चलने का ह्रास हो गया । इस के मुख्य कारण यह हैं :

(१) अभूतपूर्व अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जिन से दरारें पड़ गईं और सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ियां चलाने में सावधानी बरतनी पड़ी ;

(२) दिल्ली मेल की पश्चिम केबिन में अक्टूबर, १९५८ के दौरान मरम्मत ; और

(३) संचालन सम्बन्धी कारण जैसे दुर्घटनायें, अव्यवस्थित क्रासिंग, इंजनों द्वारा समय की हानि आदि ।

(ग) इन में सुधार करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है । नं० ३४१ अप और ३६९ अप पैसेंजर गाड़ियों में नवम्बर, १९५८ में सुधार कर दिया गया है ।

चीनी उत्पादन

†११९६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य की फैक्टरियों में १९३९-४० की मौसम की अपेक्षा १९५६-५७ और १९५७-५८ में चीनी का उत्पादन कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) जी नहीं । पंजाब की फैक्टरियों में चीनी का उत्पादन १९३९-४० की मौसम की अपेक्षा १९५७-५८ की मौसम में काफी अधिक था । १९३९-४० में उत्पादन १६,२९९ टन था जो १९५६-५७ में बढ़ कर ५७,७६७ टन और १९५७-५८ में ८२,३५८ टन हो गया था ।

पंजाब में स्वास्थ्य योजनाओं के लिये सहायता

†११९७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका से परियोजनाओं के अन्तर्गत १९५७-५८ और १९५८-५९ में प्राप्त सहायता में से पंजाब को कितना साहाय्य प्रदान किया गया है ; और

(ख) यह साहाय्य किन किन मदों के अधीन दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५७-५८ में १५,२८,१७१ रुपये । १९५८-५९ में १८,७५,९८० रुपये (आवंटित)

(ख) (१) राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम

(२) मेडिकल कालेजों और सम्बद्ध संस्थाओं को सहायता और

(३) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वर्ष १९५७-५८ का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग १ और २) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ११०२/५८]

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं एयर कारपोरेशन अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० ११०३/५८]

(२) एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० ११०४/५८]

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा ८ दिसम्बर, १९५८ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर, अन्य स्थानापन्न प्रस्तावों के साथ, अग्रेतर विचार करेगी :—

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये ।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर कल जो वाद-विवाद हुआ उस में मुख्यतया भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों तथा विशेष रूप से सीमा विवादों का जिक्र किया गया । कुछ अन्य बातों के सम्बन्ध में भी जिक्र किया गया । मैं सीमा विवादों के सम्बन्ध में और उस करार के सम्बन्ध में, जिसे कभी कभी नेहरू-नून करार कहा जाता है, कुछ बताना चाहता हूं । परन्तु ऐसा करने के पूर्व मैं सीमा सम्बन्धी कुछ प्रश्नों की बात दोबारा कहना चाहता हूं ।

माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह ने जिस भाषा का प्रयोग किया उस से मेरे दिमाग में और संभवतः अन्य लोगों के दिमाग में भी काफी गलतफहमी पैदा हो गई । उन्हों ने कहा कि वह हमारी नीति, हमारी विदेशी नीति से सामान्यतया सहमत है पर हमारी गुटों में सम्मिलित न होने की नीति से सहमत नहीं है । यह एक अजीब बात उन्होंने कही—एक तरफ वह कहते हैं कि वह हमारी नीति से सहमत हैं और दूसरी ओर उस से इंन्कार करते है । उस के बाद उन्हों ने कहा कि फिर भी मैं नेहरू की नीति से सहमत हूं । उन की बात मेरी समझ में नहीं आई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं नहीं समझता कि हमारी सामान्य नीति, गुटों में शामिल न होने की नीति तथा उस नीति में, जिसे गलती से नेहरू नीति कहा जाता है क्या अन्तर तथा भिन्नतायें हैं । मैं समझता था कि ये तीन लगभग एक ही हैं ।

फिर भी, सर्वप्रथम में गलतफहमी को दूर करने के लिये यह बताना चाहता हूं कि हमारी गुटों में शामिल न होने की नीति का अर्थ है सैनिक गुटों में शामिल न होने की नीति । यह कोई नकारात्मक नीति नहीं है बल्कि एक रचनात्मक, निश्चित और, मैं समझता हूं कि, एक गतिशील नीति है पर जहां तक सैनिक गुटों तथा विद्यमान तनाव का सम्बन्ध है, हम किसी भी गुट के साथ नहीं हैं । वास्तव में यह नीति नहीं, बल्कि नीति का एक भाग है । यह बात काफी स्पष्ट है और हम इस बात को आज बलपूर्वक कहते हैं कि हम शीतयुद्ध के किसी दल में या किसी सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि आज संसार के देश शीतयुद्ध तथा सैनिक गुटों की बातें करते हैं और उन्हें एक दूसरे से भय बना रहता है ।

अपने सुनिश्चय के अनुसार तथा अपने मुख्य उद्देश्यों तथा आदर्शों की संवृद्धि के उद्देश्य मे काम करने की नीति ही हमारी नीति है । प्रत्येक देश की विदेशी नीति का प्रथम उद्देश्य अपनी रक्षा, अपनी उन्नति करना होता है और प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करनी चाहिये । देश की सुरक्षा को कई प्रकार से रक्षित रखा जा सकता है । सामान्य धारणा यह है कि सुरक्षा की रक्षा सेना द्वारा की जाती है । यह बात सत्य अवश्य है पर अन्शतः ही सत्य है । सुरक्षा की प्राप्ति तो नीतियों द्वारा होती है । यदि आप की मित्रता है अन्य देशों से तो आप कुछ सीमा तक सुरक्षित हो सकते हैं और यदि आप की शत्रुता है तो आप की सुरक्षा कुछ खतरे में हो सकती है । अतः अन्य देशों के साथ मित्रता की नीति अपनाने में सुरक्षा की वृद्धि होती है । यह नीति सफल न हो, यह एक दूसरी बात है ।

इस के अतिरिक्त विस्तृत दृष्टिकोण से भी हम ने सदा ही विश्व शान्ति के लिये प्रयत्न किया है । हम यह भी जानते हैं कि ऐसे मामलों में हमारा प्रभाव बहुत सीमित हो सकता है । इस का कारण यह है कि न तो हमारे पास आधुनिक आणविक शस्त्र है न हमारी क्षमता ऐसे शस्त्रों को रखने की है । फिर भी हमारा प्रभाव नगण्य नहीं रहा है, इसलिये नहीं जैसा मैं बता चुका हूं कि ऐसे मामलों में हम बहुत प्रभावशाली हैं---हम इस बात का दावा नहीं करते---बल्कि इसलिये कि हम विश्वास करते हैं कि शान्ति स्थापित करने के संबंध में हम ने जो कुछ कहा है उस का प्रभाव संसार के सभी देशों के लोगों के हृदय पर पड़ा है । क्यों यह एक सही तथा ठीक बात थी । सरकारी नीतियों, तनाव तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के होते हुए भी हमारी बातों को लोगों ने पसन्द किया और उस की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई ।

सरकारों पर हमारा क्या प्रभाव है इस संबंध में मैं समझता हूं कि इस मामले की अविलम्बनीय आवश्यकता के सम्बन्ध में उन पर प्रभाव डालने में हमें सफलता मिली है । यद्यपि मैं इस संबंध में निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकता फिर भी मैं कुछ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शान्ति के मामले में संसार भर के लोगों पर हमारा काफी प्रभाव है । यदि कोई माननीय सदस्य संसार के किसी भाग में, यूरोप, एशिया, अमरीका और अफ्रीका जाये तो वे देखेंगे कि शान्ति के सम्बन्ध में भारत का नाम लिया जाता है । इन बातों के कारण हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । शान्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में नाम का सम्बन्ध होना एक विशेष महत्व की बात है पर इस से हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और हमारे लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि हम विश्वशान्ति को बढ़ाने के लिये ही प्रयत्न करें बल्कि अपने देश के सम्बन्ध में भी हम इसी प्रकार काम करें जिस से शांति की रक्षा व वृद्धि हो । यह बात हमारे लिये ठीक नहीं कि संसार के सामने हम कुछ और बात

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कहें और अपने घरेलू मामलों में कुछ और बात कहें या काम करें जोकि संसार के सामने कही गई बात के विरुद्ध हो ।

हमारी विदेशी नीति का यह रचनात्मक दृष्टिकोण है । यह रचनात्मक दृष्टिकोण यह है कि संसार में स्वतंत्रता की वृद्धि हो, उपनिवेशों के स्थान पर स्वतंत्र देश हों और उनमें अधिक से अधिक सहयोग हो । अत : यदि श्री जयपाल सिंह इस बात पर आगे विचार करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने हमारी नीति की जो विभिन्न परिभाषायें तथा व्याख्यायें दीं, उनमें कोई संघर्ष नहीं है । फिर भी, हमारी नीति को 'नेहरू नीति' कहना सर्वथा गलत है । इसका कारण यह है कि हमने तो इस नीति को मज़बूत बनाने का प्रयत्न मात्र किया है ; मैंने इसका सूत्रपात्र थोड़े ही किया है । यह नीति तो भारत की परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है, प्राचीन विचारधारा जन्य है भारत के दृष्टिकोण की उपज है स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस ढंग से हमें नेतृत्व मिला, उसकी उपज है । और आज की स्थिति की उपज है । मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र हूं क्योंकि गत कुछ वर्षों में मैं देश के विदेश मंत्री के रूप में देश के भीतर तथा विदेश में इस नीति का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं और कई बार मैंने इसका समर्थन किया है । व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि चाहे कोई भी व्यक्ति, भारत के विदेश विभाग का प्रभारी होता या कोई भी दल भारत की वैदेशिक नीति का प्रभारी होता, वह इस नीति से अधिक दूर नहीं हो सकता था । हो सकता है किन्हीं बातों पर अधिक या कम जोर दिया जाता पर, जैसा कि मैं बता चुका हूं यह नीति भारत की भावनाओं की प्रति निधि है ।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि विदेशों में कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि यह नीति अचानक कैसे पैदा हो गयी है और सिर्फ एक नीति है और वे इस नीति को, जैसा कि श्री जयपाल सिंह ने कहा, अनिश्चित नीति मानते हैं । मैं नहीं समझता कि उनके मन में क्या धारणा है इस संबंध में अनिश्चित होने या कभी इस व्यक्ति या देश को तो कभी उस व्यक्ति या उस देश को अपनी तरफ़ मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है । सच पूछा जाये तो हम हमेशा और हर देश के साथ मित्रता करने को तैयार है । हम सब के साथ मित्रता रखना चाहते हैं । हम चाहे किसी देश से सहमत भले न हों, पर हम किसी की निन्दा या बुराई नहीं करते, फिर भी, हम अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से देश एक-दूसरे की बुराई करते हैं और कटुता फैलाते हैं । आप किसी की निन्दा करके उसको अपनी बात समझने के लिये राज़ी नहीं कर सकते ।

अत : हम हमेशा इस बात से बचते हैं । संसार में ऐसी बहुत सी बातें हो रहीं हैं जिन्हें हम बहुत नापसंद करते हैं । उनके संबंध में हम केवल सामान्य विचार प्रकट कर देते हैं ; इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते । यदि उन बातों का हम पर असर पड़ता है तो हम उनके बारे में अवश्य बात करते हैं । अन्यथा हम ऐसी बातों के संबंध में दखल नहीं देते जिनका हम पर या विश्व शान्ति पर कोई असर नहीं पड़ता । मैं समझता हूं कि शायद श्री जयपाल सिंह को छोड़कर अन्य किसी भी माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई संदेह नहीं है ।

हमारी नीति को अनिश्चित कहने का जो दृष्टिकोण है उसे सही नहीं कहा जा सकता । कहा गया कि आज के संसार में हमारे सामने केवल दो मार्ग हैं । यदि आप मानते हैं कि केवल दो मार्ग हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप को तनाव में हिस्सा लेना होगा या सैनिक गुटों का सदस्य बनना होगा । पर मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं । बड़े-बड़े देशों के सम्मान को ध्यान में रखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह आवश्यक है कि जिन देशों के पास बड़ी सैनिक शक्ति है या जिनके पास सम्पत्ति की महान शक्ति है वे हमेशा सही काम करते हों या उनका दृष्टिकोण हमेशा सही हो ? क्या अणुबमों का स्वामी होने से कोई देश—अणबमों के न रखने वाले देशों की तुलना में—अधिक

बुद्धिमान, योग्य या शान्तिप्रिय हो जाता है ? यह एक साधारण सा तथ्य है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है । अधिक सैनिक शक्ति वाला देश अधिक उपयुक्त कार्य ही करेगा—ऐसी बात जरूरी नहीं । मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं पर देश के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि देश के व्यक्ति के नाते भी मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि अपने स्वतंत्र निर्णय का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दूं । यही हमारी नीति का मूलमंत्र है ।

श्री डांगे ने कहा, "आप सबके मित्र हैं, पर कभी कभी आप कुछ लोगों की तुलना में अन्य लोगों के अधिक अच्छे मित्र बन जाते हैं ।" इस बात को सुनकर मुझे वह बात याद आती है, "सब व्यक्ति समान हैं, पर कुछ अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक समान होते हैं ।" यह सच है ; हो सकता है कि कभी कभी हमारे कार्यों या हमारी बातों से कुछ व्यक्तियों को, जो इन बातों के संबंध में कुछ विशेष मत रखते हैं, ऐसा लगता हो कि हम किसी एक पक्ष की ओर, दूसरे पक्ष की तुलना में, अधिक झुके हुये हैं । सच तो यह है कि हम जो ठीक समझते हैं उसी मार्ग पर चलते हैं और जब भी कभी अवसर आता है हम सब के साथ मित्रता करने को तैयार रहते हैं । पर यह सच है कि कुछ मामलों में––उदाहरण के लिए आर्थिक मामलों में तथा कुछ अन्य मामलों में जिनका उल्लेख मैं करूंगा–– हमारे कुछ पुराने संबंध हैं ; जिनका हम पालन करते हैं । भूतकाल में––चाहे ठीक हो या गलत–– व्यापारिक तथा वाणिज्यिक मामलों में हमारी एक विशेष दिशा रही है। अभी हमने उस दिशा को छोड़ा नहीं है । हमने कुछ नये मार्गों को भी विकसित किया है पर हमने अपने पुराने संबंधों, पुराने व्यापारिक मार्गों आदि को भी नहीं छोड़ा है ; अत : हो सकता है इसी कारण कुछ लोगों को ऐसा भास हुआ हो कि हम किसी पक्ष विशेष की ओर झुके हुये हैं । श्री डांगे ने इस बात पर आपत्ति की कि हमारे सेनाध्यक्ष ब्रिटेन के कुछ सैनिक पदाधिकारियों से मिलने गये । शायद वह सोचते हों कि हम राष्ट्र मंडल के कुछ देशों से कुछ सैनिक गठ बन्धन कर रहे हैं । उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति की कि हमारी नौसेना ब्रिटिश नौ सेवा के साथ बनावटी लड़ाइयों में भाग ले ।

मैं समझता हूं कि ऐसी आपत्ति करने में भी उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि उनको कुछ गलत फहमी है । हम अपने सेनाध्यक्ष को संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिये यदा-कदा लंदन भेजते हैं । हम उनको इस लिए भेजते हैं कि आधुनिकतम उपायों का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का इससे अच्छा अवसर मिलता है । मैं यह नहीं कहता कि इस संबंध में ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता । पर हम इस प्रकार अन्य देशों के विरुद्ध किसी रक्षा नीति की बात नहीं करते ।

उदाहरण के लिए, जब भी कभी राष्ट्र-मंडल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन होता है मैं उसमें भाग लेता हूं । साथ ही प्रतिरक्षा संबंधी मामलों पर भी बैठकें होती हैं ; उनमें हम भाग नहीं लेते । मैं समझता हूं कि लंका भी ऐसी बैठकों में भाग नहीं लेता । हम इन बैठकों में इसलिए भाग नहीं लेते कि ब्रिटेन या राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के प्रतिरक्षा उपायों या युद्ध तथा शान्ति उपायों से हमारा कोई संबंध नहीं है ।

पर किसी अभ्यास के देखने के लिए जाना तो एक बिल्कुल भिन्न बात है । वास्तव में अभ्यास में युद्ध के नवीनतम उपायों के संबंध में चर्चा की जाती है और यह भी चर्चा की जाती है कि पुराने उपायों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है आदि । हमारे देश में इस प्रकार की चर्चा के कोई अधिक अवसर नहीं मिलते । जब भी कभी ऐसा कोई अवसर हमारे सामने आता है––यद्यपि ऐसे अवसर बहुत ही कम आते हैं—हम राष्ट्र मंडलीय देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में भी जाकर उसका लाभ उठाते हैं । मुख्य बात यह है कि हमारे सामने जब ऐसा अवसर आता है तो हम उसका लाभ उठाते ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नौसेना के युद्ध अभ्यास के संबंध में मुझे बताना है कि नौसेना या सेना के लिए अभ्यास आवश्यक है। आप सेना या नौसेना को बनावटी युद्ध के अभ्यास के बिना अकर्मण्य बना कर नहीं रख सकते। ये प्रदर्शन बनावटी युद्धों के होते हैं। हमारी नौ सेना इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसे दो पक्षों में बांट कर उनका बनावटी युद्ध करा सकें। हो सकता है ब्रिटेन, अमरीका या रूस की नौसेना इतनी बड़ी हो कि वह इस काम को स्वयं कर सकती हो पर हम नहीं कर सकते। अत: हम इन बनावटी युद्धों का लाभ उठाते हैं। उन में बनावटी युद्ध की सी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और इस प्रकार उनसे हमारे सैनिक बहुत कुछ सीखते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि हमारे नौसैनिकों को तथा सैनिकों को इस प्रकार का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कराया जाये और जब भी हमें ऐसा अवसर मिलता है, हम उसका लाभ उठाते हैं।

भूतकाल में, हमेशा हमारे राष्ट्रमंडल के साथ संबंधों का उल्लेख होता आया है। पर इस अवसर पर कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने उसका जिक्र किया पर विरोधी दल ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने की उपयुक्तता के संबंध में मैं कई बार अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। इस संबंध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सभा को पता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता से हमारे सामने ऐसी कोई बाधा नहीं आई है कि हमें अपनी नीति को छोड़ना पड़ा हो। सच तो यह है कि अनेक अवसरों पर इस सदस्यता से हमें इस बात में मदद ही मिली है कि हम अपनी नीति का असर दूसरे पर––चाहे वे राष्ट्र मंडल के सदस्य हों या न हों––अधिक प्रभावी ढंग से डाल सके हैं। अत: इस प्रकार हमें अपनी नीति को अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायता मिली है। ठीक है, अन्य मामलों में हमें इससे अधिक सहायता नहीं मिलती। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल का सदस्य है और दक्षिण अफ्रीका में जातिभेद आदि अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं अत: यह बात हमारे लिए असम्माननीय है कि हम उस राष्ट्र मंडल के सदस्य रहें जिसका सदस्य दक्षिण अफ्रीका भी हैं।

दक्षिण अफ्रीका संघ की जाति भेद वाली नीति को तथा इन उद्गारों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। आज संसार के सामने जो बड़े-बड़े प्रश्न हैं उनमें यह भी एक प्रश्न है। मैं समझता हूं यह बात मूलत: गलत है और भविष्य के लिए यह बात अन्य बातों की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। मुझे दुख है कि ऐसे देश जो लोकतंत्रात्मक परम्पराओं के समर्थक हैं, जिन्होंने राष्ट्र संघ के मानव अधिकार अभिसमय का अनुमोदन किया है वे भी दक्षिण अफ्रीका संघ की इस जाति भेद नीति के संबंध में सामान्य रूप से भी अपने विचार प्रकट नहीं करते। यह केवल नीति का प्रश्न नहीं है। मेरा कहना है कि किसी राष्ट्र द्वारा ऐसा किया जाना एक अनैतिकता है और अन्तर्राष्ट्रीय अनैतिकता है। किसी देश के मामले में दखल देने का न हमारा इरादा है और न हमारे पास कोई कारण है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपनी आन्तरिक नीति के संबंध में इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इस बात के अतिरिक्त कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के लोग हैं और वे कुछ गारंटियों के अधीन वहां गये थे अत: यह हमारे लिए गंभीर बात है। यदि हमारा यह संबंध न भी होता तो भी दक्षिण अफ्रीका की इस जाति भेद नीति के प्रति हमारी यही भावनायें होतीं।

जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो लोग लोकतंत्रात्मक परम्पराओं तथा व्यक्तिगत सम्मान के समर्थक है उहोंने भी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा कुछ लोग कहते हैं। सभा को स्मरण होगा कि कनाडा के प्रधान मंत्री श्री डीफेन बेकर ने, जब वह यहां आये थे, इस जाति भेद की नीति के विरोध में काफी प्रभाव पूर्ण शब्दों में विचार व्यक्त किये थे। पर कुछ अन्य देश ऐसा नहीं करते।

यही बात कल मैं ने पाकिस्तान के प्रसंग में भी कही थी। मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के घरेलू मामलों की आलोचना नहीं करना चाहता। हर देश की जनता को अधिकार है कि वह जैसी चाहे वैसी सरकार बनाये और इस बात से हमारा कोई संबंध नहीं जब तक कि वह सरकार हमें धमकी नहीं देती या मान्य अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई काम नहीं करती जैसा कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार कर रही है। यह एक भिन्न बात है। पर मेरे लिए चिन्ता की बात यह है कि लोक तंत्रात्मक दृष्टिकोण तथा लोक तंत्रात्मक परिपाटियां धीरे-धीरे नष्ट हो रही हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मैं ने यह बात देखने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी प्रतिक्रिया अन्य लोगों पर क्या हुई है। जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में हुई घटनाओं के संबंध में अन्य देशों का मत है कि जो कुछ भी हुआ है वह लोकतंत्र से कोई भिन्न नहीं है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। स्वयं को धोका देने का इससे बड़ा क्या प्रयत्न हो सकता है ? और इससे पता लगता है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति जो तनाव की स्थिति से पैदा हो रही है, हमें कहां तक ले जाती है।

आज संसार को अपने किसी आदर्श या सिद्धान्त के प्रति कोई लगाव नहीं है। केवल यही बात देखी जाती है कि इस शीत युद्ध में अमक देश हमारे साथ है या नहीं। यही सबसे बड़ी कसौटी बना ली गयी है।

आप गोआ और पुर्तगाल के मामले को लीजिये। पुर्तगाल में कैसी सरकार हो इस से हमारा या हमारी इस सभा को कोई मतलब नहीं पर प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुर्तगाल में प्राधिकारीवादी सरकार या एक प्रकार की तानाशाही सरकार है। पर पुर्तगाल को शान्ति का स्तम्भ तथा लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों का समर्थक कहा जाता है। ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती। इस से पता लगता है कि---चाहे साम्यवादी देश हों या गैर-साम्यवादी देश हों---हम सब लोग शब्दों का प्रयोग उन अर्थों में करते हैं जिन का वह अर्थ किसी भी शब्द कोष में नहीं होता। हम किसी भी समस्या के प्रसंग में शब्दों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करते हैं कि वह हमारे दृष्टिकोण या रवैये के अनुकल हों। गोआ के संबंध में हम सभी लोग जानते हैं। वहां क्या हो रहा है यह भी हम जानते हैं। वहां कोई नागरिक स्वतन्त्रता नहीं है। आज महत्वपूर्ण लोग महत्वपूर्ण देश गोआ या पुर्तगाल के संबंध में कुछ भी नहीं कहते। भूतकाल में भी उन्होंने जो कुछ कहा है उस से पुर्तगाल को गोआ के मामले में प्रोत्साहन ही मिला है। अभी कुछ समय पूर्व हमने पुर्तगाल के चुनाव की बात सुनी थी। अनेक देशों के चुनावों के बारे में हम पढ़ते हैं---तरह तरह की आलोचनायें; पर पुर्तगाल के चुनावों के संबंध में शायद कहीं कुछ कुछ समाचार आये हों अन्यथा सारे चुनाव का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ।

अतः आज के युग में किसी देश के सामने उस की नीति, कार्यक्रम या उद्देश्यों का प्रश्न नहीं है: उस के सामने एक ही प्रश्न है कि आज के शीत युद्ध के संघर्ष में कौन सा देश किस पक्ष में है, क्या वह हमारे साथ है या अन्य लोगों के साथ।

आज एक बात को लोग भूल जाते हैं कि यह हमेशा जरूरी नहीं कि इन मामलों में देश की जनता, चाहे देश की बड़ी समस्यायें हों या छोटी, सरकार के साथ है। चाहे युद्ध का मामला हो या शान्ति का जनता की राय का तो महत्व है ही। युद्ध के मामले में तो जनता की राय का और भी महत्व है। आज संसार के देश तरह तरह की संधियां या करार करते हैं पर वे भूल जाते हैं कि उस करार को जनता का अनुमोदन प्राप्त है या नहीं या कम से कम यह भी नहीं देखते कि जनता उस सन्धि से असन्तुष्ट तो नहीं है। इस प्रकार ये गलत फहमियां चलती हैं।

इस चीज का एक बड़ा उदाहरण ईराक में, जो कि बगदाद करार का एक जन्मदाता देश है, हुई क्रान्ति है। इस करार का नाम ही देश की राजधानी के नाम पर रखा गया था। एकाएक देश में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

क्रान्ति हुई क्योंकि ये सब करार कृत्रिम था और इन करारों को करने वाले कुछ बड़े पदाधिकारी थे जो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। अतः उसी देश से बगदाद करार की अट्टालिका ढह गई। जिस देश ने इस करार को आरम्भ किया था अब या तो इस करार का नाम भाषणों में आता है या लेखों में और शायद कहीं नहीं।

आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है अतः इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति गलतफहमी का शिकार हो जाता है। मैं यह नहीं दावा करता कि मेरे अन्दर कोई अद्भुत विद्वता है या विशेष ज्ञान है पर मैं कोशिश करता हूं कि इन गलतफहमियों में न फंसूं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि भविष्य क्या होगा मैं चाहूंगा कि हम भारत के लोग पथ भ्रष्ट न हों और भारत तथा विश्व की शान्ति के लिए प्रयत्नशील रहें।

वास्तव में हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं और उदाहरण के लिये हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान को लीजिये हम ने उस के साथ हमेशा न्यायपूर्ण रवैया ही अपनाने की कोशिश की है। मैं सभा को बता चुका हूं कि जहां हमारी गलतियां हुई हैं हमने उन्हें स्वीकार किया है। मैं ने कल बताया था कि सीमा विवादों के संबंध में कभी कभी हमारी गलती भी होती है और कभी कभी हम ऐसी बातों पर जोर देते हैं कि जिन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिये। मैं बता चुका हूं कि अपने व्यवहार में हम ने पाकिस्तान के साथ सदा न्याय करने का प्रयत्न किया है—मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा व्यवहार सदा ही समुचित रहा है क्योंकि ऐसे मामलों में जिन में किसी के हितों को ठेस पहुंचती है कोई भी व्यक्ति पूर्णतः न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता—फिर भी उस पक्ष की ओर से कोई समुचित परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। हम जो कुछ प्रयत्न करते हैं वह केवल इसलिये नहीं करते हैं कि हम उन के व्यवहार में परिवर्तन की प्रत्याशा रखते हैं, उन के व्यवहार से कोई परिवर्तन हो या न हो मैं समझता हूं कि हमें सही प्रकार से व्यवहार करते जाना चाहिये। यह मार्ग केवल सही ही नहीं है बल्कि इसी से हमें शक्ति भी मिलती है चाहे यह पाकिस्तान का मामला हो या दक्षिण अफ्रीका का या अन्य किसी देश का।

कुछ माननीय सदस्य मुझ से पूछते हैं कि आप शक्ति से काम क्यों नहीं लेते। डा० सुब्बारायन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका और लंका के मामले में हमें यह करना चाहिये और वह करना चाहिये। मैं पूछता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा करने की बात कहां और कैसे पैदा होती है। क्या मैं दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दूं कदापि नहीं। मैं इस मामले को राष्ट्र संघ में ही ले जा सकता हूं या अपने विचार प्रकट कर सकता हूं। अतः उन उत्तेजित बातों से क्या लाभ जिन्हें आप कर नहीं सकते। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है और अन्त में ये बातें हमारी कमज़ोरी का लक्षण बन जायेंगी।

जहां तक लंका का प्रश्न है, लंका उस श्रेणी में नहीं है वह एक मित्र देश है। यह हमारा पड़ौसी है और संस्कृति तथा अन्य बातों में हमारा उसका काफी सामीप्य है। हम उस से मित्रता रखना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि लंका के लोग भी हम से मित्रता रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यह कुछ ऐसी समस्या चली आ रही है जो संसार की सद्भावना होने के बाद भी आसानी से हल नहीं हो रही है। मूल रूप से इस समस्या को केवल लंका या भारत की समस्या नहीं बल्कि मानवता की समस्या माना जाना चाहिये क्योंकि इस का प्रभाव बहुत से मनुष्यों पर पड़ेगा। मैं इस मामले में कोई तर्क नहीं दे रहा हूं पर मैं पूछता हूं कि मुझ से यह कहने से क्या लाभ कि, "जा कर इस समस्या को तुरन्त हल करो।" मैं तुरन्त इस समस्या को कैसे हल कर सकता हूं क्या मैं लंका को धमकी दे कर उन लोगों की तथा अन्य लोगों की जिन्दगी को और भी दुःखद बना दूं। हो सकता है कि, यदि हम शक्ति का प्रदर्शन करें तो इस से कुछ लोगों की महत्वकांक्षा को सन्तुष्टि मिले। सामान्यतया हम किसी को धमकी नहीं

देते। अन्त में हमें इस बात पर इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। पाकिस्तान के मामले और सीमा विवाद के मामले को हमें इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये।

यह ठीक है, जैसा आचार्य कृपालानी ने कल कहा, कि ये सीमा विवाद तो चलते रहेंगे। जब तक भारत तथा पाकिस्तान के बीच मतभेद चलते रहेंगे उन का प्रभाव सीमा पर पड़ेगा और झगड़े होते रहेंगे। हो सकता है इन में कभी कुछ कमी हो जाय पर यह बातें होती रहेंगी क्योंकि भारत तथा पाकिस्तान के बुनियादी सम्बन्ध ही ठीक नहीं हैं। इस बात का कभी कभी अच्छे लोग और निश्चित रूप से बुरे लोग—दोनों तरफ के बुरे लोग—फायदा उठाते हैं पर खास तौर से पाकिस्तान की तरफ के बुरे लोग उठाते हैं। वहां के बुरे लोगों को—और शायद कभी कभी हमारी तरफ भी—ऐसा करने से रोका नहीं जाता क्योंकि उस में राष्ट्रीय गर्व का प्रश्न उठ जाता है कि हमें अपने लोगों की तरफदारी करनी ही चाहिये।

सीमा के मामलों के संबन्ध में श्री जयपाल सिंह ने चिटगांव पहाड़ी के खण्ड की बात कही। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जब मैंने शुरू में रेडकिलफ पंचाट को पढ़ा, जिसमें चिटगांव के पहाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि किस सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने ऐसा किया था। पर वह तो एक स्पष्ट निर्णय था उसमें स्पष्टीकरण या व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम क्या कर सकते थे ? क्योंकि विभाजन के बाद हमने रेडक्लिफ को मध्यस्थ निर्णायक मान लिया था। यह निर्णय हमारे देश, हमारे हितों तथा हमारी भावनाओं के चाहे कितना भी विरूद्ध क्यों न रहा हो पर हम अपने शब्दों से हट नहीं सकते थे। मुझे उसे स्वीकार करना पड़ा यद्यपि हम समझते थे कि यह बिल्कुल अनुचित है और किसी भी सिद्धान्त के आधार पर नहीं है।

समय समय पर श्री जयपाल सिंह इस मामले को उठाते रहे हैं। मैं उन की भावनाओं को समझता हूं और उन का समर्थन भी करता हूं। पर मैं क्या करूं ? मैं रेडक्लिफ पंचाट का, जिस के द्वारा उस भाग को पाकिस्तान को दे दिया गया है, उल्लंघन नहीं कर सकता। वैसे यदि समुचित वातावरण हो तो हम पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं। पर सभा स्वयं समझ सकती है कि पाकिस्तान हमें क्या उत्तर देगा जब कि रेडक्लिफ पंचाट ने स्पष्ट शब्दों में यह भाग पाकिस्तान को दे दिया है। जब पाकिस्तान के साथ छोटी-छोटी बातों पर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। तो इस मामले को उठाने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता।

मैं नहीं समझता कि इस मामले को हम राष्ट्र संघ में भी कैसे उठा सकते हैं। इस का तो एक स्पष्ट उत्तर है कि रेडक्लिफ पंचाट द्वारा यह निर्णय हुआ है। अतः मैं या श्री जयपाल सिंह इस संबंध में चाहे कितने भी चिन्तित हों पर मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता।

श्री प्रेम जी आसर ने ध्यान दिलाने वाली एक सूचना दी है। सूचना में उन्हों ने बताया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि निर्धारित तिथि तक बसतियों का विनिमय बिल्कुल असंभव है। इस संबंध में कुछ गलत फहमी है। जहां तक कूच-बिहार बसतियों का संबंध है उन के संबंध में कोई अन्तिम तिथि नहीं है। इस संबंध में कोई अन्तिम तिथि हो भी नहीं सकती क्योंकि इन बस्तियों का विनिमय तभी हो सकेगा जब संसद् इस संबंध में कानून पारित कर लेगी। इस संबंध में यह प्रश्न था कि इस काम को कैसे किया जाये। यह स्पष्ट था कि इस के लिये संसद् को विधान बनाना होगा। कुछ लोगों ने कहा कि इसके लिये संविधान में भी संशोधन करना होगा। बड़े बड़े विधि विशेषज्ञों की राय ली गई और वे सब इस बात से सहमत हैं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

नहीं है पर संसद् द्वारा विधान पारित करना आवश्यक है। हम सभा के सामने किसी समय इस संबंध में विधान लायेंगे तब सभा को उस पर विचार करने का अवसर मिलेगा। अतः इस संबंध में निश्चित तिथि का कोई प्रश्न नहीं है।

एक निश्चित तिथि अन्य विनियमों के लिये निर्धारित की गई थी। सीमा निर्धारण तथा समझौते के संबंध में बाद में कोई गलतफहमी न पैदा हो इसलिये कुछ बाद की तिथि निर्धारित की गई थी। सीमा निर्धारण का कार्य आरम्भ कर दिया गया था पर बाद में उसे रोक दिया गया। हम समझते हैं कि उस में पाकिस्तान की गलती थी। कुछ भी हो, पर वह काम रोक दिया गया। अब, फिर वह काम शुरू किया गया है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सरकार से बातचीत की और वह इस काम को शुरू करने के लिये राजी हो गयी है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने उन्हें सुझाव दिया है कि सीमा निर्धारण के काम को शीघ्रता से करने के लिये एक से अधिक सर्वेक्षण दल काम करने चाहियें। पर मैं समझता हूं कि अभी हमें इस का कोई उत्तर नहीं मिला है। अभी एक ही सर्वेक्षण दल काम कर रहा है।

बेरूबारी संघ के संबंध में कल सभा में बहुत कुछ बातें कही गयीं। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि बेरूबारी संघ का विवाद कब पैदा हुआ। रेडक्लिफ पंचाट में बेरूबारी संघ की सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। पर जब बाद में जस्टिस बागे उस समय भी यह मामला उन के सामने नहीं रखा गया। बागे ने अपना काम १९५० में समाप्त किया और द्वितीय बागे पंचाट पर विचार करते समय नयी कठिनाइयां पैदा हुई और दो व्याख्यायें की गयीं।

आज से लगभग ६ या ७ वर्ष पूर्व १९५२ में बेरुबारी संघ का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना। जहां तक उस पर कब्जे का प्रश्न है स्वतन्त्रता के बाद से यह हमारे ही कब्जे में है। यद्यपि इस पर हमारा कब्जा है पर पाकिस्तान रेडक्लिफ पंचाट की अपनी व्याख्या के आधार पर सिलहट—करीमगंज के आसपास के एक बहुत बड़े भाग का दावा करता था। आश्चर्य की बात है कि रेडक्लिफ पंचाट ने व्याख्या सम्बन्धी कितनी कठिनाइयां हमारे सामने उत्पन्न कर दी हैं। पाकिस्तान एक बड़े क्षेत्र पर दावा करता था और जस्टिस बागे ने एक भारतीय न्यायाधीश और एक पाकिस्तानी न्यायाधीश के साथ इस मामले पर विचार किया। करीमगंज के आसपास के बड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में जस्टिस बागे का और भारतीय न्यायाधीश का निर्णय हमारे पक्ष में रहा। पर बागे पंचाट के बाद फिर बागे तथा रेडक्लिफ ने जो कहा था, उसकी व्याख्या सम्बन्धी कठिनाइयां पैदा हो गयीं। कठिनाई इस कारण पैदा हुई कि पहले पहल उन्होंने एक नियम बनाया था कि हम जिलों या तालुकों या प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमा को स्वीकार करेंगे। देश के भीतर के प्रशासनिक क्षेत्र का प्रश्न दूसरा है पर जब अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का प्रश्न आता है तो उसमें कठिनाई पैदा होती है। कहीं कहीं नदी के उस पार के भाग, का उल्लेख किया गया है, तो उसके साथ एक व्यौरेवार नक्शा भी संलग्न किया गया है पर वह नक्शा दिये गये व्यौरे के अनुसार नहीं है। कहीं उसमें नदी का उल्लेख किया गया है पर यह स्पष्ट नहीं है कि किस नदी से उनका अभिप्राय है।

मेरा अभिप्राय यह है कि बागे पंचाट के बाद कई बातों के सम्बन्ध में व्याख्या सम्बन्धी कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं। हम व्याख्या कुछ और मानते हैं और पाकिस्तान कुछ दूसरी व्याख्या मानता है। १९५२ के बाद, बागे पंचाट के बाद पाकिस्तान ने बेरुबारी संघ का प्रश्न उठाया। हमने उनके दावे का प्रतिरोध किया और हमने कहा कि यह पूरा संघ भारत को दिया गया है। यह विवाद चलता रहा है। यह कोई नया विवाद नहीं है। बाद में इस मामले पर प्रधान मंत्रियों की बैठक में सरकारी स्तर पर सचिवों तथा राजस्व पदाधिकारियों के परामर्श से विचार किया गया। वास्तव में सचिवों तथा

राजस्व पदाधिकारियों के स्तर पर यह समझौता हुआ था और उसी के आधार पर प्रधान मन्त्रियों ने करार सम्पन्न किया। करार का एक भाग यह था कि बेरुबारी संघ को, जिसे भारत व पाकिस्तान दोनों कहते हैं कि वह पूर्णतः उनके हिस्से में है, दो भागों में बांट दिया जाना चाहिए और उत्तरी भाग को भारत के साथ रहने दिया जाये और दक्षिणी भाग पाकिस्तान ले ले। मैं इस मामले के गुणों तथा दोषों की चर्चा नहीं करूंगा। इस सम्बन्ध में बड़े बड़े नक्शे व चार्ट आदि बनाये गये जिसको समझना बड़ा कठिन था। मैं सभा को केवल यह बताना चाहता हूं कि यह सब किस प्रकार किया गया। इस प्रकार हमने पश्चिमी बंगाल के राजस्व पदाधिकारियों की राय स्वीकार कर ली कि क्या किया जाना चाहिए।

मैं बताना चाहता हूं कि विवादों तथा व्याख्याओं के सम्बन्ध में अनेक बातें ऐसी थीं जिनके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता था कि हमारा पक्ष मजबूत है। कुछ बातें ऐसी भी थीं जिनके बारे में कहा जा सकता था कि हमारा पक्ष मजबूत नहीं है। स्वाभाविक ही है कि जब इतने सारे मामले होते हैं तो कुछ बातें हमारे पक्ष में होती हैं और कुछ हमारे विपक्ष में, अतः हमने इन बातों को ध्यान में रख कर "आदान-प्रदान" का करार कर लिया।

मित्र श्री जयपालसिंह तथा अन्य सदस्यों ने अनेक बातें कहीं कि इन मामलों में हम कमजोरी से काम लेते हैं और हमें अपनी ही गलती से हानि उठानी पड़ती है और वे सब बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं, जिन्हें पाकिस्तान कहता है। पर यह बात सही नहीं है। वर्तमान मामले में भी, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि 'नेहरू-नून' करार के परिणामस्वरूप भारत को कुल ४२ ' ४ वर्ग मील का क्षेत्र मिला है जबकि पाकिस्तान को कुल ४ ' ८ वर्गमील का क्षेत्र मिला। विवादग्रस्त कुल क्षेत्र ४७ ' २ वर्ग-मील था। इसमें से ४२ ' ४ वर्गमील भारत को मिल रहा है। अतः यह कहना गलत है कि पाकिस्तान जो भी मांग रहा है हम उसे देते जा रहे हैं। बेरुबारी संघ का कुल क्षेत्र ८ ' ७५ वर्गमील है और लगभग आधा भाग भारत के क्षेत्र में आ रहा है और लगभग आधा पाकिस्तान के पास जा रहा है।

दिल्ली का भी उल्लेख किया गया। यह सारा क्षेत्र ३४. ८६ मील का है और भारत से मिलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि यह भाग भारत के पास जाना चाहिये।

†**श्री रंगा** : जन-संख्या का क्या होगा ? कितने लोग किस भाग में जायेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बेरुबारी संघ की कुल जन-संख्या १०,००० से १२,००० तक है। करीब आधी जन-संख्या पाकिस्तान में जायेगी और आधी भारत में। मैं दोनों भागों की जनसंख्या के घनत्व के विषय में नहीं जानता। लगभग ५,००० या ६,००० व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के हाथ में इस वक्त जो इलाका है, उसमें से कितना जायेगा ? इस समय भारत के कब्जे में कितना इलाका है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ठीक ठीक आंकड़े मैं नहीं दे सकता। ऊपर जो मैंने बताया है उसमें कुछ ऐसा भी भाग है जो इस समय भारत के कब्जे में है। यदि आप इसके ब्यौरे में जायेंगे तो आप देखेंगे कि यह बड़ा जटिल मामला है क्योंकि हमारे विशेषज्ञ राजस्व अभिलेखों तथा नकशों आदि में महीने उलझे रहने के बाद, इस निर्णय पर पहुंचे कि केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों के निवासियों के दृष्टिकोण से भी इन विवादों का इस समझौते के अनुसार निपटाया जाना ठीक होगा और हमने उसे स्वीकार कर लिया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आप चाहे कुछ भी निर्णय करें, पर कुछ व्यक्तियों को तो कठिनाई तथा असुविधा होती ही। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि लोगों को कम से कम कठिनाई हो।

तुकेग्राम की बात लीजिए। स्वतन्त्रता के बाद से यह भारत में ही रहा है। इसका झगड़ा इसी साल पाकिस्तान ने शुरू किया है। एक प्रकार से तुकेग्राम एक बड़े क्षेत्र का भाग है जिसके सम्बन्ध में विवाद चला आ रहा है। पर तुकेग्राम खास के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं था और हम समझते हैं कि यह हमारा राज्य क्षेत्र है और निस्सन्देह है भी। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस सभा में हमारी ओर से एक प्रश्न के उत्तर में दिये गये वक्तव्य से कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है। आज हमारे उपमंत्री ने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उस सभा में एक वक्तव्य दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि इन मामलों को हल करने के लिए एक संयुक्त न्यायिक बोर्ड गठित किया जाना चाहिए और उस बोर्ड का सभापति न भारतीय हो और न पाकिस्तानी बल्कि कोई बाहर का व्यक्ति। मैं समझता हूं कि शायद उनका सुझाव था कि सभापति राष्ट्रमंडल के किसी देश का कोई व्यक्ति हो। इस प्रकार की प्रस्थापना बिल्कुल गलत है और हम उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि इसके लिए कोई न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये और कुछ मामले उसे सौंप दिये जायें क्योंकि इन मामलों को निबटाने के लिए करार या न्यायाधिकरण ही उचित उपाय हो सकते हैं।

हमने श्री फीरोज खां नून को कुछ अन्य मामलों के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया था पर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य ने उनके उस वक्तव्य में से कुछ पढ़ा भी था जो उन्होंने यहां से वापस जाने के बाद कराची में दिया था। इन मामलों को सुलझाने के लिए हमारे सामने अन्य कोई मार्ग नहीं दिखलाई पड़ता। हमारा दुर्भाग्य है कि रेडक्लिफ तथा बागे न्यायाधिकरणों के बाद भी मामले अभी इतने अस्पष्ट हैं।

एक माननीय सदस्य ने, सम्भवतः श्री डांगे ने कहा कि हमारे हथियारों आदि की व्यवस्था के लिए यह बात सुरक्षित नहीं है कि हम किसी एक खास शक्ति के साथ ही सम्बन्ध रखें। सामान्यतया हम उनकी इस बात से सहमत हैं। हमें किसी भी बड़ी शक्ति के साथ बंधकर नहीं रहना चाहिये। कुछ सीमा तक यह काम बहुत कठिन होता है कि हम संसार के सब देशों से इसके लिये व्यवस्था करें। इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर यह है कि प्रत्येक देश को अपनी जरूरत की हर चीज को स्वयं तैयार करना चाहिए—ऐसे कुछ विशेष चीजों को छोड़ कर जिन्हें हम इधर-उधर से खरीद लें। अर्थात् हमें अपना प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाना चाहिए। हम अपनी क्षमता के अनुसार इस बात की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई आसान बात नहीं है और हम—चाहे कितनी भी वस्तुयें पैदा करें—गवेषणा तथा प्रगति के लिए आवश्यक सभी सामग्री देश में नहीं पैदा कर सकते जो बड़े बड़े देशों के पास है। हम ऐसा करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं सकते। इस सम्बन्ध में हमारा उद्देश्य कोई प्रतिद्वन्द्विता करना नहीं है हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी सामान्य प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जायें।

अन्त में, मैं आचार्य कृपलानी द्वारा कही गयी कुछ बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिरक्षा विभाग को ठेकों आदि के सम्बन्ध में संदेहों से ऊपर रहना चाहिये, मैं उनकी बात से सहमत हूं। केवल प्रतिरक्षा विभाग ही नहीं अन्य विभागों को भी ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि सरकार का हर विभाग, हमारे देश में या अन्य कहीं, शतप्रतिशत पूर्ण और ईमानदार है। कहीं कुछ गड़बड़ है कहीं कुछ। पर मैं समझता हूं कि सरकारी-विभागों के सम्बन्ध में तथाकथित भ्रष्टाचार आदि की बात कभी कभी बहुत अतिरेकपूर्ण होती है।

आज हमारी जो सरकार है वह स्वतन्त्रता से पहले के दिनों की तुलना में लगभग १०० गुने बड़े क्षेत्र में कार्य कर रही है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और नये नये कार्य क्षेत्र उसमें सम्मिलित होते जा रहे हैं। यदि मैं यह कहूं कि सरकार का प्रत्येक विभाग प्रत्येक मंत्रालय स्वयं एक साम्राज्य है तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी। क्षेत्र के इतने बड़े होने के कारण ही हमारे सामने कठिन समस्यायें पैदा होती हैं और हम अधिक योग्य सरकार, अधिक अर्थ-व्यवस्थित सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आशातीत प्रगति हो रही है।

आज सरकारी विभागों पर अनेक लोगों की आंखें लगी हुई हैं। इस सभा और उस सभा के अधिकांश सदस्य उन पर निगरानी रखते हैं। यदि कहीं कोई बात होती है तो झट उसे पकड़ लेते हैं और ठीक है उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। उनकी ओर बहुत से लोग ध्यान लगाये हुये हैं। पहले उन पर कोई निगरानी नहीं रखता था। हमारे समाचार पत्र भी आज सरकारी मामलों में बड़ी रुचि रखते हैं और जहां भी ज़रा कुछ बात मिली उसे सामने रख देते हैं। अतः अनेक लोग सावधानी पूर्वक सतर्क रहते हैं और जहां भी कोई छोटी से छोटी बात हुई वह प्रश्नों द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा या अन्य किसी प्रकार प्रकाश में आ जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार कितने बड़े-बड़े विभाग हैं। यदि आप को कोई त्रुटि मिलती है या कोई गलत बात हो जाती है तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर सरकार का कार्य-क्षेत्र कितना बढ़ गया है। केवल एक, दो या दस मामलों को लेकर यह समझना गलत है कि बाकी सारी चीजें भी गलत हैं। हमें इस दृष्टिकोण तथा इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

मेरे मित्र आचार्य कृपालानी ने प्रतिरक्षा का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा का विभाग सब से कठिन विभाग है क्योंकि उसे विदेशी सार्थों के साथ सम्बन्ध रखना पड़ता है। यदि हम स्वयं अपना सारा सामान तैयार करने लग जायें तो हमारा प्रतिरक्षा विभाग अन्य विभागों जैसा हो जायेगा। बाहर की सार्थों के साथ हथियारों की खरीद का प्रबन्ध करने के समान अन्य कोई कार्य कठिन नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई प्रतिद्वन्दिता नहीं है। इन चीज़ों की ख़रीद फरोख्त सार्वजनिक रूप में नहीं की जाती। वे अपने मूल्य लगभग निर्धारित कर देते हैं और हम उन से तर्क करते हैं और कभी उन्हें स्वीकार करते हैं और कभी नहीं। अतः प्रतिरक्षा का काम बहुत खतरनाक है और सभी देशों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सौदों में ही गलतियां होती हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए।

दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद का प्रथम वर्ष अर्थात् १९४८ हमारे लिये बहुत खतरनाक समय था। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद ही काश्मीर की समस्या पैदा हो गयी और १९४८ में कोई नहीं जानता था कि किस समय हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो जाये। उस समय जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी उनके सामने बड़ी कठिनाई थी—देश की सुरक्षा की, यदि कहीं युद्ध शुरू हो जाये। उसके कुछ समय बाद हैदराबाद की समस्या आई। खैर वह तो एक छोटी सी समस्या निकली। पर हम ने उस समस्या को इन बातों के प्रसंग से देखा कि काश्मीर में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और विभाजन के तुरन्त बाद हमारे पास कितने थोड़े हथियार थे तथा वे कैसी स्थिति में थे। हमें हथियार खरीदने थे, अतः कुछ सौदे किये गये।

पहले सौदे इण्डिया हाउस के नये विभाग द्वारा किये गये। उस समय के पूर्व सभी सौदे इण्डिया आफिस अर्थात् ब्रिटिश अभिकरण द्वारा किये जाते थे। अतः आरम्भ के सौदे उस समय किये गये थे जब कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी और हमें बहुत ही जल्दी थी क्योंकि इस बात का भय था कि किसी भी समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध आरम्भ हो सकता है। अतः हमारे सामने ऐसा करने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के लिए मजबूरी थी। तो उस समय कुछ ऐसे सौदे भी हो गये जिन की कठिनाई अब भी चल रही है जैसे जीपों का मामला आदि। अतः आप परिस्थितियों पर विचार करें।

हम ने इस मामले में बहुत अच्छी तरह छानबीन करी थी और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं कह सकता कि इंगलैंड में कुछ व्यक्तियों ने या कहीं और कुछ व्यक्तियों ने रुपया नहीं खाया है; कुछ लोगों ने पैसा खाया जरूर है क्योंकि हमारे पास से पैसा चला गया है फिर भी मैं यही कहुंगा कि इण्डिया हाउस को किसी अन्य उद्देश्य से नहीं बल्कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में इन शर्तों पर करार करना पड़ा जिन पर वे आम तौर से करार नहीं करते या उन्हें कुछ ऐसे सार्थों के साथ करार करना पड़ा जिनके साथ शायद वे करार नहीं करते। सभी बात पर विचार करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य था कि हम ऐसी परिस्थितियों में फंस गये; वैसे इसमें किसी की गलती नहीं थी।

आप देखें कि प्रतिरक्षा विभाग बाहर से कितने बड़े पैमाने पर सामान खरीदता है। इतने बड़े स्तर पर खरीद के मामले में आप बतायें कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर सभा में बात उठाई गयी है। हो सकता है कुछ गड़बड़ियों का पता न लगा हो। यह संभव है। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि कोई गड़बड़ी की बात पकड़ी नहीं जा सकी इसका मतलब है कि वह ठीक थी। तो मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यदि आप सारी बातों को देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि हमारे सौदे सावधानीपूर्वक तथा ईमानदारी से होते आये हैं। कभी-कभी कुछ गलती हो गयी है। इस समय भी हम एक ऐसे मामले की छानबीन कर रहे हैं जो ४ या ५ वर्ष पुराना है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर हम ने कुछ बड़े-बड़े पदाधिकारियों को पदच्युत करने का कदम भी उठाया है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। आप इस पहलू पर ध्यान दें कि हमें सावधान व सतर्क रहना चाहिए और हम ने जब भी आवश्यकता पड़ी है कठोर कार्यवाही भी की है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : कठोर कार्यवाही ही नहीं की गयी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि श्री त्यागी की बात ठीक हो पर जब भी आवश्यकता हुई है या दोषसिद्धि हुई है हम बराबर कड़ी कार्रवाई करते हैं। पर यह बात खतरनाक और गलत है कि हम किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण सब व्यक्तियों की—सेवाओं की—निन्दा करें। यदि आप चाहते हैं तो गलती करने वाले का गला काट दें। पर सभी के लिये ऐसी बात कहना या अपमानित करना बुरी बात है। वैसे तो असैनिक व सैनिक दोनों सेवाओं के प्रति यह रवैया बुरा है पर सैनिक सेवाओं के प्रति तो और भी बुरा है।

दूसरे, आप कोई ऐसी बात न करें जिससे प्रतिभाशाली व्यक्ति—वैज्ञानिक, प्रविधिक तथा अन्य लोग निरुत्साहित हों। अन्यथा उन्हें कोई विशेष कार्य करने का अवसर नहीं रह जायेगा और वे बंधे बंधाये नियमित काम ही करते रहेंगे। इस प्रकार की नीति से उन में सबसे अच्छे लोग भी सुस्त तथा उदासीन बन जाते हैं। कभी कभी अधिक नौकरशाही का भी यही परिणाम होता है। लोगों को सेवा के वर्षों के आधार पर पदोन्नति दी जाती है न कि उनकी व्यक्तिगत बुद्धि के आधार पर। उन्हें एक के बाद-दूसरी पदोन्नति मिलती जाती है और उसके बाद एक निश्चित आयु पर उन्हें सेवा छोड़नी पड़ती है चाहे वे अच्छे हों या बुरे। मैं समझता हूं कि यह अतर्कपूर्ण तथा नासमझी है। निम्न श्रेणी के क्लर्कों के लिये तो यह बात ठीक हो सकती है पर योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों

†मूल अंग्रेजी में

के सम्बन्ध में यह बात अच्छी नहीं है क्योंकि अब उनके प्रशिक्षण पर बहुत धन व्यय किया जाता है और जब सेवा का सर्वाधिक उपयुक्त समय आता है तो आप उन्हें सेवा से मुक्त कर देते हैं । यह बात बिल्कुल गलत है । शिक्षा के क्षेत्र में यह एक भीषण गलती है । अन्य देशों में मैंने १०० वर्ष तक की आयु के प्रोफेसर देखे हैं उन्हें निकाला नहीं जाता उनकी इज्जत की जाती है चाहे उनकी आयु कुछ भी हो । यह कोई असैनिक सेवा की सी चीज नहीं है कि पुराने लोग जाते रहते हैं और नये लोग आते रहते हैं ।

अतः नौकरशाही व्यवस्था में मेधावी व्यक्तियों के साथ भी मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों का सा व्यवहार किया जाता है । हो सकता है कि सामान्य सरकारी प्रशासन में इस बात से कोई प्रभाव न पड़ता हो पर वैज्ञानिक या अन्य प्रकार की गवेषणाओं या प्रगति के सम्बन्ध में यह बात बहुत प्रभाव डालती है । कोई भी वैज्ञानिक ऐसी अवस्था में काम नहीं कर सकता । यदि किसी वैज्ञानिक से या प्रचंड बुद्धि वाले व्यक्ति से, जो उच्च बौद्धिक स्तर का कोई काम करने का प्रयत्न कर रहा हो, आप हमेशा यह कहते रहें कि यह करो, वह न करो, तो यह सब कैसे चल सकता है । हमारे प्रतिरक्षा विभाग में कुछ बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक तथा प्रविधिक हैं और पिछले १ या २ वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छे काम किये हैं जिन के नमूने आप देख चुके हैं । क्यों ? क्योंकि उन में इस समय काम करने की लगन है, उत्साह है । उन्हें छूट दे दी गयी है कि वे मन के अनुसार कार्य करें । मैं नहीं चाहता कि सभा उनके लिए कोई ऐसा वातावरण तैयार करे जिसका अर्थ हो कि हमें उनका इस प्रकार कार्य करना पसन्द नहीं है ।

आचार्य कृपालानी ने काश्मीर का उल्लेख किया और कहा कि किसी एक व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है और उन्होंने पहले की कुछ घटनाओं का जिक्र किया । आचार्य कृपालानी ने जो कुछ भी कहा उसके सम्बन्ध में मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि किसी की बात को परिस्थितियों से बिल्कुल अलग नहीं देखना चाहिए बल्कि एक विशेष परिस्थिति में रख कर देखना चाहिए । काश्मीर की समस्या को लीजिये । अनेक वर्षों से इस सम्बन्ध में अनेक कठिनाइयां रही हैं और आज युद्ध विराम रेखा पर तथा अन्य तरफ सेनायें नियुक्त हैं और गत एक या २ वर्षों से हमें अनेक ऐसे गुप्त तथा संगठित कार्यों का सामना करना पड़ा है, जिनका उद्देश्य वहां तोड़ फोड़ करना था । मैं आप को बताना चाहता हूं कि स्कूल खोले गये जिनमें लोगों को बताया जाता था कि तोड़ फोड़ कैसे की जाये और ऐसे व्यक्तियों को जानबूझ कर तोड़ फोड़ करने के लिए हमारी ओर भेजा जाता था । यह एक कठिन समस्या थी । यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है । कभी कभी कठिन समस्याओं को असाधारण उपायों से हल किया जाता है । लेकिन इतना होने पर भी काश्मीर में दो बार निर्वाचन हो चुके हैं । आप कह सकते हैं कि और हो सकता है कि आप का यह कहना सच हो कि वहां जो निर्वाचन हुए वे ऊंचे स्तर के नहीं थे या उतने ऊंचे स्तर के नहीं थे जितने ऊंचे स्तर के होने चाहिए थे । लेकिन निर्वाचन से, उसका स्तर चाहे कुछ भी रहा हो, जनता को काफी अवसर मिलता है । और वहां की जनता को काफी अवसर मिला भी । ऐसी स्थिति में मजबूर हो कर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है । काश्मीर के वर्तमान प्रधान मंत्री, बख्शी गुलाम मुहम्मद, ने संगठन तथा नेतृत्व की कुछ विशेष योग्यतायें प्रदर्शित की हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कभी-कभी उन्होंने ऐसे भी काम किये हैं, जिन्हें मैंने पसन्द नहीं किया और मैं ने उनकी ओर उनका ध्यान भी आकृष्ट किया है । पर बात यह है कि वहां अनेक बड़ी कठिनाइयां हैं और वह इस जिम्मेदारी को योग्यता से निभा रहे हैं ।

आचार्य कृपालानी ने मृदुला साराबाई के मामले का भी जिक्र किया । अतः इस विषय पर मेरा कुछ न कहना उचित न होगा । यहां लगभग सभी लोग उन्हें जानते हैं । मैं समझता हूं कि मैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन्हें गत ४० वर्षों से जानता हूं जब कि वह एक लड़की ही थीं । और उनके साहस की मैंने जितनी प्रशंसा की है उतनी प्रशंसा मैंने भारत के कुछ इने-गिने पुरुषों या स्त्रियों के साहस की की होगी । वह एक बहादुर तथा साहसी महिला हैं । मैं आचार्य कृपालानी को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कभी भी उनकी सद्भावना पर अविश्वास नहीं किया । पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बार बार गलत काम कर रही हैं और देश को हानि पहुंचाती रही हैं । इस सभा के अधिकांश सदस्यों के पास उनके पास से प्रायः कागज़ों के बंडल आते होंगे । मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार का प्रचार किया जाता रहा है । मैं ने बारबार उन कागज़ों का परीक्षण करवाया और यही पता लगा कि अधिकांश बातें निराधार तथा बे बुनियाद थीं । मैं यह नहीं कहता कि वह जानबूझ कर झूठी बातें कहती हैं । पर कोई भी झूठा व्यक्ति जो उनके पास जाता है उस पर वह विश्वास कर लेती हैं और उसकी बातों को अपने रंग में रंग कर उसका प्रचार करती हैं । हम ने उनसे बातें की, उन्हें समझाने की कोशिश की पर सब प्रयत्न बेकार गये ।

अतः ऐसी कोई बात नहीं है कि मदुला साराबाई किसी बहुत बड़े राजद्रोह की अपराधी हैं । मैं यह नहीं कह सकता । पर कुछ कुपरिस्थिति के कारण उनके साहस तथा उन की कार्यक्षमता को गलत तथा खतरनाक कामों में इस्तेमाल किया जाता रहा है । भारत की तुलना में उनकी बातों का प्रचार पाकिस्तान में ज्यादा हुआ । मैं बताना चाहता हूं कि उनकी सारी गतिविधियां—चाहे वे जानबूझ कर न की गयी हों—इतनी राष्ट्रविरोधी हो गयी थीं, भारत के लिए इतनी हानिकारक थीं कि उन्हें वैसे ही चलते रहने देना कठिन था । महीनों तक या काफी लम्बे अर्से तक हमने यह सब चलने दिया । मैं नहीं समझता कि भारत के अन्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी होता, हम इतनी छूट दे सकते थे । पर चूंकि हम उनका सम्मान करते थे तथा उनके साहस से प्रभावित थे अतः हम ने ऐसा किया ।

आचार्य कृपालानी ने श्री बलराज पुरी के मामले तथा उनके साथ किये गये व्यवहार की बात भी कही । मैंने इस मामले में छानबीन की है । मैं नहीं जानता कि वास्तविक बात क्या थी पर मेरे पास जो जानकारी आई है उससे पता लगता है कि श्री बलराज पुरी का व्यवहार अच्छा नहीं था । जब जम्मू में यह मुकदमा हो रहा था तो श्री बलराज पुरी ने न्यायालय के भरे कमरे में पहुंच कर धक्का-मुक्की शुरू कर दी ।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : उन्होंने धक्का-मुक्की नहीं की सिर्फ उन्होंने अपने हाथ उठाये थे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं कह रहा हूं कि जब मजिस्ट्रेट ने यह धक्का-मुक्की देखी तो उन्होंने उस पर कुछ कहा और पुलिस आफिसर ने उन से न्यायालय के कमरे के बाहर जाने को कहा मैं इस घटना के गुण-दोषों पर विचार नहीं कर रहा हूं । मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि भरे न्यायालय में एक व्यक्ति आता है और कुछ कहता है; तो उसे कुछ असुविधा हो सकती है । पर स्थिति कुछ विचित्र थी । न्यायालय के भरे कमरे में इस प्रकार की बात हुई थी ।

†**श्री नाथ पाई** : श्री बलराज पुरी को अपनी बात कहने या अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिलेगा और प्रधान मंत्री के शब्द देश भर में जायेंगे । पुलिस की हिरासत में उनको मारा पीटा गया उसका एक डाक्टरी प्रमाण पत्र भी है और यह बात प्रधान मंत्री की जानकारी

†**मूल अंग्रेजी में**

में भी लाई जा चुकी है। चूंकि उन्होंने न्यायालय में हाथ उठा दिया था उसके बदले में उन्हें पुलिस हिरासत में पीटा गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने इस सम्बन्ध में छानबीन करने में कुछ समय दिया है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि श्री बलराज पुरी ने जो कहा वह भी कुछ सही है पर कुछ और भी सही बातें हैं जो उन्होंने नहीं कहीं। अतः दोनों ओर बातें बढ़ा कर कही गयी हैं।

मैं सभा को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना।

जहां तक इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधनों का सम्बन्ध है मैं श्री जगन्नाथ राव के संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूं। वैसे तो कोई भी संशोधन स्वीकार न हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है। किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आत्मरक्षा के लिए मुझे वह संशोधन स्वीकार करना है।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर): मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं।

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं ।

[अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री त्रिदिब कुमार चौधरी तथा श्री महन्ती के संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।]

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†श्री उ० चं० पटनायक (गंजम) : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्रीमती इला पालचौधरी अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रही हैं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

†अध्यक्ष महोदय : अब श्री जगन्नाथ राव का संशोधन है।

प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के पश्चात् उक्त नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†अध्यक्ष महोदय : श्री मानवेन्द्र शाह का संशोधन अवरुद्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश विधान सभा गठन तथा कार्यवाही मान्यीकरण विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक १६५८ पर अग्रेतर चर्चा करेगी। इस विधेयक के सम्बन्ध में पिछली बार कहा गया था कि कुछ पत्र इत्यादि पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : ३ दिसम्बर को इस विधेयक के पुरस्थापन के समय एक औचित्य प्रश्न उठाया गया था जिसके सम्बन्ध में सभापति ने निश्चित शब्दों में यह आदेश दे दिया था कि सभा को इस विधेयक पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है। यह विधेयक बहुत सरल है और जिन परिस्थितियों में यह विधेयक लाया गया है उनका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की अपनी विधान सभा थी। १६५४ में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। तब एक विधेयक पारित किया गया, जिसके अनुसार वहां की विधान सभा में हिमाचल प्रदेश के पुराने सदस्यों के अतिरिक्त बिलासपुर से पांच और सदस्य शामिल किये गये। उक्त विधान सभा को जुलाई १६५४ से १ नवम्बर १६५६ तक कार्य करना था। तत्पश्चात् राज्यों का पुनर्गठन हुआ और हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र मान लिया गया। उक्त विधान सभा ने कई विधेयक पारित किये। हाल में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा का निर्माण अवैध था। क्योंकि उसके निर्माण के समय लोक प्रतिनिधान अधिनियम के अधीन आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। वस्तुतः व्यवहारतः विधान सभा का पुनर्गठन नहीं हुआ था अपितु केवल पांच सदस्य और शामिल किये गये थे। पुराने निर्वाचित सदस्यों को नयी विधान सभा का सदस्य मान लिया गया था। पांच सदस्यों को बिलासपुर से निर्वाचित किया जाना था। तथापि उन्हें पुरानी विधान सभा की अवशेष अवधि तक ही सदस्य बने रहने का अधिकार था। इस प्रकार सभी दृष्टियों से वह पुरानी ही विधान सभा थी जिसमें कुछ और सदस्य शामिल कर लिये गये थे और पुराने निर्वाचन के वैध होने के कारण पुराने सदस्यों को बिना किसी नये निर्वाचन के इस विधान सभा का सदस्य मान लिया गया था। इस विधान सभा ने कई विधेयक पारित किये।

तथापि विधान सभा के निर्णय से एक विषम स्थिति पैदा हो गई। १ जुलाई, १६५४ से १ नवम्बर १६५६ के बीच कई विधेयक पारित हुए, बजट पारित हुए तथा कई संकल्प पारित किये गये जिन पर हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यवाही कर रहा है। यदि उक्त सभी विधेयकों और संकल्पों को अवैध मान लिया जाय तो हमारी स्थिति बहुत विषम हो जायेगी।

संविधान के अनुसार संसद् को हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संसद् न केवल अनुसूची १, २ और ३ के अधीन ही शक्तियां प्रयुक्त कर सकती है अपितु समस्त अवशिष्ट शक्तियां भी संसद् को प्राप्त हैं। केवल एक टेक्नीकल त्रुटि रह जाने से उस राज्य की समस्त व्यवस्था में अराजकता नहीं आ सकती है। अतः हमें उसका उपचार खोजना होगा। उसका सरल उपचार यही है। इसलिये अध्यादेश के अनुसरण में यह विधेयक पुरस्थापित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि उक्त त्रुटि के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश विधान सभा को वैध माना जाय। वस्तुतः वह विधान सभा संसद् की उपज है। संसद् के आदेशानुसार ही हिमाचल प्रदेश विधान सभा का निर्माण हुआ है। इसी विधेयक द्वारा पारित विधि के अनुसार उस में कुछ अन्य सदस्य जोड़े गये हैं। अब हिमाचल प्रदेश में कोई विधान सभा नहीं है। सारी शक्ति संसद् के पास है। हम ने इस के पूर्व भी ऐसे कई अधिनियमों को मान्यता दी है जो बहुत पहिले पारित किये गये थे। लेकिन जिन्हें अवैध करार दिया गया। अतः हम चाहते हैं कि केवल एक अधिसूचना के प्रकाशित न किये

---

†मूल अंग्रेजी में

जाने के कारण व अधिनियम अवैध घोषित न किया जाय तथा अधिनियम के अन्तर्गत जो कुछ भी किया गया है उसे भी वैध समझा जाय। वस्तुतः सभा इस अधिनियम को पारित करने में पूरी तरह सक्षम है और इस बात की बहुत आवश्यकता भी है इसलिये मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस विधेयक पर किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है।

यह सुझाव दिया गया है कि अधिनियमों की परीक्षा करने के उपरान्त कुछ अधिनियमों को स्वीकृत किया जाय और कुछ को नहीं। तथापि आपने यह निश्चय करना है कि कुछ त्रुटियों के बावजूद भी वह विधान सभा वैध रूप से निर्मित हुई थी या नहीं और उसके द्वारा पारित अधिनियम वैध हैं या नहीं। विधेयक के खण्ड ४ में जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह है कि कोई न्यायालय नई विधान सभा द्वारा पारित किसी अधिनियम, अनुदान या संकल्प को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहरायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पारित किया गया, जिसे उच्च विधान सभा में बैठने या मतदान देने का वैध अधिकार प्राप्त नहीं था।

हमारा अभिप्राय अधिसूचना जारी न होने के कारण उत्पन्न त्रुटि को ही दूर करना है। केवल इस आधार पर वहां की कार्यवाही पर आपत्ति करना ठीक नहीं है। यदि इस आधार पर आपत्ति की जाय कि वहां का नियम बुनियादी अधिकारों के विरुद्ध हैं तो उन पर आपत्ति की जा सकती है। यदि किसी अन्य आधार पर कोई आपत्ति हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय की शरण लेने को स्वतन्त्र है। तथापि उसी विधान सभा द्वारा पारित दो अधिनियमों में अन्तर नहीं होना चाहिये। हमें या तो उक्त विधान सभा को सक्षम घोषित करना चाहिये या यह घोषित करना चाहिये कि विधान सभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। यदि उक्त अधिनियमों में कोई अन्य त्रुटि है तो वह अब भी उसी प्रकार रहेगी। अतः सभा से केवल यह निवेदन किया जाता है कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा पैदा की गई कठिनाई को हटा देगें। मैं आशा करता हूं कि सभा इसे अस्वीकार नहीं करेगी। इस लिये जहां तक अधिनियमों के विषय का सम्बन्ध है वह असंगत है अतः मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक पर जो विधि की दृष्टि से सर्वांगपूर्ण है आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है अतः मैं आशा करता हूं कि सभा इसका समर्थन करेगी।

जहां तक विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का सम्बन्ध है विधेयक को सभा में लाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिसूचना के जारी न किये जाने के कारण जो त्रुटि हुई है वह दूर हो जाय। उस त्रुटि के दूर होते ही यह अधिनियम तथा अन्य बातें वैध हो जायेंगी। इसलिये प्रत्येक अधिनियम का पृथक् से परीक्षा करने का कोई कारण नहीं है। उक्त सभी अधिनियमों को, वैध रूप से निर्मित हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित समझा जाय।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम्) : मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वस्तुतः मैं, पूर्ण आदर के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हूं। तथापि मेरी आपत्ति यह है कि क्या संविधान के द्वारा संसद् को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भूतलक्षी अवधि से राज्य सूची में उल्लिखित सभी बातों को मान्यता प्रदान कर सकें? जमींदारी सम्पदा का अर्जन करते समय हमें संविधान में अनुच्छेद ३१ख जोड़ना पड़ा था और एक अनुसूची भी संलग्न करनी पड़ी थी। अभी हाल इस विधेयक सम्बन्धी अध्यादेश पर भी उच्चतम न्यायालय में आपत्ति उठाई गई है। इसलिये हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि इस प्रयोजन के लिये तथा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

तत्सम्बन्धी समस्त शंकाओं का समाधान करने के लिये क्या संविधान का संशोधन करना आवश्यक नहीं है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** हमने सर्वोच्च कोटि का विधि परामर्श प्राप्त कर लिया है । महाअधिवक्ता का यह मत है कि संस ् यह विधि पारित करने में सक्षम है । उनके विचार से स विधेयक की ैधता पर कोई आपत्ति नहीं उ ाई जा सकती है । संस ् को स गिीण शक्तियां प्राप्त हैं । ३१ अक्टूबर १९५६ तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा को जो शक्तियां ाप्त थीं वे सब शक्तियां अब संसद् को प्राप्त हैं । इसलिए अब संसद् हिमाचल प्रदेश के मामलों में भी विधान बना ` में समर्थ है । इसलिये यह बात असंगत है कि वह राज्य है या राज्य का कोई अंश ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सारे विवाद का कारण यह था कि यह आपत्ति उ ाई गई थी कि पुस्तकालय में उक्त विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों की प्रतियां उपलब्ध नहीं है । अब ५ प्रतियां उपलब्ध कर दी गई हैं । जहां तक विधेयक के प्रवर समिति में जाने का प्रश्न है गृह मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन से अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है । प्रश्न केवल यह रह जाता है कि क्या सभा को इस बात का अधिकार है और क्या मान्यता दान करना उचित है ।

हम संसद् में यह विधान पारित कर रहे हैं । यदि हम यह मान लें कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा भी अभी कार्य कर रही है तो क्या हम उस विधान सभा को मान्यता प्रदान करने में पूरी तरह समर्थ हैं । क्या हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी उक्त विधान सभा को मान्यता-प्रदान कर सकते हैं । यदि हां तो विधेयकों पर पृथक् रूप से विचार करना असंगत होगा । अतः हमारे सामने केवल एक प्रश्न है कि क्या सभा हिमाचल प्रदेश की विधान सभा को मान्यता देने में समर्थ है और क्या संविधान में परिवर्तन किये बिना भी ऐसा किया जा सकता है । सभा इस औचित्य प्रश्न पर अग्रेतर विचार करेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मेरे विचार से स्थिति का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । निस्सन्देह सरकार के लिये क नाई पैदा हो गई है, तथापि प्रश्न यह है कि क्या एक कठिनाई को दूर करने के लिये और अधिक कठिनाई मोल ले ली जाय । यदि उच्चतम न्यायालय उक्त विधान सभा द्वारा पारित किसी अन्य अधिनियम को भी अ ैध हरा देवे तो क्या स्थिति पैदा हो जायेगी ? वस्तुतः हमारा उद्देश्य विधेयक के पारित करने में विलम्ब पैदा करना नहीं है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गृह मंत्री ने कहा है कि सदन को सम्पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं इसलिये वह इस विधेयक को भी पारित कर सकता है मैं इससे सहमत नहीं हूं । निस्सन्देह हम ऐसे अधिनियम पारित कर सकते हैं जिनसे नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम ऐसे अधिनियम भी पारित कर सकते हैं जो संविधान में प्रदत्त बुनियादी अधिकारों के विरुद्ध हैं । जहां तक संविधान के सम्बन्ध में मेरा ज्ञान है मेरा यह सुझाव है कि हम बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं कर सकते हैं । उक्त विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों में कई ऐसे विधान हैं जिनमें दंडनीय खंड है उदाहरण के लिये मैं हिमाचल प्रदेश पशु सुधार अधिनियम को लेता हूं । जिसकी धारा १६२ में यह विहित किया गया है कि अनाधिकृत रूप से पशुओं पर प्पा लगाने वाले व्यक्ति पर ५०० रु० जुर्माने या तीन महीने की कैद या दोनों ही दंड दिये जा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय ने अभी अभी यह निर्णय किया है कि हमें पृथक् अधिनियमों पर चर्चा नहीं करनी चाहिये । न हमें उनके विवरणों पर चर्चा करनी चाहिये ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं विधेयकों का विवरण नहीं रख रहा हूं अपितु उन कठिनाइयों को सामने रख रहा हूं जिनपर सभा ने इस औचित्य प्रश्न पर निर्णय करने के पूर्व विचार करना चाहिये ।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि उक्त विधान सभा ने बहुत से ऐसे अधिनियम पारित किये हैं जिनमें दंडकारी उपबन्ध भी हैं । इन उपबन्धों को इस समय भूतलक्षी अवधि में मान्यता देना सविधान के अनुच्छेद २० का उल्लंघन करना है । क्योंकि अनुच्छेद २० की शब्दावली में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल 'प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण करने पर ही किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराया जा सकता है' । अतः हमसे संविधान के अनुच्छेद २० का उल्लंघन होता है और यह अधिनियम संविधान की शक्ति से परे घोषित किया जा सकता है । वस्तुतः हम संविधान के कड़े निषेध के बावजूद भी ऐसे अधिनियमों को मान्यता देने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनमें कुछ दण्डकारी उपबन्ध विहित हैं । अतः हमें इस बात पर भली भांति विचार करना चाहिये जिससे इस विधान को पुनः चुनौती न दी जा सके ।

इस सम्बन्ध में हमारी संसद् और इंग्लैण्ड के हाउस आफ कामंन्स तथा आस्ट्रेलिया और कनाडा की संसद् में अन्तर है, वे सदन भूतलक्षी अवधि से अपराधिक दायिता के सम्बन्ध में अधिनियम बना सकते हैं जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं । मैं यह नहीं चाहता कि इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में पुनः आपत्ति उठाई जाय । न्यायालय इस अधिनियम की वैधता को केवल इस कसौटी पर कसेंगे कि क्या जिस विशेष दिन अपराध किया गया था उस दिन अधिनियम न्यायोचित था या नहीं ।

वस्तुतः सरकार इस समय बिल्कुल दूसरे प्रकार से कार्य कर रही है । यही स्थिति उस समय भी थी जबकि केरल विधान सभा भंग हो गई थी । हमने सरकार को सुझाव दिया था कि संसद् विधान सभा का पुनर्गठन कर सकती है जिससे वह ठीक उस रूप में कार्य कर सके जैसा कि वह राज्य-पुनर्गठन के पूर्व कार्य कर रही थीं । उस समय हमें यह बताया गया कि कुछ टेकनीकल आपत्तियों के कारण सरकार ऐसा करने में असमर्थ है ।

मेरा सुझाव है कि उक्त विधान सभा द्वारा पारित किये गये सभी अधिनियमों को मान्यता दान करना बहुत खतरनाक है क्योंकि पुनः उच्चतम न्यायालय में आपत्ति उठाई जा सकती है अतः हमें आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये । चाहे उसके लिये हमें संविधान का संशोधन करना हो या उसमें कोई अनुसूची जोड़नी हो । मैं स्वयं अपनी ओर से कोई निश्चित सुझाव देने में असमर्थ हूं । तथापि हम स्वयं यह चाहते हैं कि उक्त विधान सभा द्वारा पारित कुछ अधिनियमों को अवश्य वैधता प्रदान की जाए ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : माननीय गृह-कार्य मंत्री का अपना विश्वास है कि इस विधेयक को पारित हो जाने से इस सम्बन्ध में फिर कोई प्रविधिक कठिनाई नहीं पड़ेगी । मेरा ख्याल है कि इस से सभी कठिनाइयां दूर नहीं हो पायेंगी ।

सब से पहली कठिनाई तो यह है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश का राज्य एक बिलकुल नया राज्य है, और ऐसी दशा में, संविधान के अनुच्छेद १८८ के अन्तर्गत, उस के विधान-मंडल के सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करनी चाहिये थी । चूंकि यह नहीं किया

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नौशीर भरूचा]

गया था, इसलिये विधान-मंडल का सत्र अवैध था। अब कोई भी विधेयक पारित कर के संविधान द्वारा अमान्य घोषित की गई किसी भी चीज़ को मान्य नहीं बना सकते।

दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद १७८ के अन्तर्गत अनिवार्य व्यवस्था है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित होना चाहिये। यह भी नहीं किया गया था।

संविधान की ये दोनों व्यवस्थायें अनिवार्य हैं।

इसलिये, आप एक विधेयक पारित कर के संविधान की अनिवार्य व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। संसद् भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १९३ का भी उल्लंघन करता है। उस में धन विधेयकों के लिये एक विशेष प्रक्रिया विहित की गई है। उस प्रक्रिया के अनुसार, धन विधेयक की सिफारिश उस विधान-मंडल के राज्य-पाल को करनी चाहिये। यह भी नहीं किया गया था।

अनुच्छेद १९९ का भी उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि धन विधेयक पारित होने से पहले अध्यक्ष को प्रमाणित करना चाहिये कि वह धन विधेयक है। यह भी नहीं किया गया था।

इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद २०० का भी उल्लंघन किया जा रहा है। आप हिमाचल प्रदेश के विधान मंडल के उस सत्र द्वारा पारित विधेयकों, अनुदानों, इत्यादि को वैध नहीं बना सकते, क्योंकि संविधान की व्यवस्था के अनुसार, यह अनिवार्य है कि राज्य-पाल उन को सहमति दे। यह नहीं हुआ है। उस के बाद उन पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही, उन को विधि माना जा सकेगा। इस का भी पालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार एक विधेयक पारित कर के, हम यह नहीं मान सकते कि किसी विधेयक विशेष को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है।

इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश विधान-मंडल के कई विधेयकों को वैध मान लिया जाये। लेकिन, अनुच्छेद ११७ की व्यवस्था के पालन के बिना यह कैसे हो सकेगा?

यह विधेयक मान लेता है कि उन विधेयकों को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी थी। राष्ट्रपति ने तो उन की सिफारिश भी नहीं की थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां भी जरूरत थी, राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली गई थी।

†**श्री नौशीर भरूचा** : इस विधेयक के लिये राष्ट्रपति ने कोई सिफारिश नहीं की है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : की है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : लेकिन वह तब तक सिफारिश नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाता।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सिफारिश की सूचना लोक-सभा के समाचार-सार-भाग २ में दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री नौशीर भरूचा : समाचार-सार को सभा की कार्यवाही का अंग नहीं माना जा सकता।

नयी विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को अधिनियम नहीं माना जा सकता। उन्हें विधि की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार उस की अनुदानों की मंजूरी, संकल्पों के पारण, इत्यादि को भी वैधानिक रूप से मान्य नहीं माना जा सकता। उस में संविधान की कई व्यवस्थाओं का उल्लंघन होगा। संविधान में ऐसी अनुमति नहीं दी गई है।

इसलिये, मझे पूर्ण विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय इस विधेयक को नहीं मानेगा।

दूसरा औचित्य प्रश्न यह है कि यह सभा किसी भी एसे विधेयक को मान्यता नहीं दे सकती, जिसकी विषय-वस्तु उसे मालूम ही न हो। तब तक ऐसा कोई विधयक सभा में पुरःस्थापित ही नहीं किया जा सकता। इसीलिये सभी विधेयक सभा में पुरःस्थापन से दो दिन पहले संसद्-सदस्यों में परिचालित कर दिये जाते हैं। प्रक्रिया नियम ७२ के अन्तर्गत, संसद्-सदस्यों का यह अधिकार है। इसलिये जब तक हम हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उन विधेयकों को पढ़ नहीं लेते, जब तक वे परिचालित नहीं किये जाते, तब तक हम उन्हें मान्यता नहीं दे सकते।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लेकिन उन की प्रतियां परिचालित की गई थीं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : उनमें सिर्फ यही कहा गया था कि ३७ विधेयकों को मान्यता देने का विधेयक। इस प्रकार उन को जाने बिना, हम मान्यता कैसे दे सकते हैं? इसीलिये हम इसका विरोध कर रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम अगला विषय लेते हैं। इस विधेयक पर चर्चा बाद में होगी।

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि संगठन तथा रीति विभाग के वर्ष १९५७-५८ के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो ४ सितम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

इस विभाग की स्थापना की सिफारिश डीन एपिलबी ने जनवरी १९५३ में की थी, और इस की स्थापना मार्च, १९५४ में हुई थी। प्रथम प्रतिवेदन में इस विभाग का उद्देश्य यह बताया गया था कि यह विभाग भारत सरकार के सभी विभागों की प्रशासकीय कार्य-क्षमता बढ़ाने का लगातार प्रयास करता रहेगा।

इस विभाग ने सभी सेवाओं के सहकारी प्रयास भारत सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम रखा था।

इस विभाग को कार्यक्षमता, मितव्ययता, और निष्ठा, आदि के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् को सलाह देनी पड़ती है। समाजवादी राज्य की ओर हमारी प्रगति के साथ ही साथ इस विभाग का महत्व भी बढ़ता ही जायेगा। योजनाओं की प्रगति के साथ ही हमारी प्रशासकीय कार्यवाहियां भी दिन-दिन बढ़ती जा रही हैं, उन का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है, इसलिये प्रशासन को कार्यक्षम बनाये रखने की समस्या भी अधिक महत्व धारण करती जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

इस विभाग को काम करते हुए अब चार वर्ष हो गये हैं। इसलिये अब हम इस की प्रगति का लेखा-जोखा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस विभाग ने कुछ सफलतायें प्राप्त की हैं। कार्य-पद्धति का कुछ वैज्ञानिकन हुआ है।

विभाग का दावा है कि उस के प्रयासों के परिणामस्वरूप काम निबटने की गति पहले से अधिक तेज़ हो गई है। लेकिन प्रतिवेदन देखने से पता चलता है कि कम से कम १४ विभागों में तो बकाया काम का परिमाण और अधिक हो गया है। डाक तथा तार विभाग के महानिदेशालय में ५३·१, वैदेशिक-कार्य विभाग में ४४·३, शिक्षा विभाग में ३८·५, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ३७·२ और वित्त तथा राजस्व विभाग में ३६·१ प्रतिशत काम शेष रह गया है, नहीं निबटा है। ४२ में से १४ विभागों में ६ से २० प्रतिशत तक और २८ विभागों में २० से ३५ प्रतिशत तक काम शेष रहा है। प्रतिवेदन के इन आंकड़ों से भी पूरी स्थिति का पता नहीं चलता। सभी जानते हैं कि मामलों के निबटने में बहुत विलम्ब होता है।

इस का प्रमाण यह है कि प्रधान मंत्री को अपने भूटान-यात्रा पर जान से पहले इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी करना पड़ा था। इस प्रतिवेदन में भी इस का उल्लेख किया गया है कि लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और इसीलिये मामलों को टालते हैं; अनावश्यक आपत्तियां करते हैं; जो बौद्धिक रूप से बेईमानी है। इसीलिये कई समितियां नियुक्त करने की तरकीब निकाली गई है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। शायद इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जा रही है।

एक जो यह नई रीति निकाली गई है कि कागज़ात जिस अधिकारी के पास भेजने हों, उन्हें उस से एक सीढ़ी ऊपर के अधिकारी के पास भेजा जाये। इस से अनुशासन हीनता बढ़ेगी। हमारे सभी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन को ही मामलों का निर्णय करने की शक्ति दी जानी चाहिये। सही तरीका यह है कि उपयुक्त अधिकारियों में शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाये।

इस प्रतिवेदन में निवृत्ति वेतनों से सम्बन्धित मामलों के निबटारे में बहुत ज्यादा देर लगने की बात कही गई है। विभाग ने इन चार वर्षों में भी इस के लिये अभी तक कुछ नहीं किया है।

अभी कुछ दिन पहले मैसूर के वन विभाग के एक अधिकारी को अपने एक वर्ष के निवृत्ति-वेतन के लिये भूख-हड़ताल करनी पड़ी थी। पूरे जीवन भर निष्ठा से सेवा करने वालों को ठीक से निवृत्ति-वेतन भी न मिल पाना बड़े शर्म की बात है। मेरा सुझाव तो यह है कि निवृत्ति-वेतन संबंधी सभी मामले अधिकारी के निवृत्त होने के समय तक ही निबटा दिये जाने चाहियें और जब तक सभी मामले निबटा न दिये जायें तब तक उस अधिकारी को निवृत्त नहीं करना चाहिये। उसे तब तक सेवा में रखा जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में अन्य विलम्बों का भी जिक्र किया गया है। संसद् को दिये जाने वाले आश्वासनों की कार्यान्विति में विलम्ब इसलिये होता है कि सभा में प्रश्नों के पूरे-पूरे उत्तर नहीं दिये जाते। आशा है भविष्य में इस की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

विलम्ब होने के कई अन्य कारण भी हैं। आप को पार्किन्सन का नियम मालूम होगा, जो उस ने इंगलण्ड के समुद्री विभाग के बारे में निरूपित किया था, कि काम की मात्रा घट जाने पर भी सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या बढ़ती ही रहती है।

प्रतिवेदन में इस की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है । हमारे यहां सचिवालयों के कर्मचारी जिस गति से बढ़ते जा रहे हैं, उस गति से काम की मात्रा नहीं बढ़ रही है । मैं इस की ओर गृह-कार्य मंत्री का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्री सिद्धान्त ने 'इंडियन जर्नल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में इसे बड़ी अच्छी तरह से पेश किया है । उन्हों ने आंकड़े दिये हैं कि १९३७ में लगभग ३७ विशेष सचिव थे, जो अब ४६ हो गये हैं । होता यह है कि जब उच्चाधिकारियों की संख्या बढ़ती है, तो वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाते जाते हैं ।

हमारे यहां पदेन सचिवों और विशेष अधिकारियों के रूप में काम करने वालों, सभी को मिला कर १४२ संयुक्त सचिव हैं । पहले इन की संख्या ७९ थी ।

पहले उप सचिवों की संख्या २२० थी, जो १९५६ तक ५७२ हो गई थी । इसी प्रकार अवर-सचिवों की संख्या भी ४६३ से बढ़ कर १,००६ हो गई है । संगठन तथा रीति विभाग सचिवों, संयुक्त सचिवों और उप सचिवों की संख्या पर कोई टिप्पणी भी नहीं दे सकता । मैं समझता हूं कि उनकी संख्या में बड़ी आसानी से २५ प्रतिशत कटौती की जा सकती है ।

इंगलैंड में यही किया गया था । इस कटौती से हमारी कार्य-क्षमता बढ़ेगी ।

लेकिन इस संबंध में, एक बड़ी निदर्यतापूर्ण बात यह है कि इन में से ३०० प्रतिशत उच्च अधिकारी अभी अस्थायी ही हैं । इन अस्थायी उच्चाधिकारियों से हमें उतनी आशा भी नहीं करनी चाहिये । इससे कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

संगठन तथा रीति विभाग ने बहुत ही थोड़ा काम किया है । बिभाग ने काम की पद्धति को सरल बनाने के लिये तो कुछ किया ही नहीं है । संगठन का अध्ययन भी नाम मात्र को हुआ है । सहकार्य पैदा करने की समस्या पर विचार ही नहीं हुआ है ।

प्रशासकीय निर्णयों के पुनरीक्षण, उच्च स्तर पर उन के पुनरीक्षण के लिये कुछ भी नहीं किया गया है । श्री एपिलबी ने इस की ओर विशेष तौर से ध्यान आकर्षित किया था । पता नहीं विभाग ने इस की ओर ध्यान भी दिया है, या नहीं ।

सरकारी प्रक्रिया को लोक-हित की दृष्टि से अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिये भी कुछ नहीं किया गया है । खेद की बात तो यह है कि यह काम संगठन तथा रीति विभाग के क्षेत्राधिकार से हटा कर, वित्त मंत्रालय को दे दिया गया है । इस प्रकार, अब संगठन तथा रीति विभाग भी सचिवालयों के अन्य विभागों की तरह का ही हो गया है । वह एक तरह से जमादारी का ही काम करता है । इस का कोई उपयोग नहीं रह गया है ।

मेरा सुझाव तो यह है कि माननीय प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री वित्त मंत्री और ोगैर-सरकारी सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जा`, जो इस विभाग के काम का निर्देशन करे । तभी इस विभाग को कुछ उपयोगी बनाया जा सकता है ।

लेकिन यह विभाग तभी सफल हो सकता है जब कि सरकार के किसी काम से सरकारी कर्मचारियों में असंतोष न फैलने पाये । यदि सरकार एक मंत्रालय के क्लर्कों के साथ, अन्य मंत्रालयों के क्लर्कों से भिन्न व्यवहार करेगी, तो उनमें असन्तोष फैलेगा ही । एक स्तर के सभी कर्मचारियों को समान सुविधायें दी जानी चाहियें सरकार तो उन लोगों को अपना भाग्य बनाने का अवसर नहीं देती, जो परीक्षाओं में बैठने के लिये तैयार हैं कुछ सहायकों को पहले भारतीय प्रशासकीय सेवा की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं ी जा रही थी, बाद में माननीय प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें अनुमति

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

मिल पाई थी। इसलिये मैंने संगठन तथा रीति विभाग को उपयोगी बनाने के लिये उच्चस्तरीय समिति के गठन का सुझाव दिया है।

हमें अपनी सेवाओं के अधिकारियों का मनोबल बढाना चाहिये। प्रधान मंत्री ने भी इस की ओर इशारा किया था। देश के लिये सब से बड़ी हानि यही होगी कि प्रशासन पर से जनता का विश्वास उठ जायेगा। और, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि प्रशासन की प्रतिष्ठा कम होने लगी है। इसे रोका जाना चाहिये।

हम अभी आने वाले कागजों को दो श्रेणियों में रखते हैं प्राथमिक और माध्यमिक। पहली श्रेणी में वे कागज होते हैं जो बाहर से आते हैं और पहली श्रेणी से ही दूसरी श्रेणी बनती है। हमारे यहां आने वाले कागजों की एक तीसरी श्रेणी भी होनी चाहिये—एक कागजों की एक अलग श्रेणी होनी चाहिये जो जनता मंत्रालय को भेजती है और उस के उत्तर की प्रत्याशा रखती है। संगठन तथा रीति विभाग को इस का अध्ययन करना चाहिये।

हमारे यहां आंकड़े रखने की रीति भी ठीक नहीं है। उस से सही स्थिति का पता नहीं चलता। अच्छा तो यह होगा कि हम आकड़े इकट्ठे करने की बजाय, समस्याओं का अध्ययन करें और उन के हल निकालें। आंकड़े इकट्ठे करने की बजाय, हमें जनता को सुख पहुंचाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। और इस के लिये संगठन तथा रीति विभाग को एक नये ढंग से नये आधार पर संगठित करना पड़ेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवल्ला) : हम सभी चाहते हैं कि भारत सरकार के हर विभाग में मामलों के निबटारे में विलम्ब न हो। लेकिन वर्ष १९५७–५८ के प्रतिवेदन के आंकड़े हमें क्या बताते हैं ?

मुझे इस प्रतिवेदन से कोई बहुत अधिक आशायें नहीं थीं। संगठन तथा रीति विभाग इस दिशा में अधिक कुछ नहीं कर सकता। इस विभाग को दो महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये थे। पहला तो यह कि विलम्ब कम से कम किया जाये और दूसरा यह कि मितव्ययता अधिक से अधिक हो।

मितव्ययता के सम्बन्ध में इन दो वर्षों में अधिक कुछ नहीं किया गया है। हां, इसकी बातें काफी हुई हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने मितव्ययता की दृष्टि से अपने वेतन घटा दिये थे, लेकिन बाद में अपने पूरे वेतन लेने लगे। हां, हमारे भाषणों की अब तीन प्रतियों की जगह एक ही प्रति हमें मिलती है लेकिन दूसरी ओर जनता के लाखों करोडों रुपयों का अपव्यय किया जा रहा है।

मामलों के निबटारे में कम से कम विलम्ब होने देने के प्रयासों के बारे में कुछ आंकड़े इस प्रतिवेदन में दिये गये हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग सभी विभागों में, १० प्रतिशत मामले अनिर्णीत पड़े रहते हैं, और कुछ विभागों में तो ५० प्रतिशत तक। सभी विभागों से संबंधित आंकड़े देखने पर बड़ी निराशा होती है।

विभाग के प्रतिवेदन द्वारा जुटाये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि १९५५–५६ से १९५७–५८ तक कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है। विलम्ब कम करने में यह विभाग पूरी तौर से असफल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंकड़ों के अलावा, हमारा अपना, और यहां तक कि प्रधान मंत्री का अपना अनुभव भी यह है कि विलम्ब में कोई खास कमी नहीं हो पाई है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि लगता है जैसे ये सारी विधियां इसी दृष्टि से बनाई गई हैं कि सहकारी आन्दोलन का विकास न होने दिया जाये।

मेरे राज्य में सरकार ने १९५१ में अपने किसी कार्यालय के लिये एक इमारत किराये पर ली थी, लेकिन १९५७ तक उसका किराया अदा नहीं किया गया था। इस तरह के कई उदाहरण मिल सकते हैं। संसद् सदस्य और यहां तक कि प्रधान मंत्री भी इस विलम्ब को कम कराने में सफल नहीं हो पाते।

देश की साधारण जनता को एक कार्य-क्षम, प्रभावशाली सरकार चाहिये, फिर वह किसी भी दल की क्यों न हो। जनता उसी का स्वागत करेगी।

मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं कि कई लोग अपने निवृत्ति वेतनों के मिलने के इन्तजार में मर-खप भी गये, पर उन्हें जीते जी निवृत्ति वेतन नहीं मिला।

विलम्ब की समस्या का हल करने में कठिनाई क्या है? मेरा तो ख्याल है कि सब से बड़ी कठिनाई यह है कि हम ने विरासत में एक ऐसा सरकारी ढांचा पाया है, जिसका उद्देश्य लोकहित था ही नहीं। और हम ने उस ढांचे में कोई भी आमूल परिवर्तन नहीं किया है। और जब तक यह नहीं किया जाता, तब तक ऐसे हजारों विभाग नियुक्त करने पर भी यह समस्या नहीं सुलझेगी। भ्रष्टाचार और मामलों के निबटारे में विलम्ब, इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमें अपना सरकारी ढांचा एक नये लोकहित की भावना पर आधारित करना चाहिये। लेकिन सरकार नयी भावना की दुहाई भर देती है, उस की कार्यान्विति नहीं।

केरल सरकार ने इस दिशा में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। केरल सरकार की प्रशासकीय सुधार समिति के प्रतिवेदन का सभी दलों ने स्वागत किया है। उस में कहा गया है कि सरकारी सेवाओं के दृष्टिकोण में अब आमूल परिवर्तन की, लोकहित को ही सर्वोपरि मानने की भावना पैदा करने की आवश्यकता है।

उस प्रतिवेदन में सरकारी कर्मचारियों को नयी भावना में दीक्षित करने के लिये कुछ प्रशिक्षण योजनायें भी रखी गई हैं। भारत सरकार को भी ऐसी ही योजनायें तैयार करनी चाहियें।

इस के लिये सब से जरूरी यह है कि हमें समाजवादी ढ़ंग के समाज की स्पष्ट परिभाषा जनता और सरकारी कर्मचरियों के सामने रखनी चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव है कि सरकार को प्रत्येक याचिका, या कागज या फाइल से संबंधित निर्णय के लिये एक समय-सीमा, एक महीने या दो महीने की, निर्धारित कर देनी चाहिये।

साथ ही यह भी जरूरी है कि कुछ ही अधिकारियों में शक्ति का संकेन्द्रीयकरण नहीं होना चाहिये। विभागों के प्रधानों में अधिक शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिये। उनको निर्णय करने की शक्ति दी जानी चाहिये।

केरल प्रशासन सुधार समिति ने सरकारी कर्मचारियों को इस के लिये, विलम्ब कम करने के लिये, प्रेरित करने के सम्बन्ध में सुझाव रखा है कि सब से अधिक कार्यक्षम कर्मचारी को इनाम दिये जायें। अमरीका में ऐसी व्यवस्था है। इस से उन्हें बड़ी प्रेरणा मिलेगी। इस से वे फाइलों को शीघ्र से शीघ्र निपटाने के लिये आपस में एक समाजवादी प्रतियोगिता कर सकें।

आशा है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

†श्री जमाल ख्वाजा (अलीगढ़) : मैं पहले वक्ता श्री हरिश्चन्द्र माथुर की स्पष्टवादिता के लिये उन्हें बधाई देता हूं किन्तु रीति तथा संगठन विभाग के अपने पहले तथा चौथे प्रतिवेदन में—दूसरा तथा तीसरा प्रतिवेदन मुझे नहीं मिले——अपने कार्य के बारे में कोई बड़े बड़े दावे नहीं किये जिस कारण मैं इस कड़ी आलोचना को उचित नहीं समझता ।

जहां तक इस विभाग में अस्थायी कर्मचारियों की अत्यधिक संख्या का सम्बन्ध है उस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि उस का लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । किन्तु उनके कहने का तो यह अभिप्राय निकलता है कि उन्हें पदच्युत् कर देना चाहिये । मैं इस के पक्ष में नहीं हूं । श्री माथुर ने कहा कि इस विभाग में सचिवों और अन्य पदाधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है किन्तु मैं एपलबी के तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन के अनुसार यह समझता हूं कि पदाधिकारियों पर कार्य भार अत्यधिक है ।

जिला पदाधिकारियों का ही उदाहरण लीजिये । मैंने देखा है कि उन्हें अत्यधिक काम करना पड़ता है ।

मेरे विचार में अच्छे प्रशासन के लिये पांच उद्देश्य हैं अर्थात् गति, न्याय, एकरूपता, उत्तर-दायित्व तथा लोकतन्त्र और इन में से किसी की भी उपेक्षा करते किसी एक उद्देश्य पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता ।

हो सकता है कि बहुत सी बातें चीन में बहुत गति से होती हों । किन्तु गति ही एक मात्र उद्देश्य नहीं है यद्यपि यह सफलता का सार है । किन्तु अन्य उद्देश्यों को भुलाया नहीं जा सकता ।

हमारे प्रशासनिक सिद्धान्तों का यह एक बड़ा गुण है कि हम ने उक्त सब लक्ष्यों का सामंजस्य करने का प्रयत्न किया है । यह सच है कि कार्य में गति की दृष्टि से अधिक सुधार नहीं हुआ किन्तु सरकार द्वारा विश्व विख्यात डा० एपलबी से परामर्श प्राप्त करना और सार्वजनिक प्रशासन की इस संस्था को स्थापित करना आदि इस बात का द्योतक है कि प्रयत्न किये जा रहे हैं । यदि प्रशासनिक कार्यों में देरी का रोग अभी तक फैला हुआ है तो उस से पता चलता है कि हमारे सामने काम का भार अत्यधिक है ।

श्री वासुदेवन् नायर ने यह ठीक ही कहा है कि प्रशासनिक कार्यों में देरी को दूर करना और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि इस कारण लोगों में घूस देने का प्रलोभन पैदा होता है । यद्यपि घूस तो हम उसे कहेंगे जो न्याय की बजाय अन्याय करने के लिये दिया जाये किन्तु फिर भी लोग न्यायोचित कार्य को भी शीघ्र करवाने के लिये पैसे देते हैं और इस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बुरा ही होता है ।

इस तरह पैसे देकर काम करवाने से जनता के मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि क्लर्क या पदाधिकारी ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया वरन् उसने पैसों द्वारा काम करवा लिया है । इस से नैतिकता का आदर्श समाप्त हो जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र और श्री वासुदेवन के सुझाव ठीक ही हैं । श्री एपलबी ने टिप्पण प्रणाली का विश्लेषण करते हुए यह कहा है कि यह प्रणाली इस कारण है कि शक्ति का अधिक प्रत्यायोजन

†मूल अंग्रेजी में

नहीं किया जाता । तो भी जहां तक अच्छे प्रशासन के लिये आवश्यक हो टिप्पण प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिये ।

पूर्व वक्ताओं ने उत्तरदायित्व को टालने की प्रथा के बारे में कहा है और यह बिल्कुल सत्य है । एपलवी रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है । लोक-सभा तथा राज्य सभा में एपलबी के प्रति ेदन की कटु आलोचना की गई थी जिस का प्रधान मंत्री ने ठीक ही उत्तर दिया था कि एपलवी के प्रति ेदन की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व की ही अधिक आलोचना की गई है । उसका कारण संभवतः यह था कि श्री एपल ी ने कहा था कि संसद् का नकारात्मक प्रभाव होता है । हमारा दृष्टिकोण वस्तु प्रधान होना चाहिये । निस्संदेह ऐसा नकारात्मक प्रभाव होता है किन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं कि यह प्रभाव बुरा होता है ।

संसद् के अतिरिक्त उच्च पदाधिकारियों का भी नकारात्मक प्रभाव होता है । कभी कभी तो पदाधिकारी अपने निम्न अधिकारी के विरुद्ध इसलिये कार्यवाही नहीं करते कि कहीं वह किसी से मिल कर कोई गड़बड़ न कर दें ।

विस्तार में न जाते हुए मैं केवल महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात को लेता हूं अर्थात क्या असैनिक व्यय बहुत अधिक बढ़ गया है या बहुत कम है । एपलवी प्रतिवेदन के अनुसार तो हमारे असैनिक व्यय पर आपत्ति नहीं की जा सकती । बचत का यह अभिप्राय नहीं कि न्यूनतम कर्मचारी रखे जायें वरन् कार्य में दक्षता की भी आवश्यकता है ।

जब तक प्रशासनिक व्यवस्था का विकास न हो तब तक विकास सम्बन्धी योजनाओं की प्रगति नहीं हो सकती । इन का परस्पर ऐसा ही सम्बन्ध है जैसा सम्बन्ध भारी उद्योग और उपभोक्ता उद्योग के बीच है ।

आर्थिक अथवा राजनैतिक उद्देश्यों के अतिरिक्त नैतिक उद्देश्य का भी बहुत महत्व है । इस का आधार वैज्ञानिक है और इसे पर्यवेक्षण तथा प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : मान्यवर डिप्टी स्पीकर साहब, इस आरगेनाइजेशन एंड मैथड डि ीजन की चौथी सालाना रिपोर्ट पर जो बहस श्री माथुर साहब ने शुरू की है मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं । साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने आज सवेरे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच जरूर सुनी होगी जिसमें उन्होंने यह कहा था कि आज हमारी मिनिस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी एम्पायर्स हो गयी हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह हालत है तो यह आरगेनाइजेशन एंड मैथड डि ीज़न इन एम्पायर्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यही तो मैं ने कहा था ।

श्री मू० चं० जैन : तो जब यह मिनिस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी एम्पायर्स बन गयी हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिये क्या तरीका अख्तियार किया जाना चाहिये । यह एक बहुत गहरा सबजेक्ट है ।

मैं इस सिलसिले में अपने तजर्बे की बिना पर चन्द छोटी छोटी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं । बहुत सी अच्छी अच्छी तजवीज़ें और स्कीमें बनायी जा सकती हैं और आरगेनाइजेशन और मैथड डि ीज़न कायम किये जा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस परसोनल को जो कि मुख्तलिफ लेविल्स पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है किस तरीके से उस स्पिरिट से आगाह किया जाये जिससे कि हम उनको आगाह करना चाहते हैं । मेरे से पहले यहां पर कहा गया कि यह जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यह तो पुराने जमाने की पुलिस और रेवेन्यू स्टेट के माडल पर

[श्री मू० चं० जैन]

चल रहा है। पिछले दस ग्यारह साल से हम चाहते हैं कि यह एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर स्टेट के पैटर्न का होना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में भी इस पर जोर दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इस पर जोर दिया गया है, यहां तक कि इस पर अलग से एक चेप्टर भी लिखा गया है। लेकिन उस पर किस हद तक अमल हो रहा है या कहां तक उसमें कसर है, यह बात सोचने की है। इस पर भी कई रायों का इज़हार किया जा सकता है। लेकिन एक बात की कसर मैं देखता हूं, जिसकी तरफ नायर साहब ने भी इशारा किया है और मेरे प्रिडेसेसर ने भी उसका ज़िक्र किया है। क्या यह आरगेनाइजेशन एंड मैथड डिवीज़न या हमारे होम मिनिस्टर साहब यह बतलायेंगे कि पिछले दस वर्षों में डिफरेंट लेविल्स पर जो हमारे आफिसर्स काम कर रहे हैं उनको उस पैटर्न के मुताबिक बनने के लिए जो कि हम कायम करना चाहते हैं क्या ट्रेनिंग ी गयी है, इस तरफ क्या कदम उठाये गये हैं। क्योंकि जब तक इन अफसरान में यह स्पिरिट पैदा नहीं हो ी जो कि हम चाहते हैं, तब तक महज़ इन टैकनिकल चीजों के करने से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। लेकिन मैं देखता हूं कि अफसरान में यह स्पिरिट पैदा करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं ने इस बारे में एक सवाल पूछा था। मैं देखता हूं कि हमारे एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स का भी यही हाल है। वहां भी पढ़ने वालों में सही स्पिरिट पैदा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। मैं समझता हूं कि जब तक इस सिलसिले में कदम नहीं उठाया जायेगा तब तक हम कोई सुधार नहीं कर सकते। हम लैंड रिफार्म के बारे में रिपोर्ट पढ़ते हैं, ए० आई० सी० सी० की रिपोर्ट पढ़ते हैं, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं। उन रिपोर्टों को पढ़ कर हैरानी होती है क्योंकि जिन लोगों के हाथ में इस देश के ३६ करोड़ लोगों की हुकूमत है उनकी तरफ से इन रिपो ों में कहा जाता है कि हम मुख्तलिफ स्टेट्स में कानून पास करते हैं लेकिन जब उन पर अमल का सवाल आता है तो मालूम होता है कि ५० फीसदी मुजारे बेदखल हो गये। ऐसा इसीलिये होता है कि जो हमारे अफसरान हैं उनको उस स्पिरिट से आगाह नहीं किया गया है और हम देखते हैं कि आज तक किसी अफसर को इस वजह से सजा नहीं दी गयी कि उसने उस स्पिरिट के खिलाफ काम किया है। हम सुनते हैं कि रिश्वत की वजह से, डिले की वजह से, इनएफीशेंसी की वजह से अफसरान को सजा दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हम इस वजह से भी सजा दें कि किसी अफसर ने हमारी स्पिरिट के खिलाफ काम किया है।

आज सवेरे जब प्राइम मिनिस्टर साहब करप्शन का जिक्र कर रहे थे तो उनको श्री महावीर त्यागी जी ने इंटरजेक्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम एक तरफ से सारे अफसरान को कंडेम नहीं कर सकते, उनमें कुछ काली भेड़ें हो सकती हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम फर्म ऐक्शन लेते हैं। इस पर त्यागी जी ने कहा था कि आपकी गवर्नमेंट फर्म ऐक्शन नहीं लेती। इस बारे में मैं भी त्यागी जी से इत्तिफाक करता हूं। हमारे यहां ईश्वर के तीन रूप बताये गये हैं, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक महेश है। ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम है परवरिश करना और महेश का काम है संहार करना। तो यही तीनों चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में भी होना चाहिये। हुकूमत भी जन्म देती है, पालन करती है और संहार भी करती है। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि जब हम कभी अपने चोटी के नेताओं से मिलते हैं और इस बात का ज़िक्र करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि साहब यह डिमाक्रेसी है, इसमें हम सलाह करते हैं और रिफार्म करते हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह हम कब तक रिफार्म कर पायेंगे। यह सही है कि हमारे यहां डिमाक्रेसी है लेकिन डिमाक्रेसी में भी फर्म ऐक्शन लिया जा सकता है और जब तक यह फर्म ऐक्शन नहीं लिया जाता तब तक आफिशियल या अनआफिशियल लेविल पर सुधार नहीं हो सकता।

तो पहली बात तो यह है कि डिफरेंट लेविल्स पर हम को पबलिक सरवेंट्स को खास ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनमें जो हम चाहते हैं वह स्पिरिट पैदा हो सके, और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सजा ी जाये तो किसी किस्म का रहम या मेरहबानी न की जाये। अगर हम को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और देश को आ े ले जाना है तो हम को यह जरूर करना चाहिये।

जैसाकि हमारे माथुर साहब ने कहा था कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बदनामी है। शायद यह मुबालगा हो। लेकिन यह कहने में कोई मुबालगा नहीं है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दिन पर दिन इनएफीशेंट होता जा रहा है। पिछली दस ११ सालों में गवर्नमेंट ने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया। हम अपने जिलों में और कांस्टीट्यूएन्सीज में जाते हैं तो देखते हैं कि जहां तक बैनीफिशेंट कामों का ताल्लुक है काफी काम हुआ है, जितने स्कूल अस्पताल वगैरह अंग्रेजी हुकूमत के सौ डेढ़ सौ साल में नहीं खुले उतने या उन से ज्यादा इन दस सालों में खुल चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि पबलिक इतनी क्रिटिकल है। इस का कारण यह है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ है। मिसाल के तौर पर आप कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के काम को लें। इस में काम इस तरह से हो रहा है कि जो लोग अनडिजरविंग हैं, जिन के पास पहले से पैसा है, उन को ही रुपया दिया जाता है, उन को ही तीन और ग्रांटें मिलती हैं। कम्युनिटी डेवेलपमेंट मुहकमे के मारफत बहुत सारा रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन उस का देहात वालों पर क्या असर है। वहां यह हाल है कि जिन लोगों के पास पहले से है उनकी ही जेबें भरी जा रही हैं, और जो भूखे और रूखे हैं, उन की वही हालत बनी हुई है। इस सिलसिले में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब इस बात का ख्याल रखें कि सब को दस दस मिनट का वक्त ही मिल रहा है, इसलिये वह ज्यादा कहानियां न कहें।

श्री मू० चं० जैन : तो मैं इस कहानी को छोड़ता हूं क्योंकि मुझे दो एक और बातों पर जोर देना है।

एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां यह सही है कि जिन अफसरों की गलती पाई जाये उन को सजा दी जाये, वहां यह भी बहुत जरूरी है कि जो अफसरान अच्छा काम करते हैं, उन को बड़ाई मिलनी चाहिये। आज हाल यह है कि जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं, जो इनीशियेटिव दिखा सकते हैं उन को यह डर होता है कि पता नहीं कि क्या नतीजा हो। मैं चाहता हूं कि इस बहस का जवाब देते हुए होम मिनिस्टर साहब यह बतलायें कि अच्छा काम करने वाले किन किन अफसरों को इनाम दिया गया। अगर ऐसी कोई चीज उन्होंने की होगी तो उन्हें उस के लिये मुबारकबाद मिलेगा और मैं समझता हूं कि इस मामले में सारा हाउस इस काम की ताईद करेगा।

इस के बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूं। यों तो रिपोर्ट में बहुत सी बातों का जिक्र है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हर मिनिस्ट्री में एक सेक्शन ऐसा होता है जिस में बड़ा करप्शन होता है। वह सेक्शन है, जो सबार्डिनेट आफिसर्ज़ की ट्रांस्फ़र और एपायंटमेंट को कंट्रोल करता है। हर मिनिस्ट्री में—रेल े मिनिस्ट्री, डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री में—यही हालत है, उस सेक्शन का पर्टिकुलर नाम कुछ भी हो। अगर हम किसी भी सबार्डिनेट आफ़िसर से बात करें, तो हमें मालूम होगा कि उन को सब पता होता है कि कैसे ट्रांस्फर कराना है और कैसे उस को कैन्सल कराना है और किस तरह से रिश्वतें दे दे कर काम कराया जाता है। इस की वजह से बड़ा हैजान फैला हुआ है। यह एक ऐसा सैल है, जिस की वजह से हर एक मिनिस्ट्री के सबार्डिनेट आफ़िसर्स में बेचैनी पाई

[श्री मू० चं० जैन]

जाती है। इस की वजह से हर जगह करप्शन का शोर मचा रहता है और हर एक आदमी कोसता है कि यह क्या हो रहा है और हुकूमत यह करती है और वह करती है।

इस रिपोर्ट में यह ज़िक्र किया गया है कि जब कोई पब्लिक कम्पलेंट्स आयें, पब्लिक एन्क्वायरीज़ आयें, तो उन का जवाब दिया जाय। मैं इस बात पर सख़्त हैरान हूं। मैं ने एक दफ़ा पहले भी ज़िक्र किया था कि हमारे महकमे और मिनिस्ट्रीज़ पब्लिक एन्क्वायरीज़ का जवाब क्या देंगी, जबकि उन की तरफ से एम० पीज़० को भी जवाब नहीं दिया जाता है। रेलवे मिनिस्ट्री पर बहस के दौरान मैं ने कहा था कि मेरे पास मुख़्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ के साथ कारेसपांडेंस का रिकार्ड है कि वे जवाब नहीं देते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम पार्लियामेंट के मेम्बर की हैसियत से उन को कोई चीज़ भेजते हैं, तो फिर वे लम्बी चौड़ी रिपोर्ट दे देते हैं। पंजाब में एक छोटे से मिनिस्टर की हैसियत से मेरा तजुर्बा है कि जब हम किसी आफ़िसर के पास कोई चीज भेजते हैं, तो कुदरतन वह अपने मातहतों से रिपोर्ट लेता है और मेरा तजुर्बा है कि मातहत आफ़िसर हमेशा अपने ऐक्शन को डिफ़ेन्ड करता है। मिनिस्टर साहब के पास जब फ़ाइल आती है और उन को नोट पुट अप होता है, तो वह उस पर मक्खी पर मक्खी मार देते हैं और शाज़ो-नादर ही---एक फ़ीसदी केसिज़ में ही---वे इन्टरफ़ीयर करते हैं। अगर कोई मिनिस्टर दिलचस्पी लेता है, तो कुछ काम बन सकता है। एक केस का मुझे पता है, जोकि अस्पताल की नर्स के ट्रांस्फर के बारे में था। मैं ने हैल्थ मिनिस्टर साहब को लिखा। मेरे पास सारी की सारी कारेसपांडेंस है। मैं ये सब बातें इसलिये बता रहा हूं कि कैसे सुधार हो सकता है, जबकि मिनिस्टर और सेक्रेटरी के लैवल पर इस तरह की बातें हों। मैं ने एक चिट्ठी लिखी, उस का जवाब आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस का जवाब आया, लेकिन जहां तक अमल का ताल्लुक़ है, ढाक के वही तीन पात। कुछ नहीं किया गया। किसी डिप्टी मिनिस्टर ने मिनिस्टर को कहा कि यह बात करनी है। जो चीज़ मैं चाहता था, वह मेरे कहने पर नहीं की गई, लेकिन जब डिप्टी मिनिस्टर ने कहा, तो फ़ौरन कर दी गई। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है, तो मिनिस्टर साहबान को इस का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही कसौटी है, जिस पर कि हमारी जनता हमारी गवर्नमेंट और हमारी पार्टी को देख रही है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : श्री माथुर ने रीति तथा संगठन विभाग के चतुर्थ प्रतिवेदन की सभी प्रासंगिक बातों का भली प्रकार उल्लेख कर दिया है। अतः मैं केवल भारतीय प्रशासन की मूल समस्या को लूंगा।

रीति तथा संगठन विभाग स्थापित करने का उद्देश्य सरकार के प्रशासनिक विभागों को सुसंगठित करना और कार्य का सुसंपादन करना है। इस विभाग के कार्यों की समीक्षा करने से पूर्व मैं भारतीय प्रशासन के स्वरूप और विशेषताओं को लूंगा।

जिस शासन ने इस भारतीय प्रशासन का निर्माण किया था वह नहीं रहा किन्तु उस ने इस में जो बातें पैदा की थीं वह अभी तक चली आती हैं। किसी ने भी भारतीय प्रशासन की स्थिति का समर्थन अथवा विरोध नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्वतंत्रता प्राप्ति और विश्व की परिस्थितियों में परिवर्तन के पश्चात् हमें एक ऐसा कार्य करना पड़ा जिस का हमें अनुभव नहीं था । हमें समाज की समाजवादी व्यवस्था के निर्माण का भार संभालते हुए प्रशासन को तदनुसार बदलने का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा । किन्तु हम ने इस मूल कार्य को नहीं किया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अध्याय १६ की कण्डिका ३ में इस समस्या का उल्लेख किया गया था । किन्तु नये प्रशासनिक संगठन का निर्माण करने के लिये साहस तथा निश्चय की आवश्यकता थी किन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने यद्यपि प्रशासन स्थिति के विषय में अपने विचार प्रकट किये तथापि उन्हों ने इस में सुधार के लिये कुछ न किया ।

स ेप्रथम समस्या यह है कि यह स्पष्ट रूप में निश्चित किया जाये कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय प्रयत्नों में प्रशासन को क्या करना है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उस का कार्य लोकतंत्रात्मक उपायों से बनाई गई नीति को कार्यान्वित करना है ।

किन्तु हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था में चाहे कोई मंत्री हो या कोई भी उच्चाधिकारी हो, समस्त शक्तियां कार्यपालक के हाथ में हैं । कार्यपालक की स्थिति ऐसी है कि वह उत्तरदायित्व से जी चुराता है जिस कारण फाईलें ऊपर नीचे जाती रहती हैं और लोगों में नैराश्य की भावना पैदा होती है । मैं संयम और उत्तरदायित्व की भावना से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे पदाधिकारियों को जानता हूं जो न केवल मानसिक दृष्टि से अनैतिक हैं वरन् शारीरिक दृष्टि से नैतिकता विरोधी आचरण करते हैं । जब तक हम इस पद्धति को न बदलें हम समृद्ध और समान अधिकारों वाले लोगों का समाज निर्माण नहीं कर सकते ।

हमारी प्रशासन व्यवस्था में उच्च तथा निम्न दर्जों की प्रथा होने के कारण उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण संकुचित है । हमारे असैनिक कर्मचारियों का उत्तरदायित्व यह समझा जाता है कि वे उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन क ें किन्तु यह बात प्रशासन की सफलता के लिये आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है । आदेश पालन के साथ साथ स्वतः स्फूर्ति की भावना की भी आवश्यकता है ।

मैं श्री माथुर की इस मांग का समर्थन करता हूं कि प्रशासन की व्यवस्था की पूर्ण जांच करनी चाहिये और यह विश्लेषण करना चाहिये कि वर्तमान प्रशासन कहां तक देश की आवश्यकताओं के उपयुक्त है ।

हमारे प्रधान मंत्री आजकल सार्वजनिक जांच के बहुत विरुद्ध हैं । संभवतः गृह-कार्य मंत्री भी प्रधान मंत्री की तरह कहें कि प्रशासन की कोई जांच नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस से प्रशासन का उत्साह कम होगा । आप देश में जहां कहीं भी जायें लोग यह अनुभव करते हैं कि प्रशासन में कहीं गड़बड़ है । संसद् में भी यह सन्देह की भावना फैली हुई है । यदि आप पाकिस्तान, सूडान और मिस्र जैसे गलत मार्ग पर चलने वाले देशों के सामने लोकतंत्र का उदाहरण रखना चाहते हैं तो प्रशासन में न केवल कल्पना और उपक्रम की भावना पैदा करनी चाहिये वरन् सत्यनिष्ठा और ईमानदारी भी पैदा करनी चाहिये ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : आज संगठन तथा रीति विभाग को काम करते हुए चार वर्ष हो गये हैं । इसे स्थापित करने का प्रयोजन यह था कि इस का केन्द्रीय कार्यालय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचौ सिंह]

भारतीय प्रशासन की व्यवस्था, प्रबंध और प्रक्रिया आदि के सम्बंध में नेतृत्व करे। अब देखना है कि इस कार्य मे कहां तक सफलता मिली है।

इस संगठन के प्रतिवेदन से पता लगता है कि सिवाय राजस्व, रेलवे और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद के और कहीं कार्य को शीघ्र निबटाने के सम्बंध में कोई प्रगति नहीं हुई। अभी तक टिप्पणों की पुनरावृत्ति होती है और अनावश्यक निर्देश किये जाते हैं।

हमारे मुख्य कार्य लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को पंच वर्षीय योजनाओं और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाना है। डा० एपलबी ने दो त्रुटियों का उल्लेख किया था, एक तो यह कि अनावश्यक निर्देश और प्रतिनिर्देश किये जाते हैं और दूसरे उच्चाधिकारी बहुत अधिक ब्योरा मांगते हैं। इस कारण देरी हो जाती है। इन त्रुटियों को अभी दूर नहीं किया गया।

पुराने विचाराधीन मामले इतने अधिक हैं कि चालू काम में बहुत बाधा पैदा होती है। प्रतिवेदन में मामले का 'साथ के साथ संक्षेप' तैयार करने का सुझाव दिया गया है किन्तु, जब तक मंत्री मंडल सचिवालय या संगठन तथा रीति विभाग कोई क्रान्तिकारी सुधार न करें रोग का उपचार नहीं हो सकता।

संगठन तथा रीति विभाग की स्थापना इतना अधिक श्रम और धन व्यय होने पर भी इस का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। न नैतियक कार्य में सुधार हुआ है न अदक्षता ही दूर हुई है। संगठन तथा रीति विभाग के भय से अन्य विभाग अपने कार्यों की सूचियां तैयार करने और सांख्यकी तैयार करने में कितना समय लगा देते हैं जिससे नित्य प्रति के कार्य को हानि होती है। तनिक सा बहाना मिलने पर मामला बंद कर देते हैं जिस से न्यायपूर्ण निपटारा नहीं होता।

यह खेद की बात है कि इन चार वर्षों में संगठन तथा रीति विभाग ने ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की जिस में कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन किया गया होता।

जहां तक स्थान का संबंध है असिस्टेंटों को काम करने के लिए बहुत असुविधाजनक स्थान मिला होता है। उन का फर्नीचर भी घटिया प्रकार का होता है टाइपिस्टों को भी प्रमाणिक कुर्सियां और मेज़ नहीं दिये जाते जब कि पदाधिकारियों को खूब बड़े बड़े कमरे मिले होते हैं।

भोजन के लिए केवल आधे घंटे के अवकाश की अनुमति है किन्तु, सभी लोग एक घंटे की छुट्टी मनाते हैं। इस तरह अत्यधिक समय विनष्ट हो जाता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रियों और सचिवों को कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक भेंट करनी चाहिये और उन की शिकायतों तथा कठिनाइयों को सुनना चाहिये। कर्मचारियों के सहयोग से बहुत काम सुगम हो जायेगा और संगठन तथा रीति विभाग पर किया जाने वाला बहुत खर्च बच सकेगा।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : श्रीमान् मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर का आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर परिश्रम किया है तथा चर्चा उठाई है। मेरी इच्छा है कि प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर इस सभा में समय समय पर रचनात्मक चर्चा होनी चाहिये।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

कोई भी यह नहीं कह सकता कि किसी भी देश में कभी भी प्रशासन त्रुटिहीन हो सकता है। हमें समय समय पर इस स्थिति का पुनरीक्षण करते रहना चाहिये कि दक्षता का स्तर बना हुआ है तथा अपनी आर्थिक व्यवस्था की जो मांग है और जो हमारे उद्देश्य हैं उन्हें ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं। मैं सविनय कहता हूं कि इस ओर यह अभिव्यक्ति एक तरफा ही थी। निसंदेह वह त्रुटियों का ही उल्लेख कर रहे थे। मेरा यह अभिप्राय नहीं कि उन्हें कोई अच्छाई नजर नहीं आई। किन्तु उनका उल्लेख करने को उनके पास समय न था। जब हम प्रशासन की समस्या के बारे में विचार करें तो हमें कतिपय तथ्य सामने रखने चाहियें।

केन्द्रीय सरकार की भारी जिम्मेदारियां हैं। इतनी अधिक जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की नहीं हैं। किन्तु केन्द्र को समस्त देश की आवश्यकताओं का उपबन्ध करना होता है और इस देश की जनसंख्या भी अत्यधिक है और स्वतंत्रता के पश्चात् देश की जनता को अपने अधिकारों का भी अधिक ज्ञान होता जा रहा है और इसी के साथ वे नागरिक उत्तरदायित्व को भी महसूस कर रहे हैं। चाहे हम इसे चाहें या न हमें उत्तराधिकार में यह प्रणाली मिली है जो लाभदायक होते हुए भी त्रुटिहीन नहीं है। अतः जब हम जटिल समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं तथा वर्तमान स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो हमें उन पहलुओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये जो इस समस्या से पूर्णतया सम्बद्ध हैं।

केन्द्र में १७ लाख के लगभग कर्मचारी हैं। उनकी जिम्मेदारी मंत्रियों पर है और उन्हें अपने सचिवों के द्वारा कार्य करना होता है। अतः महा सचिवों, सह सचिवों तथा उपसचिवों के आधिक्य की भी आवश्यकता है ताकि मंत्री सभा में बता सकें कि वे क्या करते हैं।

एक दूसरी बात भी ध्यान में रखनी आवश्यक है। हमारे देश में दक्षता का स्तर ऊंचा नहीं है। इसमें मैं अपने आप को भी सम्मिलित करता हूं और दूसरों को भी जिनमें विदेशी लोगों की सी दक्षता नहीं है। अन्य देशों में जो काम एक व्यक्ति कर लेता है उसके लिये दो या तीन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अत: इस वृद्धिशील सतर्कता के कारण स्वभाविक रूप से यह इच्छा होती है कि हर इस मामले की जानकारी मिले जिसका सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध हो अथवा निजी जीवन से भी हो। हमारे कार्य नित्य बढ़ते जा रहे हैं और हम एक नयी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं जिससे अन्त में प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो जायेगा।

अतः वाणिज्य तथा उद्योग और इसी प्रकार के अन्य रचनात्मक क्षेत्रों के कार्य की निरन्तर जांच होनी आवश्यक है। यदि सचिवों की संख्या में वृद्धि हुई है तो संभवतया उन्हें उनके बारे में कोई आपत्ति नहीं है। वित्त, वाणिज्य तथा उद्योग, लोहा और इस्पात तथा खान एवं तेल मंत्रालयों में सह-सचिवों तथा विशेष अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जो कोई भी यह देखता है कि देश में नये कारखाने लगाने के कितने प्रयास हो रहे हैं वह शीघ्र ही समझ सकता है कि यह कार्यवाही ठीक है; हमें एक पाई की बचत के लिये पाउंड नहीं गंवाना।

श्री माथुर ने कतिपय मामलों का उल्लेख कर के कहा कि सचिवों तथा सह-सचिवों की संख्या बढ़ गई है। यह नई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यह बात कहता रहा है और सचिवालय में कर्मचारी कम करने के प्रयास हुये हैं। पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु हमने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी है। नये आदमी नहीं लिये जा रहे हैं। मैं तो यही समझता हूं कि हमें उत्तरदायी पदाधिकारियों की संख्या को बढ़ाना चाहिये।

[पंडित गो० ब० पन्त]

यदि आप कार्य में दक्षता चाहते हैं तो पदाधिकारियों की संख्या अधिक होनी चाहिये--काम तभी ईमानदारी से हो सकता है। जब तक ६ या सात प्रक्रम न हो तब तक कार्य वैज्ञानिक आधार पर नहीं चल सकता।

यदि सह सचिवों की संख्या बढ़ी है तो वह स्थिति के कारण है। नये पद की स्वीकृति देने से पूर्व ध्यान रखा जाता है।

बचत के लिये हम ने पूरी कार्यवाही की है। वित्त मंत्रालय में बचत पुनर्गठन एकक है। प्रत्येक मंत्रालय में भी ऐसा एकक है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं पर जाने वाले दल भी हमने बनाये हैं जो स्थिति का अध्ययन कर प्रतिवेदन देते हैं; वे हमें बताते हैं कि बचत कहां की जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये और भी तरीके हैं। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य है हो सकता कुछ कमी की जा सकती हो किन्तु कई जगह वृद्धि भी हो सकती है।

जब हम वृद्धि की बात करते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारे काम भी सौ गुणा बढ़ गये हैं। आज सचिवालय में जो कागज आते हैं उनकी संख्या पहले से संभवतया ५०० प्रतिशत अधिक है। अतः आप इसे देख सकते हैं।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि एक कर्लक दिन भर में कितना काम देख सकता है। संगठन तथा रीति विभाग इस समस्या का अध्ययन कर रहा है। कार्य अध्ययन किये गये हैं। कार्य के स्तरों का निर्धारण किया गया है। यदि कोई कहे कि किसी व्यक्ति विशेष के पास काम कम है यही हो सकता है कि काम बढ़ा दिया जाये किन्तु यदि आपको काम के लिये एक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो तब या तो आदमी लगाया जाये या फिर काम न हो। मैं यह नहीं कहता कि इस विषय में जांच की आवश्यकता ही नहीं है।

युद्ध के समय में और उसके पश्चात् भी छोटे पदों पर अत्यधिक भर्ती कर ली गई थी---इसलिये हमें अब उन लोगों से भी काम चलाना पड़ रहा है जो अच्छे स्तर के नहीं हैं।

हम उन्हें निकाल नहीं सकते। हमें उन्हें रखना है। काम भी चलाना है। मेरा विचार है इस सभा में कोई भी छंटनी नहीं चाहता। कोई भी यह नहीं चाहता कि एक व्यक्ति भी निकाला जाये। हमारे पास जो भी औजार हैं हमें उन्हीं से काम लेना है। यदि वह औजार ही ऐसे हैं कि एक के स्थान पर दो काम दे सकते हैं तब भी काम करना है। उसके लिये हमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

एक बात और है; जब माननीय सदस्य क्लर्कों की संख्या पर ध्यान देते हैं तब उन्हें हमारे आय व्ययक में हुई वद्धि की ओर भी ध्यान रखना चाहिये। हमारा कार्य केवल नैतिक्य कार्यालय संबंधी ही नहीं रहा है बल्कि योजना का सारा कार्य भी तो यहां आ पड़ा है। जो भी इस परिधि में आता है चाहे वह विकास कार्य हो, या कोई और उसी सचिवालय ने उसका अधीक्षण करना है। अतः जब आप यह व्यय देखते हैं तब आपको सार्वजनिक व्यय तथा पूंजीगत व्यय की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि वह भी बहुत बढ़ा है। जब इतना कार्य बढ़ जाये तब आपको यह ध्यान भी देना चाहिये कि हमारे पास उस

कार्य के निष्पादन के लिये पर्याप्त व्यवस्था भी तो होनी चाहिये। केवल आंकड़ों की तुलना करने से ही तो काम नहीं चलता। किन्तु यदि आप इन सब पहलुओं पर विचार करें तो समझ सकते हैं कि हम ने फजूलखर्ची नहीं की। हमने ध्यान से व्यय किया है। हमने अनेक बचत समितियां बनाई हैं। हमारे यहां संगठन तथा रीति विभाग के अतिरिक्त जनशक्ति निदेशालय भी है। हमने प्रशासनिक अधिकारियों का पुंज बनाया है। इसके अतिरिक्त हम औद्योगिक उपक्रमों में लगाने वाले अधिकारियों का पृथक पुंज बना रहे हैं। आर्थिक सेवा वालो का अलग पुंज होगा।

सो यह निरन्तर जारी रहने वाला काम है। हम चाहते हैं कि न तो कार्य का स्तर गिरे और न ही दक्षता ही कम हो। वास्तव में हमें कई बार कठिनाई आई है कि हमने बाद में किये जाने वाले कामों के लिये लोगों को पहले ही तैयार क्यों न किया। यदि इस बात पर ध्यान रखा जाये तो वृद्धि और भी होगी।

अतः जो हमारे पास है उसकी जांच होनी चाहिये क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन है ही नहीं। इनसे आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। आप इन्हीं प्रश्नों को देखें जिनका उत्तर हमें संसद् में देना पड़ता है। सारे प्रश्न ही तो इकट्ठे नहीं आते। बहुत से प्रश्नों के हम लिखित उत्तर देते हैं। एक प्रश्न के उत्तर के लिये हमें कई अधिकारियों से पूछताछ करनी होती है। इस सारे काम में समय लगता है। कई बार चार चार दिन भी लग जाते हैं।

अतः लोकतंत्र प्रणाली में व्यय करना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें प्रणाली का पुनर्संगठन करना चाहिये। मैं ने भी प्रायः यही सोचा है। मैं यह नहीं कहता कि सुधार की गुंजायश नहीं है। हमें विचार करना चाहिये। किन्तु सुधार भी लोकतंत्रात्मक होने चाहियें।

हम दफ्तरों की प्रक्रिया का भी निरीक्षण करते रहे हैं। श्री माथुर ने ऊपर ही ऊपर काम के विचार को पसंद नहीं किया। मैं तो नहीं जानता कि वे नीचे जाना पसंद करते हैं या नहीं। ऊपर ही जाना ठीक रहता है। हमने कई मध्यमवर्ती प्रक्रमों का उत्पादन कर दिया है ताकि कार्य शीघ्र हो जाये और लोग अपना उत्तरदायित्व समझने लगें।

पहले सह-सचिव तक जाने में एक कागज को ५ / ६ लोगों के हाथों से होकर जाना पड़ता था। अब नीचे वाला कर्मचारी कागज इकट्ठे करता है। विभाग प्रमुख नोट लिखता है और फिर इसे सीधे ही उप-सचिव या सह-सचिव को भेज दिया जाता है इससे व्यर्थ नोटिंग नहीं होती और समय भी बच जाता है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि शक्ति का प्रत्यायोजन होना चाहिये। इसी कारण हमने सह-सचिवों की संख्या बढ़ाई है क्योंकि जब आप शक्ति का प्रत्यायोजन करें तो ऐसे व्यक्तियों को करें जो इसे प्रयोग करने के अर्न्ह हों। आप चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारियों को शक्ति नहीं दे सकते। जो सक्षम हो उसे ही अधिकार दिये जा सकते हैं।

अन्य मामलों में भी हमनें प्रक्रिया में सुधार किया है और यह होता रहेगा। हमने अग्रिम परियोजनायें भी बनाई हैं ताकि यह देखें कि क्या हम केवल सहायकों की सहायता से ही चल सकते हैं। सहायक एक केस तैयार करता है और फिर उसे विभागाधिकारी के बीच में से उपसचिव को ही सीधा भेज देता है। मैं तो इस बात का स्वागत करता हूं कि

[पंडित गो० ब० पन्त]

कोई भी इस कार्य में हमारी सहायता करे क्योंकि हम तो प्रशासनिक दक्षता चाहते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को संतोष हो। यह ठीक ही तो है कि प्रत्येक पदाधिकारी पर भरोसा किया जाये और सारी व्यवस्था पर जनता विश्वास करे। यदि ऐसा न हो तो यह हमारे पर उलट पड़ेगा।

मैं एक और बात भी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में प्रशासन पर प्रति व्यक्ति काम अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। हमारा व्यय बहुत ही कम है यदि उनके स्तरों का मुकाबला किया जाये तो हम किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे।

श्री माथुर ने डा० एपलबी का उल्लेख किया; उन्होंने भी हमारे प्रशासन की सराहना की हैं और पदाधिकारियों की भी।

आप को स्मरण होगा कि बड़े बड़े काम किये गये हैं और हमारे लोग आगे आते गये हैं। यह आवश्यक है कि जनता तथा प्रशासन के बीच अधिक सहयोग हो। इसी पर हम जोर देते रहे हैं।

श्री माथुर ने कहा कि केसों के निबटारे में कोई सुधार नहीं हुआ है। कुल मंत्रालयों से तीन चौथाई में अवश्य ही सुधार हुआ है। डाक व तार विभाग में भी बहुत सुधार हुआ है। जहां तक निपटारे का सम्बन्ध है वह भी मासिक दर के हिसाब से ६८/६६ प्रतिशत लेते रहे हैं। आणविक शक्ति विभाग के निपटारों का प्रतिशत ६५.६, ६६.४ इत्यादि रहा है। किसी भी मास में ६० प्रतिशत से कम निपटारे नहीं रहे। यह बात निराशास्पद नहीं है।

मैं ने हिदायतें दी हैं कि प्रत्येक मामले को तीन मास में तो अवश्य ही निपटा देना चाहिये। किन्तु आपको स्मरण रखना चाहिये कि हमारा देश महान है और हमें अनेक बार संलग्न, अधीनस्थ तथा राज्य-सरकारों से भी मामलों का उल्लेख करना होता है। हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमें उन्हें स्मरणपत्र भेजने पड़ते हैं। उनकी अपनी कठिनाइयां होती हैं। किन्तु हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। किन्तु हमें विलम्ब को तो प्रत्येक स्थान पर ही दूर करना चाहिये।

मुझे खेद है कि अभी सेवानिवृत्ति के मामले उतनी शीघ्रता से नहीं निपटाये जाते जितने से इनका निपटारा होना चाहिये। इन मामलों पर लेखापरीक्षक तथा महालेखापाल इत्यादि भी तो बड़ा समय लगाते हैं। तब प्रत्येक मामले में एक अस्थायी अनुमान लगाकर अस्थायी सेवानिवृत्ति लागू कर दी जाती है किन्तु अन्तिम स्वीकृति के लिये तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि इस विलम्ब को भी दूर किया जाना चाहिये।

जहां तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है हम उस क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्यवाही कर रहे हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण से ही उच्च स्तर का बनाया जा सकता है। हम प्रशिक्षण की राष्ट्रीय अकादमी स्थापित कर रहे हैं। मेरा विचार है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय सेवा या लेखापाल सेवा आदि में भर्ती होने वाले को आरंभ में हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों तथा समता न्याय एवं सामाजिक कार्यों का प्रशिक्षण दें। हमने इस बात पर विचार किया है और हमारी इच्छा है कि पाठ्यक्रम में गांधी जी का दर्शन अधिक रखा जाये ताकि लोगों को यह तो समझ आ जाये कि हमने क्या करना है और हमारा उद्देश्य क्या है। जो भी चाहे मुझे इस कार्य में सहायता दे।

यदि यह इच्छा हो दो तीन सदस्यों को साथ मिलाकर प्रशासनिक समस्याओं पर विचार हो सकता है। मैं श्री माथुर से चर्चा करके प्रसन्न हूंगा अन्य लोग भी जो रूचि रखते हैं सम्मिलित हो सकते हैं। यह मामला देखने योग्य है क्योंकि जो लोग इस क्षेत्र से परिचित हैं उन्हीं ने इसकी पड़ताल करनी है। हो सकता है कि अन्य लोग अच्छे सैद्धान्तिक चिकित्सक हों किन्तु उन्होंने अभी तक इतना अनुभव प्राप्त नहीं किया कि वे शल्यचिकित्सा कर सकें। अतः इस बात पर विचार करना होगा कि क्या हम उन को साथ मिलाकर अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।

शरवती जलविद्युत् परियोजना*

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को स्मरण करा दूं कि नियम ५५ के अनुसार इस घंटे में पहले सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य देता है और फिर मंत्री उसका उत्तर देते हैं। फिर यदि एक दो अन्य सदस्य को कुछ पूछना हो तो वह प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उसे मैसूर राज्य की शरवती नदी घाटी परियोजना को पूरा करने के लिये शीघ्रता करनी चाहिये। यह परियोजना मैसूर तथा उसके आस पास के राज्यों के लिये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में अनेक बार सरकार को प्रतिवेदन भेजे जा चुके हैं और हमारे विद्युत् मंत्री श्री पाटिल साहब भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि यह बड़ी लाभदायक परियोजना है और इसके लिये प्रत्येक प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये।

पिछली बार जब इस परियोजना के बारे में सभा में प्रश्न पूछा गया था तब माननीय उपमंत्री ने कहा था कि हम इस परियोजना को योजना को आवश्यक योजनाओं में शामिल कर लेंगे। किन्तु जब हमें बाद में यह बताया गया कि इस योजना के बारे में विदेशी मुद्रा नहीं उपलब्ध हो सकी है इस लिये इस को कार्यान्वित करना कठिन बन गया है तो हमें बड़ा विस्मय हुआ।

मैसूर राज्य में जल विद्युत् परियोजनाओं का सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ था। वहां पर शिव समुद्रम घाटी परियोजना तथा महात्मा गांधी जल-विद्युत् वर्कस से जितनी विद्युत् उत्पन्न होती है उसको मैसूर के बड़े बड़े उद्योगों में ही खपत हो जाती है। मैसूर में आजकल नये उद्योगों और कृषि के लिये तनिक भी विद्युत् शक्ति नहीं उपलब्ध हो रही है जिसके फलस्वरूप राज्य का आर्थिक विकास बिल्कुल रुक गया है।

इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने १९४९ में शरवती घाटी परियोजना तैयार की थी। किन्तु इतनी आशाओं और आश्वासनों के बाद भी आज तक यह योजना कार्यान्वित नहीं हो रही है। यह ४० करोड़ रुपये की योजना है। इससे लगभग १० लाख किलोवाट विद्युत् का उत्पादन हो सकता है। एक किलोवाट का उत्पादन व्यय लगभग ४५० या ५०० रुपये आयेगा। हिन्दुस्तान भर में और कोई परियोजना ऐसी नहीं जिसका लागत व्यय इतना कम हो। फिर इस से केवल मैसूर ही नहीं बल्कि कई राज्यों को लाभ होगा।

इसके लिये प्रारम्भिक अवस्था में ही विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी मैं समझता हूं २ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा से यह परियोजना चालू हो सकती है। इतना रुपया जुटाना सरकार के लिये

†मूल अंग्रेजी में
*आधे घंटे की चर्चा

[श्री मोहम्मद इमाम]

कोई कठिन काम नहीं है जब कि हमारे वित्त मंत्री को हाल ही में विदेशों से इतने नये ऋण मिले हैं।

यदि आप इस परियोजना को पूरा कर लेते हैं तो योजना में जल विद्युत् के लिये जो लक्ष्य रखा गया है उसका एक तिहाई भाग ४० करोड़ रुपये में ही पूरा हो जायेगा। मैसूर राज्य स्थित भद्रावती आयरन वर्क्स को चलाने के लिये इस परियोजना का चालू करना बड़ा आवश्यक है। कृषि विकास के लिये भी यह योजना परमावश्यक है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको शीघ्र पूरा कराने की कृपा करें।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : मैं श्री इमाम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने महत्व-पूर्ण विषय को आधे घंटे की चर्चा के लिये चुना है। मंत्री महोदय को भली भांति विदित है कि पिछले मास की २४ तथा २५ तारीख को मैसूर विधान सभा में इस परियोजना को पूरा न करने के कारण सरकार की कितनी कटु आलोचना हुई है। उन्हें यह भी विदित है कि मैसूर राज्य को अपने औद्योगिक विकास के लिये विद्युत् की कितनी आवश्यकता है। वह यह भी जानते हैं कि यह परियोजना बड़ी आर्थिक तथा कम व्यय वाली है। ऐसी दशा में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को योजना की आवश्यक योजनाओं में सम्मिलित करने में क्या आपत्ति है?

यह योजना केवल मैसूर राज्य के लिये ही नहीं अपितु वहां स्थित केन्द्रीय सरकार के उद्योगों के लिये भी बड़ी आवश्यक है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह आशा करता हूं कि वह इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करा के अपने बचन को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम** (बल्लारी) : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमको पहले यह आश्वासन दिया गया था कि इस परियोजना को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी और अब इस बात को देखते हुए कि इसके लिये प्रारम्भ में ही केवल एक या ड़ेढ़ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये उद्यत हैं?

†**श्री केशव** (बंगलौर शहर) : क्या सरकार इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के लिये एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी नहीं व्यय कर सकती?

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत् मंत्री को यह ज्ञात नहीं है कि मैसूर में विद्युत् की भारी तंगी है, क्या उन्हें यह विदित नहीं कि इस योजना के लिये बिल्कुल अल्प राशि की आवश्यकता है; क्या उन्होंने दो मास पूर्व यह आश्वासन नहीं दिया था कि अब वित्त मंत्री के विदेश भ्रमण से हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में काफी सुधार आ गया है और वित्त मंत्री के वापस लौटने पर हम इस परियोजना को सर्वोपरि प्राथमिकता देंगे?

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : क्या यह सच नहीं है कि मैसूर सरकार ने इस परियोजना के लिये जिन शर्तों पर मशीनरी वगैरह खरीदने के लिये कहा है वह हमारे लिये बड़ी लाभदायक शर्तें हैं? दूसरे जब हमने कोयले को 'आवश्यक योजनाओं' में रख लिया है तब विद्युत् योजनाओं को क्यों नहीं उसी श्रेणी में रख रहे आखिर दोनों से शक्ति का उत्पादन होता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: श्रीमान्, मैं उन सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मुझे फिर से शरवती परियोजना की आवश्यकता की याद दिलाई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैसूर राज्य में विद्युत् की बड़ी कमी है। वहां पर थोड़ी सी विजली भी नहीं दी जा रही है। मैं स्वयं यह चाहता हूं कि यह परियोजना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो तथा वहां के लोग इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। इस योजना से लोगों को बहुत सस्ते दामों पर बिजली मिल सकेगी मेरे लिये एक यह प्रलोभन ही बहुत बड़ा प्रलोभन है। न केवल मैं ही बल्कि योजना आयोग के सभी सदस्य भी इस परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने के लिये बड़े उत्सुक हैं। किन्तु हम सब को भली भांति मालूम है कि हमारे सामने विदेशी मुद्रा का कैसा संकट आया हुआ है। इसी के कारण हम इस परियोजना को योजना की "आवश्यक योजनाओं" में नहीं रख सके।

†**श्री बासप्पा**: किन्तु यह योजना के भाग 'ख' में रखी जा चुकी है।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**: किन्तु फिर भी हमने देश की सारी विद्युत् परियोजनाओं में से इस परियोजना को सर्वोपरि स्थान देने का निश्चय किया है। हम सच्चे मन से उत्सुक हैं कि हम किसी न किसी भांति इस परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करवा सकें। इसके लिये हम आवश्यक मशीनरी व संयंत्र मंगाने के लिये निर्यात व आयात बैंक से 'येन' तथा डी० एल० एफ० ऋण प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिये हमें भारत-रूस व्यापार संधि के अन्तर्गत रूस से भी कुछ उपकरण मंगवाने के लिये बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार हमें पूरी आशा है कि हमारे यह सब प्रयत्न शीघ्र ही सफल हो जायेंगे और हम इस परियोजना को शीघ्र ही प्रारम्भ कर देंगे।

(इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ६ दिसम्बर, १६५८]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१८०६--३३
तारांकित प्रश्न संख्या	
७२६ भारत-पाक नहरी पानी विवाद . . .	१८०६–१२
७२८ वैकल्पिक आसाम रेल सम्पर्क .	१८१२–१३
७२६ रबी की फसल	१८१४–१६
७३० रेलवे के स्लीपर	१८१६
७३५ रेलवे के स्लीपर	१८१७
७५३ खराब स्लीपरों की स्वीकृति	१८१७–२२
७३३ काजीपेट रेलवे यार्ड का नये नमूने का बनाया जाना .	१८२३
७३६ विलो (सरई) व शहतूत की लकड़ी .	१८२४–२५
७३७ हिमाचल प्रदेश में आलू	१८२५
७३८ रेलगाड़ी पर विद्यार्थियों का आक्रमण . .	१८२६
७३६ टेलीप्रिन्टर्स	१८२६–२८
७४० पुल्लमपेट और कृष्णापुरम् के पास पुलों का बह जाना .	१८२८–२६
७४१ होम्योपैथी .	१८२६–३०
७४३ केरल में बाढ़ नियंत्रण	१८३०–३१
७४६ मंगलौर पत्तन	१८३१–३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
५ केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर अरूर पुल	१८३२–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर . .	१८३३--८७
तारांकित प्रश्न संख्या	
७२४ ग्लाइडरों के निर्याण के लिये लकड़ी	१८३३–३४
७२५ ताहिरपुर बस्ती, दिल्ली	१८३४
७२७ बिजली के खम्भे . .	१८३४–३५
७३१ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभाव स्थिति	१८३५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७३२	दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश	१८३५–३६
७३४	जम्मू तथा काश्मीर में सामुदायिक विकास परियोजनायें	१८३६
७४२	पूर्वोत्तर रेलवे में चोरियां तथा डाके	१८३६–३७
७४४	उड़ीसा में फलों के उद्यान . . .	१८३७
७४५	इण्डिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, होसपेत	१८३७
७४७	त्रिपुरा में पंचायतों के चुनाव	१८३७
७४८	हिमाचल प्रदेश में आलू की गहन खेती . .	१८३८
७४९	एयर इण्डिया इण्टरनेशनल द्वारा पवन जनित शक्ति का उपयोग	१८३८
७५०	चावल की खरीद	१८३८
७५१	रेलवे फेडरेशनों में एकता .	१८३९
७५२	डाकखाने के बचत बैंक खातों से सप्ताह में दो बार रुपया निकालना	१८३९
७५४	बेलडांगा शुगर मिल	१८४०
७५५	रेडियो-एक्टिव ट्रेसर . .	१८४०–४१
७५६	जेट विमानों द्वारा यात्रा .	१८४१
७५७	डाक तथा तार स्थायी समिति	१८४१
७५८	गन्दी बस्तियां	१८४१–४२
७५९	बम्बई राज्य में काजू की खेती .	१८४२
७६०	असैनिक विमान-चालकों का प्रशिक्षण . .	१८४२
७६१	रेलवे पुलिस और टिकट कलैक्टरों में झगड़ा . .	१८४३
७६२	होटल मान एवं दर निर्धारण समिति का प्रतिवेदन .	१८४३–४४
७६३	हिमाचल प्रदेश में सहकारी खेती .	१८४४
७६४	आठ पहियों वाले माल डिब्बे . . .	१८४४
७६५	जहाज की मरम्मत करने की सुविधायें , .	१८४४–४५
७६६	दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों के लिए होस्टल	१८४५
७६७	डाक-तार परिमण्डलों का पुनर्गठन . .	१८४५
७६८	रासायनिक उर्वरक	१८४६
७६९	नार्वे के माल ढोने वाले जहाज . . .	१८४६
७७०	पानी-कलों का नये नमूने का बनाया जाना . .	१८४६
७७१	विमान सेवा करार . . .	१८४७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखत उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७७२	डाक तथा तार विभाग का रेलवे बोर्ड के नमूने पर गठन	१८४७
७७३	जमीन में पानी की खोज की योजना	१८४७–४८
७७४	गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर पुल	१८४८
७७५	वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन	१८४८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१११६	कारोनेशन पिलर तथा केशवपुर के पास मल शोधन संयंत्र	१८४८–४६
१११७	डाक–सुविधाओं का विस्तार	१८४६
१११८	बड़ी सिंचाई योजनायें	१८४६
१११६	गार्ड रहित रेलगाड़ी	१८५०
११२०	भाखड़ा बांध	१८५०
११२१	रेलवे लाइन पर नहर के पुलों का निर्माण	१८५०–५१
११२२	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कोटा	१८५१
११२३	नलकूप संगठन	१८५१
११२४	भ्रष्टाचार के मामले	१८५१
११२५	बम्बई में फल-उत्पादन	१८५१–५२
११२६	एण्टीबायोटिक्स	१८५२
११२७	वाणिज्यिक उपयोग की समुद्री-घास	१८५२
११२८	समूही मछलियां	१८५३
११२६	तेल निकालने के काम आने वाली सार्डीन मछलियां	१८५३
११३०	फल परिरक्षण उद्योग	१८५३–५४
११३१	मत्स्य–प्राप्ति	१८५४
११३२	कलकत्ते के बाजार में मछली का भाव	१८५४–५५
११३३	दक्षिण रेलवे पर बाढ़ के कारण क्षति	१८५५
११३४	चीनी और गुड़	१८५५–५६
११३५	दिल्ली के लिये सिंचाई सम्बंधी सुविधायें	१८५६
११३६	उत्तर प्रदेश में खोले गये डाकखाने	१८५६–५७
११३७	पूर्वोत्तर रेलवे पर प्रतीक्षालय	१८५७
११३८	राष्ट्रीय राज-पथ	१८५७

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११३९	उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य परियोजनायें	१८५७–५८
११४०	चरखी दादरी और मन्हेरू के बीच हाल्ट स्टेशन .	१८५८
११४१	हिमाचल प्रदेश में मछली का व्यापार	१८५८
११४२	हिमाचल प्रदेश में भू-संभरण	१८५९
११४३	रेलवे स्लीपरों के लिये साल की लकड़ी का प्रयोग	१८५९–६०
११४४	लौह-अयस्क का निर्यात	१८६०
११४५	दिल्ली मेन यार्ड का नव निर्माण	१८६१
११४६	यमुना के जल विद्युत् संसाधन	१८६१
११४७	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	१८६१
११४८	मऊ में टोंस नदी पर पुल	१८६२
११४९	कार्यालयों का स्थानान्तरण	१८६२–६३
११५०	उत्तर प्रदेश में जंगली जानवर	१८६३
११५१	दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी का पुनरावलोकन करने के लिये समिति	१८३३–६४
११५२	आयुर्वेद	१८६४
११५३	उत्तर अर्काट जिले में रानीपेट और अर्काट के बीच पुल	१८६५
११५४	पूजा की भीड़ के दिनों में गाड़ियां	१८६५–६६
११५५	रेलवे की भूमि	१८६६
११५६	टेलीफोन एक्सचेंज	१८६६–६७
११५७	ओयरिया स्टेशन	१८६७
११५८	देबंगीर के निकट रेलवे फाटक पर नीचे का पुल	१८६८
११५९	कांडला की बस्ती	१८६८—७०
११६०	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी	१८७०–७१
११६१	आसाम–अगरताला रोड	१८७१
११६२	भाड़ों में कमी	१८७२
११६३	त्रिपुरा में खास भूमियां	१८७२
११६४	रेलवे पदाधिकारी .	१८७२
११६५	सर्वदलीय खाद्य समिति	१८७२–७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(**क्रमशः**)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
११६६	अमृतसर रेलवे वर्कशाप	१८७३
११६७	छोटी सिंचाई योजनाएं	१८७३
११६८	टेलीफोन लाइनें . .	१८७३–७४
११६९	किंग्जवे केम्प, दिल्ली में टी० बी० कालोनी	१८७४
११७०	शाहगंज जंक्शन . . .	१८७४–७५
११७१	मनीपुर के आदिम जाति व्यक्तियों को ऋण	१८७५
११७२	जयपुर स्टेशन का नवनिर्माण	१८७५
११७३	बम्बई में तम्बाकू की खेती . .	१८७५–७६
११७४	सामुदायिक विभाग और पंचायत विभागों का मिलाया जाना .	१८७६
११७५	भोजन व्यवस्था .	१८७६
११७६	हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी	१८७६–७७
११७७	मनीपुर में मीन विपणि सर्वेक्षण	१८७७
११७८	रेलवे भाड़ा	१८७७
११७९	सार्वजनिक टेलीफोन घर	१८७८
११८०	यात्रियों के लिये सुविधायें.	१८७८
११८१	दिल्ली में आटे की कीमतें	१८७९
११८२	पंजाब में नई रेलवे लाइनें .	१८७९
११८३	राष्ट्रीय राजपथ पर डाक बंगले	१८७९
११८४	बड़ौदा में युवक कांग्रेस	१८८०
११८५	मनीपुर में सहकारी समितियां .	१८८०
११८६	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण बोर्ड .	१८८०–८१
११८७	औषधि तथा शल्य चिकित्सा (सर्जरी) में ट्रेनिंग कोर्स	१८८१
११८८	फलों का उत्पादन	१८८१–८२
११८९	डाक–घर	१८८२
११९०	खाद्यान्न का यातायात	१८८२–८३
११९१	राष्ट्रीय राजपथ	१८८४
११९२	डाक तथा तार घर .	१८८४–८५
११९३	पंजाब से गेहूं का निर्यात	१८८५–८६
११९४	इंजनों का खराब होना	१८८६
११९५	रेल गाड़ियों का देर से आना	१८८६–८७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
११६६ चीनी उत्पादन . .	१८८७
११६७ पंजाब में स्वास्थ्य योजनाओं के लिये सहायता	१८८७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८८८
निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—	
(१) संविधान के अनुच्छेद ३३८ (२) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग १ और २) की एक प्रति।	
(२) एयर कारपोरेशन्स अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति—	
(१) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन।	
(२) एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन।	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१८८८—१९०३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति तथा उस पर रखे गये स्थानापन्न प्रस्तावों पर आगे चर्चा समाप्त हुई।	
प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने बाद-विवाद का उत्तर दिया।	
श्री जगन्नाथ राव द्वारा प्रस्तुत किया गया स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा चर्चा समाप्त हुई।	
विधेयक—विचाराधीन . .	१९०४—०९
हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा .	१९०९—१५
श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने संगठन तथा रीति विभाग के १९५७-५८ के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में चर्चा उठाई। गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। चर्चा समाप्त हुई।	

विषय पृष्ठ

½ घंटे की चर्चा १६२५-३७

श्री मुहम्मद इमाम ने मैसूर राज्य की शरवती जल-विद्युत् परियोजना के बारे में १ दिसम्बर, १६५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८ के लिये कार्यावलि—

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और उसका पारित किया जाना तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना।